केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

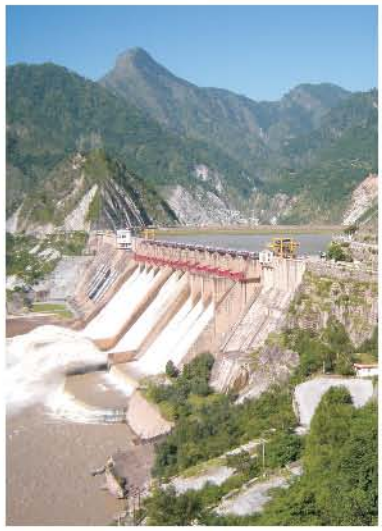

वार्षिक रिपोर्ट
2010–11

Design & Print by: GENESIS 98100 33682
genesisadvt@hotmail.com

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2010–11

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.)

तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001

फोन नं.: 91 11 23353503, फैक्स: 91 11 23753923

वेबसाइट: www.cercind.gov.in

अध्यक्ष का कथन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), कुछ वर्षों में भारत के विद्युत सेक्टर में, सुधारों के उत्प्रेरक के रूप में उभर कर सामने आया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के विद्युत के क्षेत्र में बाजार विकास के संवर्धन का बड़ा दायित्व सीईआरसी को सौंप कर इसमें अपना विश्वास व्यक्त किया है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्रतियोगिता और दक्षता के परिणाम सुनियत करने के वृहत्तर उद्देश्य के साथ दक्षता सुधार प्रेरित करने के लिए आयोग का आह्वान किया गया है।

गत में अपनी सक्रियात्मक पहलों को जारी रखते हुए, आयोग ने इस वर्ष में भी बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्षेत्रों और राज्यों में विद्युत के निरंतर प्रवाह के लिए संतुलित पारेषण तंत्र एक पूर्व शर्त है। अतः अधिनियम ने आयोग को इस क्षेत्र में प्रतियोगिता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और बहुकारक शासन पर सम्यक् ध्यान देते हुए, अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करने के लिए आज्ञापक बनाता है।

आयोग के इस आज्ञापन की प्राप्ति में, वर्ष के दौरान हुई बड़ी घटनाओं में कनेक्शन के बिंदु (पीओसी) संबंधी पारेषण प्रभार विनियम बनाना और अन्त–राज्यिक पारेषण स्कीम (आईएसटीएस) के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन शामिल हैं। पीओसी प्रणाली एक युगान्तरकारी पहल है जो विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच पारेषण प्रभारों को पूर्व–आबंटन की पद्धतियों की कमियों को दूर करने की ईप्सा करती है। साथ ही यह समय की बढ़ती हुई, मांगों का और प्रतिस्पर्धा बोली, निर्बाध पहुँच के माध्यम से आने वाली परियोजनाओं के विकासों तथा राष्ट्रीय ग्रिड के विकास से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करती है। यह अग्रिम में पारेषण प्रभारों के उपबंध करके विनिधान के लिए वांछित नियतता लाती है।

अन्तर–राज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने पर विनियमों के साथ और बाद में नौ उच्च क्षमता के कॉरीडोरों के निष्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के आदेश जारी करके, आयोग ने पारेषण प्रणाली की पारेषण योजना और विनिधान की अपेक्षाओं से संबंधित एक बड़े मुद्दे का समाधान कर लिया है। आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में बनी सशक्त समिति ने भी वर्ष के दौरान पारेषण परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा बोली को सुकर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

पारेषण में कीमत ढ़ाचें को सुदृढ़ बनाने और विनिधान की आवश्यकता का समाधान निकालने की पहल के साथ–साथ आयोग ने, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) और अननुसूचित विनिमय (यूआई) विनिमयों में संशोधनों के माध्यम से ग्रिड के सुरक्षित और सुनियत प्रचालन को भी सुनियत किया है। अनुज्ञेय फ्रिक्वेंसी रेंज को और अधिक कड़ा बनाया गया है तथा समय–सूची में विचलन के विरूद्ध अधिक निवारण प्राप्त करने के उद्देश्य से यूआई प्रभारों में वृद्धि की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य विद्युत के लिए दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में यूआई पर निर्भर करने के बजाए विद्युत उपापित्त हेतु योजना बनाने में वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष के दौरान हरित ऊर्जा के संबंर्धन की दिशा में, आयोग के प्रयासों ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) ढांचा प्रारंभ करके नई ऊँचाइयां प्रप्त की हैं। इसे देश में नवीकीणीय ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए नए युग के एक अग्रदूत के रूप से देखा गया है। आरईसी प्रणाली से प्रतियोगिता का संवर्धन अपेक्षित है और परिणामतः नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य धारा में आयेगी। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के पास अब विद्युत के विक्रय का एक और विकल्प है और साथ ही बाध्यता वाली उपयोगिताओं के पास भी अपनी क्रय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दूसरा विकल्प होगा। आयोग ने 50 मेगावाट या उससे अधिक के नवीकीणीय ऊर्जा स्त्रोंतो और हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के लिए सीटीयू नेटवर्क के साथ संयोजिकता को समर्थ बनाकर, नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण से संबंधित मुद्दे का समाधान निकालने की भी ईप्सा है।

इसके अलावा, आयोग ने निर्बाध पहुँच, पीकिंग विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता और नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन जैसे अनेक मुद्दों पर भारत सरकार को कानूनी सलाह देकर अपने सलाहकारी कृत्यों का निर्वहन किया है।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनिमय फोरम (एसएएफआईआर) की गतिविधियों में भाग लेकर विभिन्न नीतियों और विनियामक पहलों को अंतिम रूप देने में अपने संसाधनों का उपयोग किया है।

आयोग आशा करता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सभी पणधारियों का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा।

डॉ. प्रमोद देव

विषय वस्तु

1. आयोग 1

2. मिशन विवरण 3

3. वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का संक्षिप्त विवरण 5

4. पूर्व वर्ष–एक अवलोकन 13

5. उपभाक्ताओं को लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष 17

   5.1 उपभोक्ताओं को लाभ

   5.2 क्षेत्र का विकास

6. विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियाँ 21

   6.1 विनियमों के लिए प्रक्रिया

   6.2 याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया

   6.3 टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

7. वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए क्रियाकलाप 25

   7.1 कानूनी कार्यवाही 26

   7.2 वर्ष 2010–11 में के दौरान प्रमुख निर्णय 26

   7.3 विद्युत बाजारः व्यापार, पावर एक्सचेंज तथा निर्बाध पहुंच 33

      i. अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

      ii. पावर एक्सचेंज

      iii. बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

      iv. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ संवर्धित कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

   7.4 थर्मल उत्पादन 36

      i. टैरिफ निर्धारण

      ii. आयोग द्वारा संचालित अन्य मामले

   7.5 हाइड्रो उत्पादन (जल विद्युत उत्पादन) 40

      i. विविध कार्य

      ii. जलविघुत परियोजना के चालू होने संबंधी कार्यक्रम (अनुसूची) के लिए दिशानिर्देश

      iii. 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ

7.6 पारेषण 44

i. पारेषण टैरिफ

ii. वास्तविक समय परिचालन विनियमो में संकुलन अवमुक्ति के उपायों के तहत प्रक्रियाएं

iii. अननुसूचित विनियम (यू आई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रमी उपयोगिताओं पर कार्रवाही

iv. ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के उपाय

v. विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न याचिकाओं को आयोग के आदेश

vi. अन्तर–राज्यिक निर्बाध पहुँच को सुविधाजनक बनाना

vii. पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना (अनुदान)

7.7 नवीकरणीय ऊर्जा 51

i. टैरिफ निर्धारण पर आदेश

ii. केन्द्रीय एजेन्सी (एनएलडीसी) द्वारा प्रस्तुत आईसी तंत्र के तहत विस्तृत प्रक्रिया पर आदेश

iii. आईसी रूपरेखा के लिए प्रविरत और न्यूनतम मूल्य के निर्धारण पर आदेश

iv. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के विनियम 11 के तहत देय कोस और प्रभारों के निर्धारण संबंधित आदेशः याचिका सं0 99/2010 (स्वप्रेरणा) आदेश की तिथिः 01–06–2010

7.8 वर्ष के दौरान अन्य किर्याकलाप 53

i. सीईआरसी में विनियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली (रिम्स)

ii. केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

iii. विनियामकों के फोरम (एफओआर) की गतिविधियां

iv. भारतीय विनियामकों के फोरम की गतिविधियां

v. दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (एसएएफआईआर) की गतिविधियां

vi. सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान–प्रदान कार्यक्रम

7.9 भारत सरकार को सलाह 57

i. समर्पित पारेषण लाइनों के संस्थापना के संबंध में

ii. निर्बाध पहुँच धारा 11 मामले के बारे में 18–05–2010

iii. प्रतिस्पर्धा बोली आधारित टैरिफ के लिए समय सीमा के संदर्भ में

vi. नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संवर्धन के समर्थन के संदर्भ में

8. **वर्ष 2010–11 के दौरान जारी अधिसूचनाएं** 61

9. **2011–12 के लिए कार्यसूची** 65

10. **लेखाओं का वार्षिक विवरण** 67

11. **आयोग का मानव संसाधन** 69

अनुबंध

I. केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति (01–04–2010 से 31–03–2011 तक) 74

II. 31–03–2011 को एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 117

III. दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता तथा प्रत्येक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 119

IV. 85 प्रतिशत पीएलएफ पर पैसे/केडब्लूएच में 31–03–2011 को मौजूदा एनटीपीसी, एनएलसी तथा नीपको के उत्पादन स्टेशनों की उत्पादन (टैरिफ) की लागत 120

V. केन्द्रीय क्षेत्र की हाइड्रो उत्पादन कंपनियों की संस्थापित क्षमता (एनएचपीसी, एनएचडीसी, निपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी) 123

VI. के.वि.वि.आ. की परिधि के अधीन हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों का संक्षिप्त टैरिफ 125

VII. वर्ष 2011–12 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (रूपए/केडब्ल्यूएच) 126

VIII. वर्ष 2010–11 मे आयोग के स्टाफ/अधिकारियों द्वारा भाग लिए गये सेमिनार/सम्मेलन/आदान–प्रदान कार्यक्रम (भारत के बाहर) 128

IX. वर्ष 2010–11 मे कार्यक्रम जिनमें आयोग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। (भारत में) 129

X. वर्ष 2010–11 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा 130

XI. (31–03–2011 के अनुसार) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के ई–मेल और दूरभाष नम्बर 170

XII. संगठन चार्ट 174

1 आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ सहायिकियों आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, जुलाई, 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध–न्यायिक–हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि की है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन केवल टैरिफ नियतन की शक्तियां ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में विहित थी। 2003 की नई विधि के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जैसे अन्तर–राज्यिक पारेषण, अन्तर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप लाइसेंस में संशोधन करने, उसे

निलंबित और निरस्त करने की शक्तियां, लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि।

अधिदेश

जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:–

(1) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना:

(2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों से भिन्न उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कम्पनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(3) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(4) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(5) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी जारी करना;

(6) उपर्युक्त खण्ड (क) से खण्ड (घ) तक से संबंधित विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा माध्यस्थम् के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(7) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस की उदगृहित करना;

(8) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(9) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(10) विद्युत के अन्तर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

(11) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेषित किए जाएं।

(12) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित पर सलाह देना:

(क) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

(ख) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन करना;

(ग) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन को बढ़ावा देना; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

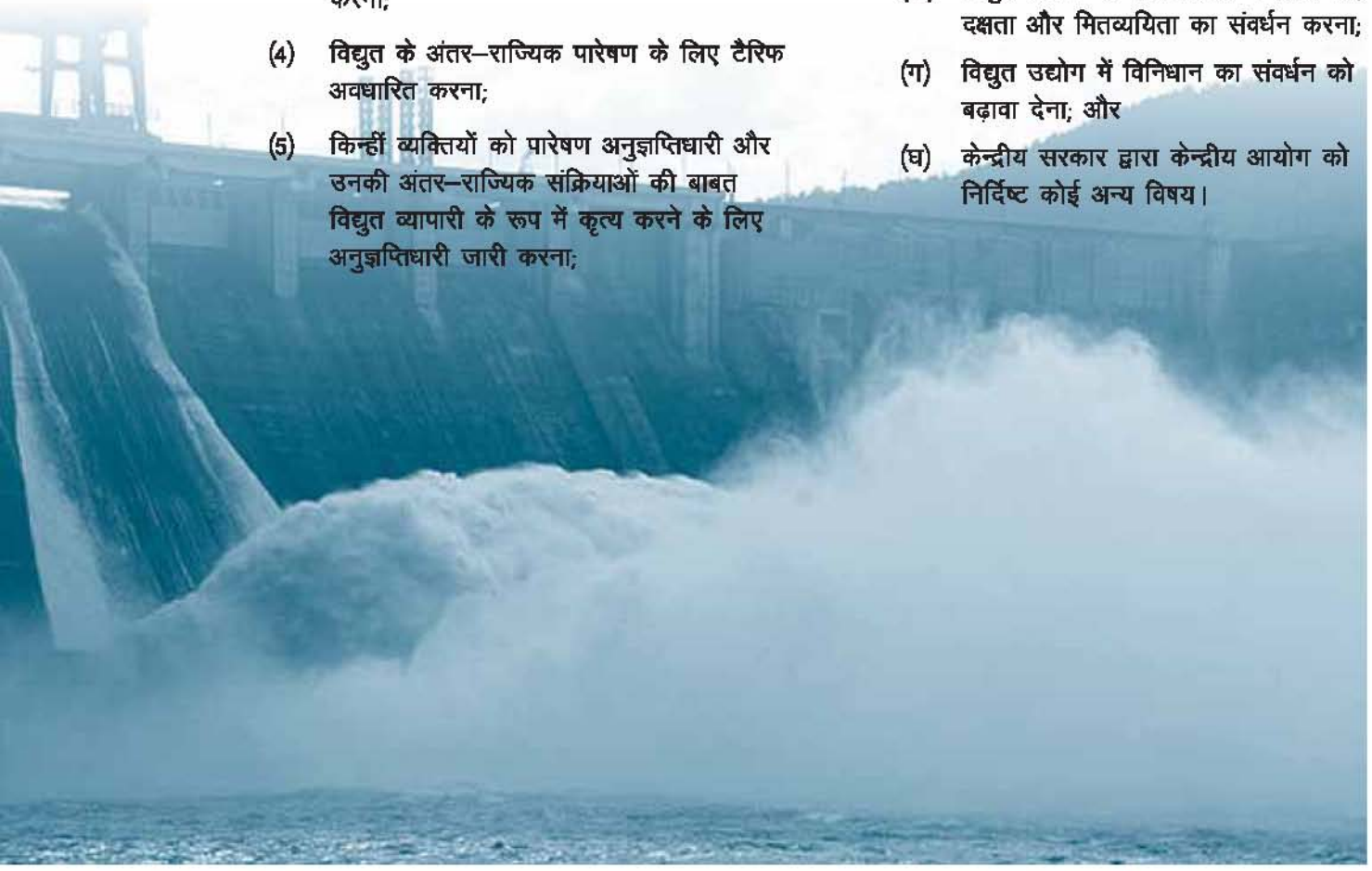

2 मिशन विवरण

आयोग की भारी विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अन्तर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार की सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्यः

- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययिता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा,
- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के माध्यम से क्षेत्रीय ट्रांसमिशन प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना,
- अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाने, अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाने के लिए एक बाजार संरचना के सृजन द्वारा विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

- मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता हैः
- सभी पणधारियों (स्टॉक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण,
- पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना,
- एक ओर विचारों में संगत रहते हुए विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना,
- यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासम्भव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों,
- विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्त्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना,
- विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्त्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

डॉ. प्रमोद देव ने 09 जून, 2008 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉ. प्रमोद देव भारत में सबसे अधिक लम्बे समय से विद्युत विनियामक से जुड़े हुए हैं। डॉ. देव ने 29 अप्रैल, 2002 को एमईआरसी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा 11–02–2005 को इन्हें अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया।

भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डॉ. देव ने अवसंरचना अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की है तथा इन्होंने ऊर्जा नीति तथा अर्थशास्त्र में पोस्टडाक्टरेट अनुसंधान किया है। ये ऊर्जा योजना, ऊर्जा प्रबंधन तथा विनियामक पद्धति संबंधी तीन पुस्तकों के सह–लेखक भी हैं।

डॉ. देव को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) का 30 वर्षों का अनुभव हैं जिसमें 20 वर्ष का अनुभव ऊर्जा क्षेत्र में नीति तथा परियोजना प्रबंधन के दोनों स्तर में है। इन्होंने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) तथा प्रौद्योगिकी ऐशियाई संस्थान (एआईटी) जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किया है।

महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग में राज्य विद्युत सुधार विधेयक, 2000 के प्रारूपण में इनका प्रमुख योगदान था। इस अवधि के दौरान, इनके पास पर्यावरण विभाग का समवर्ती प्रभार भी था।

इन्होंने पांच वर्ष (1993–98) तक डेनमार्क में अवस्थित ऊर्जा, जलवायु तथा धारणीय विकास (यूआरसी) संबंधी यूएनईपी रिसोई केन्द्र में वरिष्ठ ऊर्जा अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने इस केन्द्र की ओर से जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचा अभिसमय पर प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए मिस्र, जार्डन तथा मलेशिया को सुसज्जित करने हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) क्षमता निर्माण प्रस्तावों के विकास पर यूएनडीपी के लिए कार्य किया है। डॉ. देव की सभी ऊर्जा पर्यावरण परियोजनाओं तथा जलवायु परिवर्तन प्रशमन अध्ययनों में व्यापक रूप से ऊर्जा क्षेत्र सुधार, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विकल्प सम्मिलित रहे।

डॉ. देव क्रमशः, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने के लिए स्थापित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के ऊर्जा संस्थानों, अर्थात महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (1986–88) तथा ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (1989–1993) के संप्रवर्तक निदेशक थे। अंततः इस ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र को ऊर्जा दक्षता एआईटी, ब्यूरो (बीईई), जो एक कानूनी निकाय है के रूप में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन उन्नत किया गया है।

इन्होंने 1993 में विश्व बैंक में अल्प–कालिक परामर्शक के रूप में तथा वर्ष 1985 से 1986 तक, बैंकाक में अनुसंधान इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. देव को पवन ऊर्जा के प्रसार में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विश्व पवन ऊर्जा संगम से विश्व पवन ऊर्जा पुरस्कार, 2005 से सम्मानित किया गया है। भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीटू) ने वर्ष 2006 के लिए "विख्यात व्यक्तित्व–ऊर्जा प्रबंधन" नामक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनका चयन किया।

डॉ. प्रमोद देव
अध्यक्ष
(09–06–2008 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री जयरमण मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं तथा ये भारतीय लागत तथा लेखा संकर्म संस्थान के अध्येता सदस्य हैं। 10 मई,1948 को जन्मे श्री जयरमण के पास सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है तथा इन्होंने वित्त और प्रबंधन, दोनों में, अनेक प्रकार के कार्य किए हैं जिनमें से 20 वर्ष तक इन्होंने बोर्ड स्तर की जिम्मेदारियां निभाई हैं।

इन्होंने नेशनल एल्म्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) में अपना वरिष्ठ स्तर का पद धारण किया जहां इन्होंने विभिन्न हैसियत से अनेक सफलतापूर्वक कार्य किए जिससे 40 वर्ष की युवावस्था में 1988 में खनिज अन्वेषण विकास निगम लिमिटेड (एमईसीएल) (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) के निदेशक (वित्त) के लिए इनका मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके पश्चात् इन्होंने वर्ष 1993 में निदेशक (वित्त) के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने 1998 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा तत्पश्चात् इन्हें 01–07–2002 से 31–05–2008 तक नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

उच्च प्रबंधन दल के भाग के रूप में, श्री जयरमण वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से समुचित लक्ष्य तय करने व योजना बनाने, परियोजनाओं के लिए हर प्रकार के मार्गदर्शन तथा सहायता में सहबद्ध रहे। इन्होंने दीर्घ–कालिक कारपोरेट योजना, विस्तृत विनिधान योजना, वार्षिक योजना आदि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

इनके पास औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निगमित स्तरों का उत्तम ज्ञान है। इनके पास वृहत् खनन तथा बिजली परियोजनाओं को तैयार करने तथा ऐसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में काफी अनुभव रहा है। इनके पास वृहद संगठनों का प्रशासन करने का काफी लंबा अनुभव है।

इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में विख्यात संस्थान, मैनेजमेंट कालेज, हिंले ऑन थोमस, हिनले द्वारा संचालित कार्यनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। इन्होंने वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन लेखांकन, विदेशी विनिमय, डब्ल्यूटीओ आदि जैसे विषयों पर अपने कैरियर के प्रारंभ में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

इन्होंने अनेक दशों का भ्रमण किया जिनमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, जापान, मारीशस, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, हांगकांग, जर्मनी सम्मिलित हैं।

श्री एस. जयरमण
सदस्य
(11 सितंबर, 2008 से पदासीन)

श्री वी एस वर्मा देश में थर्मल बिजली तथा उत्पादन क्षमता के लिए योजना के क्षेत्र में एक सुविदित विशेषज्ञ हैं। श्री वर्मा ने वर्ष 1971 में आईआईटी रूड़की (तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय) से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा पूरी तथा इन्होंने वर्ष 1975 में रूड़की से यांत्रिक इंजीनियरिंग में एप्लाइड थर्मोसाइंस से मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी भी की तथा जो अब एफआईई के नाम से ज्ञात है। श्री वर्मा ने 23 फरवरी, 2009 के पूर्वाहन को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। सीईआरसी में सदस्य का पदभार ग्रहण करने से पहले श्री वर्मा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (योजना) तथा भारत सरकार के पदेन अपर–सचिव के पद पर थे। श्री वर्मा ने थोड़े समय के लिए सीईए में सदस्य (हाइड्रो) के पद का कार्य भी देखा। गत हाल में, ये तीन वर्ष के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियएंसी के महानिदेशक भी रहे।

श्री वर्मा 1971 बैच के केंद्रीय पावर इंजीनियरिंग सेवा से संबंधित है। सीईए में विभिन्न विरचनाओं में बिजली क्षेत्र में 36 वर्ष के लंबे सेवा में, श्री वर्मा ने योजना, थर्मल पॉवर प्लांट इंजीनियरिंग, बिजली परियोजना निगरानी परियोजना निर्माण, पर्यवेक्षण, प्रचालन मानीटरिंग, मानव संसाधन विकास, ग्रिड प्रचालन, बिजली संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा अन्य नीति पहलुओं में व्यापक तथा मूल्यवान अनुभव अर्जित किया। बिजली की योजना, भार भविष्यवाणी, संरक्षण तथा दक्षता, राष्ट्रीय विद्युत योजना, सीडीएम, बेसलाइन डाटा आदि सदस्य (योजना), सीडीए के रूप में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। श्री वर्मा ने विद्युत क्षेत्र में ईंधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास तथा आई टी के क्षेत्र की देखरेख की। श्री वर्मा ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण, मानक तथा लेवलिंग तथा बिजली दक्षता का संवर्धन करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की।

श्री वर्मा ने सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की जिसमें नेशनल मिशन ऑफ एंहान्सड एनर्जी एफिसिएंसी के अधीन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना संबंधी कार्यकारी समूह, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए कार्रवाई योजना की विरचना के लिए कार्यदल, लद्दाख, जम्मू–कश्मीर के पुगा जियो थर्मल क्षेत्रों में जियो–थर्मल आधारित संभावित ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएन–आरई द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, ग्यारहवीं योजना के लिए बिजली क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास का कार्यकारी समूह, 17 वीं बिजली सर्वेक्षण समिति तथा अन्य, योजना आयोग द्वारा गठित ग्यारहवीं योजना के लिए बिजली संबंधी कार्यकारी समूह के सदस्य–सचिव, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 50,000 मेगावाट हाइड्रो बिजली में एक अग्रिम भूमिका अदा की। इन्होंने भारतीय बिजली में सीओ 2 बेसलाईन डाटा के प्रकाशन तथा प्रचालन की दक्षता को अनुकूल बनाने के लिए देश में थर्मल विद्युत केन्द्रों की मैपिंग की भी अगुवाई की।

श्री वर्मा योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं तथा इनके नेतृत्व में व्यापक अनुसंधान तथा विकास परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई। श्री वर्मा ने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए यूके, यूएसए, यूएसएस और वियतनाम, केन्या, गुयाना, नाईजीरिया, पोलैण्ड, ब्रूसेल्स तथा जर्मनी का दौरा किया है। इन्होंने बिजली संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय

तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में बिजली क्षेत्र से संबंधित 50 से अधिक तकनीकी पेपरों को प्रकाशित किया तथा उन्हें प्रस्तुत किया। श्री वर्मा उत्पादन तथा पारेषण क्षमताओं के अनुकूलतम उपयोग, बिजली अंतर–राज्यिक तथा अंतर–राज्यिक विनिमय, उत्पादन अनुसूचीकरण तथा लेखांकन आदि से संबंधित पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड में बिजली प्रणाली मानीटरिंग तथा ग्रिड प्रचालन के लिए उत्तरदायी रहे। श्री वर्मा ने दो वर्ष तक पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टिटयूट तथा हाट लाइन ट्रेनिंग सेंटर पर मानव संसाधन प्रबंधन विकास तथा प्रणाली प्रबंधन का संचालन किया। श्री वर्मा को केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड तथा भोपाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्री वर्मा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, दामोदर घाटी निगम आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के शासी परिषद/निदेशक बोर्ड में भी रहे हैं।

श्री वी. एस. वर्मा
सदस्य
(23 फरवरी, 2009 से पदासीन हैं)

श्री एम. दीन दयालन (जन्म तिथि 22-फरवरी, 1950) को भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने का 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री दयालन ने अपने जीवन की शुरूआत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु (1972) में रसायन विज्ञान के व्याख्याता के रूप में की और फिर इण्डियन बैंक, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, में पदभार ग्रहण किया जहां इन्होंने विभिन्न कार्यकारी पदों पर लगभग 6 वर्ष तक सेवा की। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार में प्रवेश किया और 1978 में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में शामिल हो गए। श्री दयालन ने राज्यों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा–परीक्षा एवं लेखा देखरेख के मध्यम व वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

विशेष रूप से श्री दयालन ने हरियाणा और केरल में महालेखाकार के पद पर सेवा की है। इन्होंने दूरसंचार विभाग में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर भी कार्य किया है और इसे बीएसएनएल के रूप में निगम बनाए जाने के दौरान कार्य किया है। इन्होंने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, प्रशासन तथा राज्य राजस्व विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्रभारी निदेशक के पद पर सेवा की है।

गत 6 वर्षों से श्री दयालन वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार रहे हैं, जिसमें सभी विभाग अर्थातः राजस्व, व्यय, आर्थिक कार्य, वितीय सेवा एवं विनिवेश विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्य तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा, राज्यसभा, तथा उच्चतम न्यायालय सहित विविध विभाग शामिल हैं। ये 1994 से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद पर और 2006 से अपर सचिव के पद पर आसीन रहे हैं।

श्री दयालन ने सिंडिकेट बैंक में सरकार के नामिती निदेशक, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के बोर्ड के अंशकालिक सदस्य तथा भारतीय सुरक्षा मुद्रण एवं टकसाल निगम में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री दयालन गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं।

श्री दयालन रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा लीड्स विश्वविद्यालय, यू.के. से कारपोरेट वित्त में एमबीए की उपाधि से सम्मानित हैं।

श्री दयालन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा हनोई वियतनाम स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की लेखा परीक्षा में विविध एवं व्यापक अनुभव है।

श्री दयालन सरकारी सेवा से 26–02–2010 को सेवानिवृत्त हुए।

श्री एम. दीन दयालन
सदस्य
(04 मार्च, 2010 से पदासीन हैं)

4

पूर्व वर्ष-एक अवलोकन

4 पूर्व वर्ष–एक अवलोकन

यह वर्ष बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की सक्रिय पहल में महत्वपूर्ण गतिविधियों का साक्षी है।

वर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी संबंधी पर जून 2010 के विनियमों को जारी करना था। इन विनियमों ने पारेषण प्रणाली के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच इन पारेषण प्रभारों के आवंटन में एक मिसाल कायम की है। राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन. ई. पी.) तथा टैरिफ नीति (टी.पी) की उत्साही भावना से ही नई व्यवस्था विद्युत प्रवाह की दूरी, दिशा तथा मात्रा के प्रति संवेदनशील है। यह विद्युत क्षेत्र के विकास एवं प्रतिस्पर्धा की मांग तथा निर्बाध पहुंच की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाती है। अंतर–राज्यिक पारेषण स्कीम उपयोगकर्ताओं को वैज्ञानिक पद्धति पर आधरित पारेषण प्रणाली के लिए अब भुगतान करना होगा जो कि उनके उपयोग और पहुंच को ध्यान में रखती है। विद्युत प्रवाह की दूरी भौतिकी के नियमों के द्वारा विद्युत प्रवाह के रूप में विद्युतीय दूरी को दर्शाती है न कि **अनुबंध** पथ के द्वारा। उत्पादन और मांग प्रभारों के पृथकीकरण की दिशा संवेदनशीलता को ग्रहण किया जाता है। इन विनियमों द्वारा समुचित पारेषण प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए सिटिंग सिग्नल्स को प्रदान करने की भी संभावना जताई गई है। नये मूल्य पारेषण तंत्र के लागू होने के साथ ही जहाँ पारेषण प्रभार अवस्थापित रूप से अलग–अलग होते हैं, उत्पादको को पारेषण प्रभार तथा ईंधन की परिवहन लागत दोनों, पर ध्यान रखना होगा। कनेक्शन प्वाईंट पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र पहले के दौर की अनेक कमियों, विशेष रूप से, क्षेत्रों के बीच प्रति–सहायिकीकरण तथा प्रभारों के पेनेकिंग की कमियों पर काबू पाता है।

वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण विनियामक पहल केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सी.टी.यू.) को आई.एस.टी. एस. के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने संबंधी विनियमों की जानी थी। इस पहल के साथ ही राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रत्याशित पारेषण की आवश्यकता को पहचानकर, जो प्रणाली में घटित हो सकती है, नेटवर्क के विस्तार करने के लिए सी.टी.यू. /एस.टी.यू. की आवश्यकता संबंधी महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य पूरा हुआ है। ये विनिमय पूरे क्षेत्र में या उसके भीतर बिजली की विश्वसनीय, दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रवाह को समर्थ करने के लिए सी.टी.यू. द्वारा पहचाने गए प्रणाली सुदृढीकरण उन्नयन के लिए आई.एस.टी. एस. पर भी लागू होते हैं। इन विनियमों के अनुसरण मे, आयेग ने 58000 करोड़ रूपये की सीमा तक शामिल नौ उच्च क्षमता विद्युत पारेषण कारीडोर के निष्पादन के लिए विनियमन की मंजूरी दी है। यह विनियामक अनुमोदन अपनी तरह का एक ही है तथा एक व्यापक तरीके से स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लिए एकीकृत पारेषण प्रणाली विकसित करने के लिए आयोग की दृढ़ निश्चयता को दर्शाता हैं

आयोग द्वारा देश में ग्रिड के प्रचालन में कठोर अनुशासन लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारतीय विद्युत संहिता (आई.ई.जी.सी.) ग्रिड और अनुसूचित विनिमय (यू. आई) के नियमों में संशोधन के माध्यम से इस संदेश को सभी को और अधिक जोरदार ढंग से किया गया है कि बिजली में ट्रेडिंग के लिए यू. एल. का एक मार्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रचालन के अनुमेय आवृत्ति बैंड की रेंज को पहले 49.2–50.3 हर्टज सीमा से 49.5–50.2 हर्टज किया गया है। तदनुसार, अनुसूची से विचलन के लिए प्रभारों को भी विचलन के 40 फीसदी अतिरिक्त यू.आई प्रभार के रूप में एक संतुलन के साथ बढ़ाया गया है जब आवृत्ति 49.5 हर्टज से कम हो और अतिरिक्त यू.आई. प्रभार 100 फीसदी हो जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम हो। इन नियमों के लागू होते ही ग्रिड का प्रचालन और अधिक स्थिर, सुरक्षित और मितव्ययी होने की सेभावना है।

आयोग ने कई पहलों के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। ग्रिड संयोजकता मुख्य धारा वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए हमेशा एक बाधा बनी हुई है। ग्रिड एकीकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों तथा 50 मेगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले अन्य उत्पादन केन्द्रों के लिए सी.टी.यू. की संयोजकता को सुकर बनाने के लिए आयोग ने अपने संयोजकता विनियमो को संशोधित किया। हाइड्रो या 50 मेगावाट और इसके अधिक की क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संयोजकता के लिए सी.टी.यू. से अनुराध कर सकते हैं।

आयोग ने जनवरी, 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र आर.ई.सी. जारी किए थे। आर.ई.सी. तंत्र की नवीकरणीय ऊर्जा और इस क्षेत्र में उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जाता है। यह उच्च क्षमता के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और संसाधन की कमी वाले राज्यों द्वारा नवीकरणीय क्रयबाध्यता के साथ अनुपालन के दोहरे उद्देश्य पर ध्यान देता है। इस महत्वपूर्ण ढांचे को भारत में हरित ऊर्जा के विकास में एक नए युग के अग्रदूत के रूप में औपचारिक रूप से नवम्बर 2010 में शुरू किया गया। आर.ई.सी. पर पहला व्यापारिक सत्र 31 मार्च, 2011 को आयोजित किया गया था। इस ढांचे के कार्यान्वयन को दुनिया भर में पणधारियों द्वारा गहरी रूचि के साथ देखा जा रहा है।

वर्ष के दौरान आर.ईसी. बाजार में मुनाफा कमाने के लिए पी.पी.ए. का उल्लंघन करने पर उत्पाद्क के लिए विकृत प्रोत्साहन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आर.ईसी. से संबंधित विनियमों को भी संशोधित किया गया। ये संशोधन आर.ई.सी. तंत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित कैप्टिव उत्पादकों की भागीदारी की गुंजाइश को भी परिभाषित करते है।

आयोग ने अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतवर्ती पारेषण सुविधा के उपयोग के लिए दरों, प्रभारों तथा निबंधन तथा शर्तो को विनिर्दिष्ट करने वाले महत्वपूर्ण विनियमन जारी भी किए हैं। इन विनियमों के साथ अंतवर्ती पारेषण का उपयोग सरल हो जाएगा और निबंधनों तथा शर्तो, जिसमें अंर्तवर्ती प्रणाली के उपयोग के लिए दरें तथा प्रभार भी सम्मिलित हैं, का व्यवस्यापन सुकर होगा दीर्घ काल में, इससे राज्यों और क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध प्रवाह सुकर होगा।

आयोग द्वारा वर्ष 2009–14 के लिए जारी किए गए जलविद्युत परियोजनाओं के पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों को प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा टैरिफ शर्तों और नियमों को जारी किया गया। निवेशकों नें यह आशंका व्यक्त की है कि आयोग द्वारा अग्रिम में पूंजी लागत के अनुमोदन उपबंध के अभाव में परियोजनाओं की वित्तीय समापन अनियत हो सकता है। इस डर निराकरण के लिए, आयोग ने जल विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का पुनरीक्षण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए और अपनी पूंजी लागत की संवीक्षा के लिए स्वतंत्र अभिकरणों का पैनल भी बनाया।

लागत प्लस के दौर में, पूंजी लागत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी लागत के विनियामक अनुमोदन की प्रक्रिया में, मजबूती लाने के लिए टैरिफ के अवधारण के उद्देश्य से पूंजीलागत के विकसित मानदण्ड की परिकल्पना के लिए सी.ई.आर.सी. द्वारा नीतियों और विनियमों को तैयार किया गया। वर्ष के दौरान आयोग ने पारेषण के लिए मानदंडित पूँजीगत लागत को विकसित किया।

सदस्य, सी.ई.आर.सी. की अध्यक्षता में सशक्त समिति पारेषण में प्रतिस्पर्धा बोली– प्रक्रिया को सुकर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस वर्ष के दौरान, जहां प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कीमते निर्धारित हो रहीं थीं। वही सशक्त समिति ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बोली को सुकर बनाया। इन सभी मामलों में, लागत टैरिफ की तुलता में खोजपूर्ण कीमतें और अधिक कुशलता से स्थापित हो पाईं।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोग के लिए भारत सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। वर्ष के दौरान आयोग ने निर्बाध पहुंच, व्यस्ततम विद्युत संयंत्रों की जरूरत, नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र आदि के लिए पारेषण में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धात्मक उपाप्ति की आवश्यकता संबंधी अनेक मुद्दों पर सलाह दी।

आयोग की भूमिका विनियामकों के फोरम (एफ.ओ.आर.), भारतीय विनियामकों के फोरम (एफ.ओ.आई.आर.) और दक्षिण एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर विनियमन फोरफ (एस.ए.एफ. आई.आर.) की गतिविधियों में अपनी भागीदारी के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हुई है। विद्युत अधिनियम 2003, राज्यों में नियमों के लिए आम सहमति और एक सामंजस्य पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एफ.ओ.आर. के एक जिम्मेदार संस्था के रूप में परिकल्पना करता है। फोरम की अध्यक्षता, अध्यक्ष के.वि.वि.आ. द्वारा की जाती है और इसके सदस्य राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। के.वि.वि.आ. फोरम के लिए सचिवालय प्रदान करता है और वर्ष के दौरान, इस भूमिका में, के.वि.वि.आ. ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे निर्बाध पहुँच वितरण कंपनियों की व्यावहारिकता, उपभोक्ता संरक्षण, प्रदव्यसहिंता वितरण फ्रेंचाइजी आदि पर मॉडल दिशानिर्देश तथा विनियम विकसित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है।

भारतीय विनियामक संघ फोरम (एफ.ओ.आई.आर.) एक सोसाइटी है, जो 1999 में, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नियामकों के प्रतिनिधित्व के साथ गठित हुई। एफ.ओ.आई.आर. के सदस्यों में विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ए.ई.आर.ए.,भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सी.सी.ई. और प्रमुख बन्दरगाहों के टैरिफ प्राधिकरण, प्रतियोगिता व विनियमन के लिए कट्स संस्थान, तथा ऊर्जा व संसाधन संस्थान टी.ई.आर.आई आदि भी शामिल हैं। के.वि.वि.आ.ने एफ.ओ.आई.आर.के सचिवालय के रूप में विभिन्न विनियात्मक प्राधिकरणों के बीच प्रतिकूल–कार्यात्मक विचारों तथा अनुभवों के आदान–प्रदान के सहायता प्रदान की है।

यद्यपि एफ.ओ.आर. तथा एफ.ओ.आई.आर. देश के भीतर विनियामकों को शामिल करते हैं। तथापि एस.ए.एफ. आई.आर. एक संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों और विद्युत के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के सदस्यों को शामिल करता है। एस.एफ.आई.आर. एक संगठन है जो पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विनियामकों के लिए पारस्परिक लाभ और बेहतर निर्णय लेने के अनुभवों को बाँटने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्ष के दौरान के.वि.वि.आ. ने एस.ए.एफ.आई. आर. के सचिवालय के रूप में दिसम्बर 2010 में काठमांडू (नेपाल) दक्षिण एशिया में, हरित ऊर्जा पहल पर एक कार्यशाला का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5

उपभोक्ताओं को लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

5 उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

5.1. उपभोक्ताओं को लाभ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जो सभी भागीदारों हितधारकों के प्रति उचित, पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। सी.ई.आर.सी. द्वारा उपभोक्तोओं के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई निम्नलिखित पहल हैं:–

अ. हरित ऊर्जा

- विद्युत ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देने वाली हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड कनेक्टीविटी को सुविधाजनक बनाया है तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के लिए ढाँचा तैयार करता है।
- इस प्रकार की पहल मुख्यधारा नवीकरणीय ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायता करेगी जिससे प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर हरित ऊर्जा की उपलब्धता के सन्दर्भ में उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- ये दीर्घकाल में ऊर्जा निश्चिन्तता को सुनियत करने तथा जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध उपभोक्ताओं का बचाव करने।

ब. ग्रिड अनुशासन

- आयोग आदेश देता है कि ग्रिड की स्थिर और सुरक्षित कार्य प्रणाली को सुनियत करना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध रीति से विद्युत प्रवाह को नियत किया जा सके।
- आयोग ग्रिड अनुशासन को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की तथा भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) तथा अनुसूचित विनिमय को सुदृढ करता है।
- इसके द्वारा उपभोक्ताओं को उत्तम श्रेणी की विद्युत आपूर्ति देने की संभावना जताई गई है।

स. उपभोक्ता के लिए विकल्प चयन की सुविधा

- विद्युत अधिनियम 2003 निर्बाध पहुँच की रूपरेखा के लिए उपबंध करता है जो कि उपभोक्ताओं को आपूर्तिकर्ताओं को चुनने के लिए समर्थ बनाता है।
- आयोग ने क्षेत्रों और राज्य भर में विद्युत प्रवाह को बाधित करने के लिए एस.एल.डी.सी, उपयोगिताओं और हितधारकों की कथित कारवाई के खिलाफ आदेश पारित किया है।

- आयोग द्वारा जारी अंतवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए दरें प्रभार तथा निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने वाले विनिमयों से निर्बाध पहुँच मॉडल विनियमों की सुगमता की आशा जताई जा रही है।
- एफ.ओ.आर. द्वारा वितरण में निबार्ध पहुँच संबंधी विकसित किए गए है। इससे अंत उपभोक्ताओं द्वारा निबार्ध पहुँच की मांग के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के मामलों में स्पष्टतता लाता है।

5.2. क्षेत्र का विकास

- क्षेत्र का विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

अ. नया पारेषण मूल्य निर्धारण ढांचा

- प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पी.ओ.सी.) पारेषण प्रभार संबंधी पर विनियमों, का उद्देश्य ऊर्जा बाजार के विकास की उभरती जरूरतों, प्रतिस्पर्धा और निर्बाध पहुंच की उभरती हुई आवश्यकता को संबोधित करता है।
- इस प्रक्रिया के द्वारा प्रभारों के पैन केकिंग प्रभाव और क्षेत्रों के बीच की पूर्व पद्धतियों की त्रुटियों को दूर किया जाएगा।
- नई पारेषण मूल्य निर्धारण पद्धति बहु लाईसेंस बहु उपयोक्ता प्रणाली को संबोधित करती है।
- अंतर राज्यिय पारेषण योजना के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन :–
- अन्तर राज्यिक पारेषण योजन के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन प्रदान करने संबंधी विनिमय सी.टी.यू. को नेटवक्र विस्तार करने, प्रणाली को सुदृढ़ तथा उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति के परिप्रेक्ष्य का अहसास करवाने में मदद करेंगें तथा संपूर्ण क्षेत्रों के भीतर विद्युत के विश्वसनीय, दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी प्रवाह को सुनियत करेंगे।

ग्रिड अनुशासन

- आवृत्ति बैंड को कड़ा करने और यू.आई दरों में वृद्धि द्वारा ग्रिड के प्रचालन में वांछित अनुशासन लाने की संभावना जताई गई है।
- यह वितरण कंपनियों को विद्युत की प्रापण योजना के लिए भी बाध्य करेगा।

हरित ऊर्जा

- आयोग द्वारा की गई पहल से 50 मेगावाट और इससे अधिक के हाइड्रो तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए सी.टी.यू. को ग्रिड की संयोजकता के लिए सुकर बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की संभावना जताई जा रही है तथा यह

दीर्घकाल तक देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगी।

- इस वर्ष के दौरान प्रतिस्पर्धा और अंततः मुख्यधारा नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र आयोग की एक बड़ी पहल है।

पारेषण में प्रतिस्पर्धा

- सदस्य सी.ई.आर.सी. की अध्यक्षता में सशक्त समिति पारेषण पारेषण में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को सुकर किया है।
- प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खोजी कीमतें पारेषण के लिए लागत प्लस टैरिफ की तुलना अधिक प्रभावशाली थी।

6

विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियाँ

6 विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियाँ

केन्द्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है–

1. विनियमों को अधिसूचित करता है;
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है–
   - → टैरिफ निर्धारित करना
   - → अनुज्ञप्ति जारी करना
   - → याचिकाओं की पुनर्विलोकन और विविध याचिकाएं।

6.1 विनियमों के लिए प्रक्रिया

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर, जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारिवृन्द स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से टीका–टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

टीका–टिप्पणी की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। प्राप्त टीका–टिप्पणियों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किया जाता है। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रास्य विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से

टीका–टिप्पणी मांगने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। टीका–टिप्पणियों की प्राप्ति और उन पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

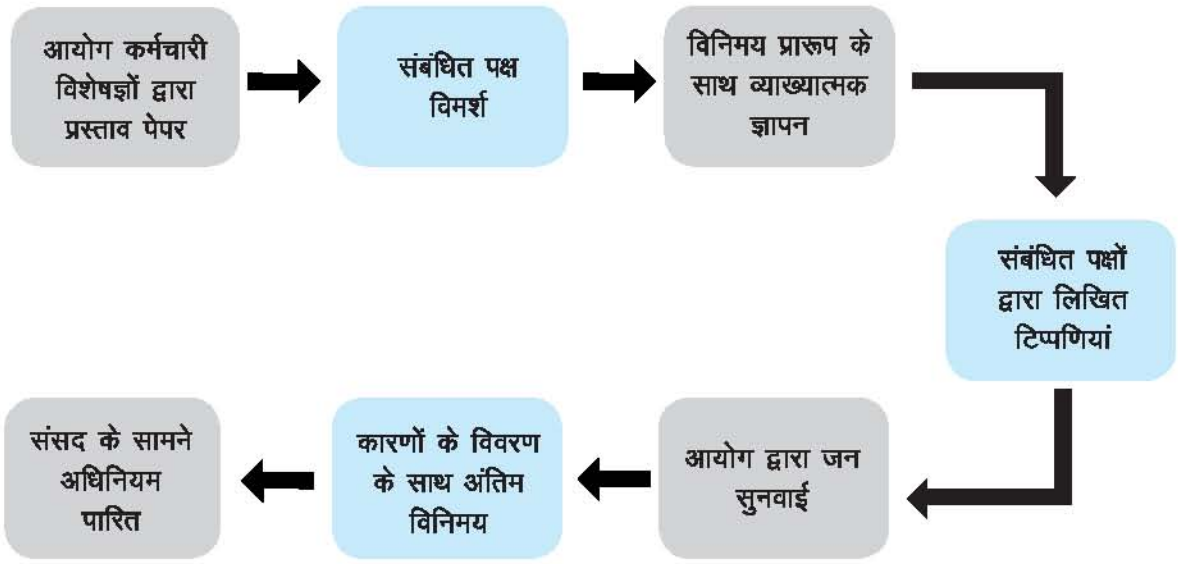

चित्र.1 पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के द्वारा प्रतिपादित विनिमय

6.2 याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं–

- उत्पादन और पारेषण (ट्रांसमिशन) के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
- विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने;

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं–

- विविध याचिकाएं
- पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं की प्रति की सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदक से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइड पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा की जाती है। तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तक्र प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

6.3 टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

के.वि.वि.आ. के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., एन.एल.सी. और नीपको का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। के.वि.वि.आ. को, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एंव शर्तों का तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम 2003, (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात् आयोग ने मार्च, 2004 में और पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् 2004–09 के लिए नए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा पारेषण टैरिफ लाइन या प्रणाली–वार निर्धारण का उपबंध है।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदण्ड और तकनीकी मानदण्ड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आरंभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक।

थर्मल केन्द्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए

संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ में लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और (सकल कैलोरी मूल्य) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ये केन्द्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और विक्रेता केन्द्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरूपयोग नहीं करते हैं।

7

वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

7 वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

7.1 कानूनी कार्यवाही

वर्ष 2010–11 के दौरान, 277 याचिकाओं को गत वर्ष 2009–10 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा 01–04–2010 से 31–03–2011 के दौरान 335 याचिकाएं दायर की गई जिससे याचिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 612 हो गयी। इनमें से 249 याचिकाएं वर्ष 2010–11 के दौरान निपटा दी गयी। इसके अतिक्ति, 15 अंर्तवर्ती आवेदनों को गत वर्ष 2009–10 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा, 32 अंर्तवर्ती आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 22 आवेदनों को निपटा दिया गया है। याचिकाओं का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

7.2 वर्ष 2010–11 के दौरान प्रमुख निर्णय

7.2.1 अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क और घाटा सहभाजन पर विनियमन (केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग) (अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क और सहभाजन) विनियम, 2010 दिनांक 15-06-2010

वर्तमान में पारेषण निवेश में अनश्चितता का सामना कर रहे हैं और यह पारेषण प्रणाली के सभी लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित पावर ट्रांसमिशन (बीपीटीएएस) थोक ऊर्जा पारेषण करारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। नये प्रस्तावित तंत्र के आधीन सभी आईएसटीएस उपभेक्ता (डीआईसी) पारेषण सेवा के करार के स्वतः हस्ताक्षकर्ता है। जिसके लिए एनडीआईसी को प्वाइंट ऑफ कनेक्शन प्रभार के भुगतान की आवश्यकता होती है, जिसमें पारेषण लाइसेंसधारियों के राजस्व शामिल होते हैं। इस वाणिज्यिक व्यवस्था से पारेषण निवेशों के वित्तीय समापन में भी सुविधा होगी। उत्पादन ओर मांग के ग्राहकों के बीच का अन्तर विशुद्ध पारेषण शुल्क के माध्यम से डीआईसी को सिटिंग संकेत प्रदान करेगा। उत्पादकों का वर्तमान निर्णय सिर्फ ईंधन परिवहन लागत पर आधारित है। नए पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र के कार्यान्वयन के साथ जहां पारेषण प्रभार स्थानिक रूप से भिन्न भिन्न हैं वहां उत्पादकों को विद्युत की पारेषण लागत और ईंधन की परिवहन लागत दोनों पर रखना होगा। प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र टैरिफ नीति की आवश्यकताओं उपयुक्त और इसे एक प्रतिस्पर्धी बाजार की आवश्यकताओं के भी अनुरूप बनाता है। प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) तंत्र को पहले से ही भारत में विद्युत विनिमय पर आधारित लेन देनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतर केवल इतना है कि मौजूदा पारेषण पर लागू विनिमय आधारित लेनदेन स्थानिक रूप से भिन्न भिन्न नहीं थे। इसके अलावा इस तरह के प्रभारों को सभी प्रकार के दीर्धकालिक अवधि, मध्यमकालिक अवधि और अल्प अवधि के लेनदेन पर लागू करने की आवश्यकता है – उन सभी के सहित जो कि विद्युत विनिमय होने पर प्रकट होते हैं। पारेषण प्रभारों की गणना अंतर्निहित संसाधनों के ग्रिड अभिग्रहण प्रयोग से विभिन्न उत्पादकों तथा मांग उत्पादकों की अवस्थिति पर की जाती है और 61वे अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) आधारित पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र विद्युत बाजारों के एकीकरण को सुकर बनायेगा ओर पारेषण प्रभारों के पेनकिनिंग की अवश्यकताओं के निराकरण के द्वारा निर्बाध पहुँच और प्रतिस्पार्धा को बढ़ाने में सुविधा देगा। यह पारेषण प्रणाली में भार के प्रवाह में मौसमी और दैनिक परिवर्तनों का भी ध्यान रखता है। आयोग ने 16–06–2010 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक (पारेषण प्रभारों तथा हानियों की भागीदारी) विनिमय, 2010 को अधिसूचित किया है। इन विनियमों को 01–07–2011 से लागू किया गया है।

7.2.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिताओं को अंतराज्यिक पारेषण योजना के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन को प्रदान करना) विनियम, 2010 दिनांक 07-06-2010

केन्द्र की उपधारा (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के द्रव्य विहित किये गये हैं। भार केन्द्रों को उत्पादन केन्द्रों विद्युत के सुधारों प्रवृद्धि के लिए अन्तर–राज्यिक पारेषण लाईनों कि दरों, समन्वित तथा मित्तव्ययी प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38 राष्ट्रीय विद्युत नीति का पैरा 5.3.2 यह उपबंधित है कि "नेटवर्क का विस्तार अपेक्षित पारेषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तथा कार्यान्वित होना चाहिए जो निर्बाध पहुँच प्रणाली में एक आकस्मिकता बन सकती है। लाभार्थियों के साथ पूर्व समझौता नेटवर्क विस्तार के लिए एक पूर्व शर्त नहीं होगी। सीटीयू/एसटीयू को हितधारकों के साथ परामर्श करके आवश्यकताओं की पहचान करने तथा विनियामक अनुमोदन के बाद का नेटवर्क विस्तार करना चाहिए।"

नेटवर्क के विस्तार को राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप बनाने के लिए केन्द्रीय पारेषण केन्द्र को विनियामक अनुमोदन के अनुसार बनाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को अंतराज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन को अनुदान) विनियम 2010 को 07–06–2010 को अधिसूचित किया गया है। ये विनियम केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रस्तावित आईएसटीएस योजनाओं पर लागू हैं जिसके लिए उत्पादकों ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अतंराज्यिक पारेषण के लिए संयोजकता दीर्घकालिक पहुँच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम 2009 के अनुसार दीर्घ अवधि के उपयोग की मांग की है और जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा लाभार्थियों, जिनकी पहचान आईएसटीएस योजना की स्थापना के लिए की गयी, के साथ परामर्श किया गया, परन्तु जिसके लिए लाभार्थियों के साथ किये गये विद्युत खरीद समझौते पर आवेदन की तारीख पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। केन्द्रीय पारेषण केन्द्र द्वारा अभिज्ञात क्षेत्र के भीतर और पूरे क्षेत्र में विद्युत का विश्वसनीय, कुशल, समन्वित और किफायती प्रवाह जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और लाभार्थियों, जिनकी पहचान की गई, के साथ परामर्श करके प्रणाली को मजबूत/उन्न्त बनाते के लिए आईएस टीएस योजनाओं पर भी लागू है। ये नियम उन आईएसटीएस योजनाओं पर लागू नहीं है जिसके लिए लाभार्थियों/संबंधित एसटीयू ने पारेषण प्रभार के सहभाजन करने के लिए पहले से ही थोक विद्युत पारेषण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

7.2.3 भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) और अनिर्धारित इंटरचेंज (यूआई) विनियमों में संशोधन - (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग) (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 दिनांक 23-04-2010 तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनिर्धारित इंटरचेंज प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) (संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 28-04-2010।

काफी परामर्श तथा सार्वजनिक सुनावाई के पश्चात् के.वि.वि.आ. द्वारा आज नये भारतीय विद्युत ग्रिड कोड तथा अनिर्धारित इंटरचेंज विनियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। ये 03–05–2010 से लागू किये गये हैं। जहाँ एक ओर नये ग्रिड कोड ग्रिड के साथ नवीकरणीय स्रोतों के विशाल एकीकरण को सुविधाजनक बनायेगें, वहीं दूसरी ओर सशोधित अनिर्धारित इंटरचेंज विनियम सख्त ग्रिड अनुशासन को लाये हैं।

नये भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता ने निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किये हैं:

1. नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत की काफी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुविधजनक बनाने, नये सौर ऊर्जा संयंत्र के मामले में कार्यक्रम के सभी उतार चढ़ाव तथा नये पवन ऊर्जा संयंत्र के मामले में 30 प्रतिशत के भीतर उतर चढ़ावों के वित्तीय बोझ को अंतर्राज्यीय ग्रिड उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार उतार चढ़ावों से इन परियोजना निर्माताओं तथा मेजबान राज्यों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

2. कार्यात्मक आवृत्ति बेंड को आगे 50.3 हट्र्ज –49.2 हट्र्ज से 50.2 हर्ट्ज–49.5 हट्र्ज तक सीमित कर दिया गया। इसके द्वारा उत्पादन स्टेशन तथा उपयोग कर्ता उपकरण जैसे रेलवे ट्रेक्शन मोटर्स तथ एग्रीकल्चरल पंप सेट के बेहतर निष्पादन को सुनियत करना लक्षित है।

3. भार प्रेषण केन्द्र के मामले में नियंत्रण क्षेत्र का क्षेत्राधिकार संशोधित किया गया। 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता की दीर्घअवधि के पीपीए वाले मेजबान राज्य को छोड़कर एक से अधिक राज्यों को आपूर्ति करने वाले स्टेशन अब क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के डोमेन होंगे। यह नई उत्पादन क्षमताओं में बड़े निजि निवेश को सुविधाजनक बनायेगा

4. वितरण केन्द्रों सहित अंतर्राज्यीय ग्रिड के सभी उपयोगकर्ताओं के अलावा राज्य भार प्रेषण केन्द्र ग्रिड अनुपालन और भार प्रबंधन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। केन्द्रों के लिए अगले वर्ष से स्वतः भार प्रबंधन योजनाओं को तैयार और लागू करना अनिवार्य किया गया है।

यू आई नियमों में संशोधनों ने निम्न परिवर्तन किये हैं:

1. विद्युत लेनदेन संगठित विद्युत बाजारों की ओर अधिक करने के क्रम में और आगे विद्युत की बिक्री के लिए यूआई तंत्र (प्रणाली) के असमर्थित उपयोग के लिए अंडरड्रॉल्स तथा अनुमेय मात्रा से अधिक मात्रा को हतोत्साहित किया गया है और कीमतों को कम किया गया। यह संगठित विद्युत बाजारों में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

2. भारी ओवर ड्रॉ और अन्यों को उनकी वैध तरीके से खरीदी बिजली से वंचित करने पर कुछ राज्यों की प्रवृत्ति पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए 49.2 हर्ट्ज के बजाए 49.5 हर्ट्ज से कम ग्रिड आवृत्ति पर सामान्य यूआई दरे (8.73 रुपये प्रति यूनिट) पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त यूआई प्रभार लागू किया गया। इसके आगे ओवर ड्राल्स पर अनुकरणीय निवारक के रूप में, जब ग्रिड आवृति 49.2 हर्ट्ज से कम हो तब ओवर ड्रल्स पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त यूआई दर निर्दिष्ट की गयी है।

3. यू आई प्रभार का भुगतान समय पर सुनियत करने के लिए, कोई भी केन्द्र जो एक बार भी भुगतान से चुक गया हो, सिस्टम आपरेटर के पक्ष में ऋण–पत्र को खोलना अनिवार्य कर दिया गया।

4. यूआई खाते में भुगतान राशि को पहले देय ब्याज राशि की दिशा में समायोजित किया जाएगा। यह यूआई भुगतान के बकायों को भी कम करेगा।

5. विभिन्न आवृतियों पर विभिन्न यूआई दर संगणित करने के लिए विकसित और नियमों में निर्दिष्ट रूप से दी गई विधियां अधिक से अधिक पारदर्शिता ला रही है।

7.2.4 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति के विनियमन) विनियम, 2010 दिनांक 30-09-2010, राज्य केन्द्रों द्वारा भुगतान के बकाये के मामले में

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति विनियमन) विनियम, 2010, राज्य केन्द्रों द्वारा भुगतान के बकाये के माले में, तैयार करके केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र केन्द्र (सीपीएसयू) को देय राशि के भुगतान में होने वाली चूक को संभालने के लिए कदम उठाये हैं। यह विनियम 30–09–2010 को अधिसूचित किया गया है। उसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. विद्युत आपूर्ति का विनियमन तभी लागू होगा तब यदि अनुबंधित पा अपने अनुबंध से सहमत हों।

2. पारेषण लाइनों/आईसीटी खोलने के द्वारा विनियम के कार्यान्वयन में कठिनाईयों को देखते हुए बिजली आपूर्ति के बाह्य व्यवस्थापन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यह वाणिज्यिक व्यवस्था के माध्यम से ही लागू किया जाता है। पूर्व प्रक्रिया की तुलना में इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन सरल है इसके कार्यान्वयन के लिए कम समय की आवश्यकता होगी।

3. बकाया राशि के गैर भुगतान के मामले में बिजली की आपूर्ति के विनियम की दोषी इकाई की प्रापण अनुसूची को कम करके प्रभावी बनाया गया है। इस अतिरिक्त बिजली को बाजार में अन्य लाभार्थियों अथवा अन्य खरीदारों को बेचा जा सकता है। बिक्री से प्राप्त राजस्व को विनियमन संस्था को ऊर्जा शुल्क और अन्य प्रभारों की कटौती के बाद दिया जाता है।

4. विद्युत बाजार के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि के निपटान के लिए व्यावसायिक सिद्धात विनियमन में निर्दिष्ट हैं। आय की कमी वाले बाजार की परिस्थिति में विद्युत को आसानी से दूसरे खरीददार को बेचा जा सकता है। इससे पहले गैर एवीटी व्यवस्था में इस प्रकार का प्रबंध करना संभव नहीं था।

5. लाभार्थियों द्वारा बकाये के गैर भुगतान के अलावा ऋण पत्र के गैर रखरखाव के लिए भी यह प्रक्रिया लागू होती है। पूर्व प्रक्रिया में केवल

बकाये के गैर भुगतान की स्थिति में ही विद्युत आपूर्ति के नियंत्रण का प्रावधान था। ऋणपत्र के गैर रखरखाव की स्थिति में विद्युत आपूर्ति के नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं था।

7.2.5 संयोजकता विनिमय के लिए संशोधन

जल विद्युत स्टेशनों और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित अन्य उत्पादन स्टेशनों के लिए उपलब्ध ग्रिड कनेक्टिविटी आसान बनाने के उददेश्य से के.वि.वि.आ.ने एक महत्वपूर्ण नियामक पहल की है। यद्यपि थर्मलपावर स्टेशनों को अंतर्राज्यीय ग्रिड से जोड़ने के लिए थ्रेशहोल्ड क्षमता 250 मेगावाट हे, पर थ्रेशहोल्ड को जल विद्युत स्टेशनों और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित अन्य उत्पादन स्टेशनों के लिए कम करके 50 मेगावाट किया गया है

जल विद्युत स्टेशनों और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित अन्य उत्पादन स्टेशनों जिनकी व्यक्तिगत स्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम है परन्तु केन्द्रीय पारेषण केन्द्र (पावरग्रिड) से 50 मेगावाट तथा इससे अधिक की कुल स्थापित क्षमा के साथ सामूहिक रूप से सम्पर्क करते हैं, की अंतर्राज्यीय ग्रिड से कनेक्टिविटी स्वीकृत करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तन किया गया है। उदाहरण के लिए क्रमशः 30 मेगावाट ओर 20 मेगावाट की क्षमता वाले दो जल विद्युत उत्पादन स्टेशन सामुहिक रूप से अंतर्राज्यीय ग्रिड से एकल कनेक्शन प्वांइट से कनेक्टिविटी ले सकते हैं। यदि वे इन दोनों स्टेशनों के लिए एक ही प्रमुख उत्पादक के माध्यम से प्रचालन तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए सहमत होते हैं।

के.वि.वि.आ. द्वारा ये परिवर्तन प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए किये गये कि अनेक स्टेशनों विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में राज्य पारेषण केन्द्र वर्तमान में इस स्थिति में नहीं है किवे अपने तंत्रों की कनक्टिविटी का विस्तार कर सकें ओर उनकी यह कठिनाई जल विद्युत स्टेशनों तथा नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित स्टेशनों के विकास को बाधित करती है।

उपरोक्त निर्णयों को लागू करने के लिए के.वि.वि.आ. ने गिड कनेक्टिविटी विनियमों के अनुदान में संशोधन किये गये हैं।

7.2.6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरित पारेषण सेवाओं के प्रयोग के लिए मूल्य, प्रभारों तथा नियम व शर्तें) विनियम, 2010 दिनांक 23-09-2010

विद्युत अधिनियम 2003 का अनुभाग 35 मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के प्रयोग को उपलब्ध करवाता है।

"35. अंतरित पारेषण सुविधाएं: समुचित आयोग किसी भी लाइसेंस धारक द्वारा एक आवेदन पर किसी भी अन्य लाइसेंसधारी, जो स्वयं के लिए अथवा अंतरित पारेषण सुविधाओं का प्रचालित कर रहा हो, को आवश्यकता पड़ने पर आदेश के द्वारा ऐसे लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमता की सीमा तक इन सुविधाओं के उपयोग को प्रदान कर सकता है।

बशर्ते लाइसेंसधारी के पास उपलब्ध अधिशेष (अतिरिक्त) क्षमता की सीमा से संबंधित किसी भी विवाद में निर्णय उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाएगा।"

अनुभाग 36. अंतरित पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारों (शुल्कों) को प्रदान करता है।

"36. अंतरित पारेषण सुविधाओं के प्रभार (शुल्क) — (1) प्रत्येक लाइसेंसधारक अनुभाग 35 के तहत बने एक आदेश पर, अपनी पारेषण सुविधाओं को आपसी सहमति पर निधारित मूल्यों, प्रभारों तथा नियम व शर्तों पर उपलब्ध करवायेगा।

बशर्ते उपययुक्त आयोग भी मूल्यों (कीमतों) प्रभारों तथा नियम व शर्तों को निर्धारित कर सकता है यदि ये लाइसेंस धारकों द्वारा आपसी सहमति पर निर्धारित नहीं होते तो।"

(2) उप–धारा (1) में निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभारों तथा दरों में निर्दिष्ट मूल्य, प्रभार तथा नियम शर्तें स्पष्ट तथा तर्कसंगत होनी चाहिए और इस प्रकार की सुविधाओं के प्रयोग के अनुपात में आबंटित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण :– अनुभाग 35 तथा 36 के प्रयोजनार्थ "अंतरित पारेषण सुविधाओं" से आशय "स्वामित्व वाली विद्युत लाइनें अथवा एक लाइसेंस धारक द्वारा संचालित जहां इस प्रकार की विद्युत लाइनें विद्युत पारेषण के लिए उपयोग की जा सकती है तथा अन्य लाइसेंसधारक की प्रार्थना के आधार पर तथा एक टैरिफ अथवा प्रभार के भुगतान" से है।

अनुभाग 36 अंतरित पारेषण सुविधाओं के प्रयोग के लिए मूलय और प्रभार तथा नियम व शर्तें प्रदान करने के लिए विनियमों को बनाने का आदेश देता है। यह इस बात का भी आदेश देता है कि मूल्य, प्रभार तथा नियम व शर्तें स्पष्ट एवं तक्रसंगत होनी चाहिए तथा ऐसी सुविधाओं के प्रयोग के अनुपात में आबंटित की जा सकती हैं। इन वैधानिक जिम्मदारियों के निर्वहन के लिए आयोग ने अंतरित पारेषण सुविधाओं के प्रयोग के लिए मूल्यों, प्रभारों तथा नियम व शर्तों तथा परिस्थितियों पर अनुभाग 36, जिसे अनुभाग 178 (2) (आई) के पढ़ा जा सकता है, के तहत विनियम को अधिसूचित किया गया है।

7.2.7. जल विद्युत परियोजना की पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण के लिए दिशा निर्देश

एक जल विद्युत परियोजाना – निजी अथवा सार्वजनिक की पंजीगत लागत की तर्कसंगति को जानने हेतु आयोग ने जल विद्युत परियोजना की पंजीगत लागत के पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश प्रारूप तैयार किया तथा 30–04–2010 तक हितधारकों की टीका–टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 06–04–2010 को अपनी वेबसाइट पर इस प्रारूप को डाला है। आयोग ने एक सुनवाई को संचालित किया है तथा 02–08–2010 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। आयोग ने जल विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण के लिए नामित स्वंतत्र एजेंसियों/संस्थानों के पैनल बनाने के लिए अपनी रुचि दिखाने के अनुरोध संबंधी सूचना को अपनी वेबसाइट पर डालने के पश्चात एक आदेश दिनांक 14–09–2010 के तहत तीन स्वतंत्र एजेंसियों/व्यक्तिगत विशेषज्ञ का पैनल भी बनाया है। चार एजेंसियो ने अपनी रुचि दिखाई है।

7.2.8. (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के निर्गमन तथा मान्यता के नियम व शर्तों) पर विनियम (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010

आयोग ने जनवरी 2010 में विद्युत क्षेत्र के बाजार के विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के आदेश को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपसत्र अधिसूचना पर विनियम को अधिसूचित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र का संप्रत्यय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता तथा नवीकरणीय बाध्य खरीद को प्राप्त करने के महत्व को परिकल्पित करता है। इससे उन राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है क्योंकि नवीकरणी ऊर्जा प्रमाणपत्र ढांचा इस प्रकार के उत्पादकों के लिए अपनी लागत को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के बाजार को सृजित करने की अपेक्षा करता है।

यद्यपि अनेक स्थानों से मामले उठ रहे थे कि अधिमान्य (लागत प्लस) टैरिफ पर बिजली की बिक्री के लिए वितरण केन्द्रों के साथ एक मौजूदा पीपीए रखने वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक आरईसी तंत्र के माध्यम से लाभ कमाने के एक मात्र उददेश्य से मौजूदा अनुबंध को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके आगे आरईसी तंत्र में भागीदारी करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित कैप्टिव उत्पादकों की योग्यता के संबंध में संदेह तथा शंकाएं उठ रहीं थीं। गतलफहमी इस प्रश्न पर थी कि क्या कैप्टिव विद्युत निर्माता स्व–उपभोग करके आरईसी के लिए योग्यता रखते हैं तथा आरईसी द्वारा नये निवेशकों को नुकसान पर रखने से आरईसी का बाजार में कम कीमतों की बाढ़ आ जाने से संबंधित संभावनाओं के प्रति शंकाएं उठ रही थीं।

आरईसी विनिमय की योग्यता शर्तों से संबंधित इन मुददों पर ध्यान देने के लिए आयोग आरईसी विनियम में संशोधन के साथ सामने आया है। संशोधित विनियम में निम्नलिखित प्रावधान है:

- एक अधिमानय टैरिफ पर बिजली की बिक्री के लिए विद्युत खरीद समझौते में दाखिल एक उत्पादन कंपनी, समझौते के असामयिक समापन के मामले में, आरईसी योजना में, इस प्रकार के समझौते के समापन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा विद्युत खरीद समझौते के समाप्त होने की नियत तिथि जो भी पहले हो, भाग लेने के योग्य नहीं होगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव विद्युत निर्माता (सीपीपी) आरईसी योजना में भाग लेने के लिए स्व–उपभोग समेत ऐंसे संयंत्र से पूरी बिजली के उत्पादन के लिए इस शर्त के आधीन ही योग्य होंगे कि ऐसे कैप्टिव विद्युत निर्माता रियायती/प्रोमोशनल पारेषण अथवा बिलिंग प्रभार, बैंकिंग सुविधा का लाभ तथा विद्युत शुल्क का टूटना इत्यादि के रूप में किसी भी प्रकार के फायदे को नहीं लेते और न हीं इसे लेने का प्रस्ताव करते।
- यदि इस तरह का एक कैप्टिव विद्युत निर्माता यदि स्वयं रियायती पारेषण अथवा बिलिंग प्रभारों, बैंकिंग सुविधा लाभ तथा विद्युत शुल्क का टूटना इत्यादि लाभों को छोड़ता है तो वह ऐसे लाभों

को छोड़ने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात् ही आरईसी योजना में भाग लेने के लिए योग्य होगा।

- आरईसी योजना में कैप्टिव विद्युत निर्माताओं द्वारा भाग लेने के लिए उपरोक्त वर्णित शर्तें तब लागू नहीं होंगी यदि इस प्रकार के कैप्टिव विद्युत निर्माताओं को रियायती पारेषण अथवा बिलिंग प्रभार, बैंकिंग सुविधा लाभ तथा विद्युत शुल्क का छूटने आदि के रूप में दिये जा रहे लाभों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग और/अथवा राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया जाए।

7.2.9 टैरिफ के लिए पूंजीगत लागत को निर्देशितचिंह्नित करना

के.वि.वि.आ. (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम, 2009 मांग करता है कि पूंजीगत लागत पर निर्देशितचिह्न विनियामक आयोग द्वारा विकासित होंगे। आयोग ने निर्देशचिह्निन के लिए एक स्व–वैधीकृत मॉडल के निर्माण सहित पारेषण लाइन परियोजनाओं तथा उप स्टेशनों के लिए कदम उठाये हैं। ये मॉडल विकसित हो चुके हैं।

7.2.10 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ और प्रभारों से संभावित राजस्व की गणना करने की प्रकिया) विनियम, 2010 दिनांक 16-04-2010

अधिनियम का अनुभाग 61, आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तथा बताये गयें अधिनियम में वर्णित कारकों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तों को निर्दिष्ट करने का अधिदेश देता हैं। अधिनियम के अनुभाग 178(2) के तहत अधिकार प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2004 और 2009 को अधिसूचित किया है।

अधिनियम की धारा 62 प्रदान करती है कि उपयुक्त आयोग, अधिनियम के प्रावधानो के तहत एक उत्पाद कंपनी को एक वितरण लाइसेंसधारी, विद्युत के पारेषण, विद्युत की व्हींलिग तथा विद्युत की बिक्री के द्वारा आपूर्ति के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा। अधिनियम की धारा 79(1)(क) से (घ) में निहित कार्यों के संदर्भ में माना गया कि केन्द्रीय आयोग के लिए केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों, एक से अधिक राज्यों और विद्युत के अन्तर राज्य पारेषण में बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए संयुक्त योजना वाली उत्पादन कंपनियो के टैरिफ को निर्धारण करना आवश्यक हैं।

अधिनियम की धारा 62(5) निम्नलिखित के रूप में उपलब्ध हैं:-

"(5) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना के लिए जिन्हें वसूल करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाए, ऐसी प्रक्रिया का जो विनिर्दिष्ट जाए, पालन करें।"

तदनुसार, आयोग के अनुभाग 62 के उप अनुभाग (5) के तहत टैरिफ और प्रभारो से संभावित राजस्व की गणना करने की प्रक्रियाओ पर विनिमय जारी किये गये जिसके लिए आवश्यक है कि टैरिफ और प्रभारो से संभावित राजस्व की गणना करने के लिए उसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उत्पादन कंपनिया और पारेषण लाइसेंस धारक अधिनियम प्रावधानो और उसके अधीन बनाये गये नियमो के तहत वसूली के हकदार हो।

अधिनियम के धारा 61 के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानको के अनुसार टैरिफ और प्रभारों संगणना की जाती है। एक बार टैरिफ आदेशो के जारी होने पर केन्द्र उनके वास्तविक निष्पादन पर टैरिफ तथा प्रभारों की वसूली के हकदार होते हैं। यदि केन्द्र मानकों से बेहतर निष्पादन करते हैं तो अधिक कुशलता प्राप्त करने के कारण टैरिफ और प्रभारो के माध्यम से राजस्व की वसूली भी मानको से अधिक होगी। इसके विपरीत यदि केन्द्र मानदंडो को प्राप्त करने में असफल होता है तो हो सकता है कि वह अपने वार्षिक नियत प्रभारो की वसूली में सक्षम न हो। इन विनियमो का बनाने का उद्देश्य उपयोगिताओं केन्द्रो की कार्य निष्पत्ति पर नजर रखना है जोकि अगली टैरिफ अवधि के लिए मानको के निर्धारण में सहायक होगा। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि धारा अनुभाग 62(5) का क्षेत्र टैरिफ और प्रभारो से संभावित राजस्व की गणना करने के लिए प्रारूप को निर्दिष्ट करने तक सीमित है जो एक उत्पादन कम्पनी अथवा एक पारेषण लाइसेंसधारक को वसूली की अनुमति देता हैं। यह किसी भी तरीक से "मानकीय और वास्तविक से नीचे" के आधार टैरिफ निर्धारण पर पुनर्विचार का अधिदेश नहीं देता हैं।

7.2.11 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेड़िग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित मामलो के अनुदान की प्रक्रिया, नियम व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010 दिनांक 02-06-2010

आयोग ने अधिसूचना दिनांक 2 जून 2010 के द्वारा श्रेणी चतुर्थी के रूप में अंतर राज्य ट्रेड़िग लाइसेंस की नई श्रेणी को आरंभ करने तथा विद्युत (ऊर्जा) बाजार विनियम 2010 के आरंभ होने के पश्चात विद्युत बाजार के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणीयों के लाइसेंस के बीच व्यापार की मात्रा तथा उचित निबल आवश्यकता को पुनः संरेखित करने के लिए केविविआ (ट्रेड़िग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित मामलों के अनुदान की प्रक्रिया, नियम व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010 अधिसूचित किया। आयोग इस बात को ध्यान में रखता है कि जब प्रतियोगिता तथा मूल्य की खोज को प्रमुखता देने वाले बाजार के खिलाडी अधिक संख्या में होते हैं तो बाजार कुशलता से कार्य करते हैं। एक अध्ययन बताता है कि द्विपक्षीय व्यापार में केवल श्रेणी–प्रथम के पाँच लाइसेंस धारक ही बाजार के 85 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि केवल एक ही लाइसेंस को 2009–10 के दौरान स्वीकृत किया गया, इससे प्रकट होता है कि श्रेणी तृतीय के लिए 5 करोड़ रूपये की न्यूनतम निबल आवश्यकता, व्यापार में नये खिलाड़ी के प्रवेश के लिए बहुत बड़ी प्रवेश बाधा के रूप कार्य कर रहीं थी। इसलिए आयोग ने 1 करोड के निबल मूल्य के साथ एक नई श्रेणी चतुर्थी को जोड़ने का निश्चय किया जो व्यापार के टर्नओवर को 100 एम यू तक संचालित कर सकता हैं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत शक्ति बाजार) विनियम 2010 के अधिसूचना के साथ यह देखा गया कि विद्युत विनियम के सदस्य एक ट्रेडिंग लाइसेंस धारक के रूप में अपने ग्राहको की ओर से वित्तीय जोखिम उठा सकते हैं। ये सदस्य अल्पअवधि बाजार में छोटे मुक्त उपयोग ग्राहकों तथा कैप्टिव पावर संयंत्र को प्रस्तुत करने में उत्प्रेरक तथा सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इस बात की उम्मीद जताई गई कि विद्युत विनिमय के सदस्य नई सृजित श्रेणी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे तथा भावी ट्रेडिग लाइसेंस धारको बनने के द्वारा मुख्यधारा में शामिल होंगे।

आयोग ने यह भी देखा कि 500 मिलियन युनिट और 100 मिलियन यूनिट की वार्षिक टर्नओवर तथा 25 करोड रूपये और 5 करोड रूपये की निबल मूल्य की आवश्यकता क्रमशः श्रेणी द्वितीय और श्रेणी तृतीय के तीन लाइसेंस और श्रेणी द्वितीय के एक लाइसेंस का आत्मसमर्पण किया गया। इसलिए, आयोग ने, श्रेणी द्वितीय के लिए निबल मूल्य की आवश्यकता को 25 करोड रूपये से 15 करोड रूपये तक कम करने का फैसला किया। सभी श्रेणीयों के व्यापार लाइसेंसधारियो को व्यापारिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए, निबल मूल्य की आवश्यकता और व्यापार की मात्रा सीमा को पुनः संरेखित किया गया।

आयोग ने यह भी देखा कि कुल मिलाकर बाजार का आकार बढ रहा है और ध्यान दिया कि अगले कुछ वर्षो में स्वतंत्र विद्युत निर्माताओ तथा मर्चेट विद्युत संयंत्रो के द्वारा महत्वपूर्ण नई क्षमताओ को स्थापित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसन्न क्षमता के अलावा विद्युत में बढते बाजार की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए लाइसेंस धारकों की एक बडी संख्या की आवश्यकता होगी। आयोग ने एक वर्ष में विद्युत मात्रा के कारोबार को श्रेणी द्वितीय के लाइसेंसधारको के संबंध में 500 मिलियन युनिट से 1500 मिलियन युनिट तथा श्रेणी तृतीय के संबंध में 100 मिलियन युनिट से 500 मिलियन युनिट बढाने का निश्यच किया।

आयोग ने अधिसूचना दिनांक 7 जून 2010 के द्वारा ट्रेडिग लाइसेंस फीस के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) संशोधन विनियम, 2010 जारी किया हैं।

7.2.12 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलो के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम व शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2010

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओ और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए पारेषण सेवा के विकास में उत्साहजनक प्रतियोगिता के लिए अप्रैल, 2006 में दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसे बाद में जुलाई 2007 के दौरान एक कुशल और किफायती ढंग से पारेषण परियोजनाओ के विकास के उद्देश्य के साथ संशोधित किया गया।

केन्द्रीय आयोग ने पारेषण लाइसेंस के अनुदान के लिए विभिन्न परियोजनाओ निर्माताओ द्वारा किये गये आवेदनों पर विचार करते हुए ध्यान दिया है कि यद्यपि

पारेषण परिसंपति का उपयोगी जीवन सामान्य रूप से 35 वर्ष माना जाता है तथापि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुभाग 15(8) के प्रावधानो के तहत पारेषण लाइसेंस 25 वर्ष की अवधि के लिए जारी किये जाते हैं। दूसरे शब्दो में, पारेषण (पारेषण) परिसंपति 25 वर्ष के प्रारंभिक लाइसेंस अवधि के बाद भी सेवा में होगी। क्योंकि समझौते में "हस्तांतरण" का कोई प्रावधान नहीं हैं। इसलिए इस बात की हर संभावना है कि मौजूदा लाइसेंस धारक 25 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद भी प्रचालन जारी रख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न उठता है कि यदि लाइसेंस का नवीकरण न हो अथवा लाइसेंस धारक नये सिर से नवीकरण के आवेदन नहीं करता तो पारेषण परिसंपति का टैरिफ 25 वर्ष के प्रारंभिक लाइसेंस अवधि के बाद क्या सकता हैं। विस्तृत विवेचना के बाद आयोग ने ऐसे मामलों में टैरिफ निर्धारण के लिए उपयुक्त विनियम बनाने का निश्चय किया हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 79(2) के तहत भारत सरकार को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारेषण लाइनों के विकास के लिए मानक बोली दस्तावेज (58 डी) के संशोधन तथा नई पारेषण योजनाओ के लिए बोली लगाने के लिए 35 वर्ष तक की टैरिफ अवधि पर विचार के लिए वैधानिक परामर्श भेजा गया।

ठीक इसी समय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलो के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम व शर्तें) विनियम 2009 (आगे चलकर "पारेषण लाइसेंस विनियम") के विनियम 13 को उचित प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 25–05–2010 के बाद संशोधित किया गया हैं।

7.2.13 के विविआ (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और अन्य संबंधित मामलों को फीस तथा प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 दिनांक 30-03-2010

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों की फीस और प्रभार) विनियम, 2010 के कार्यान्वयन में अवलोकित कठिनाइयों को दूर करने के लिए, इसे मार्च, 2011 में संशोधित किया गया था। ओ एवं एम प्रभारो के उपबंधों में आर एल डी सी तथा एन एल डी सी को सौप गये कार्यो में वृद्धि के कारण जनशक्ति में वृद्धि तथा ई एम एस/एस सी ए डी ए के वार्षिक रखरखाव (एएमसी) पर किये गये वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया।

7.3 विद्युत बाजारः व्यापार, पावर एक्सचेंज तथा निर्बाध पहुँच

(1) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

31–05–2011 को आयोग ने विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापक के लिए 48 आवेदको को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करें। इनमें से 10 अनुज्ञप्तिधरियों ने अपने लाइसेंस आत्म समर्पित कर दिये। वर्ष 2010–11 के दौरान चार व्यापार लाइसेंस प्रदान किये गये।

वर्ष 2010–11 के दौरान जारी व्यापार अनुज्ञप्ति

क्र. सं.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम	अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख	अनुज्ञप्ति की श्रेणी
1	पीसीएम पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	01–09–2010	III
2	एबलोन क्लीन एनर्जी लिमिटेड	14–09–2010	IV
3	जय पोलिकेम इन्डिया लिमिटेड	13–01–2011	I
4	जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	23–03–2011	I

वर्ष 2010–11 के दौरान व्यापार शुरू करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची	
क्रं. सं.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम
1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड
2	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
3	नेशनल एनर्जी ट्रेंडिंग एवं सर्विसेज लिमिटेड
4	रिलायंस इनर्जी ट्रेंडिंग (प्राइवेट) लिमिटेड
5	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड
6	जे एस डब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
7	नॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम (प्राइवेट) लिमिटेड
8	जी एम आर इनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड
9	इन्सटिंक्ट एडवर्टाइज़मेंट एंड मार्केटिंग लिमिटेड
10	अदानी एन्टरप्राईसेस लिमिटेड
11	श्री सीमेंट्स लिमिटेड
12	पुणे पावर डिवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
13	मित्तल प्रासेसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	आर पी जी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
15	इंद्रजीत पॉवर टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
16	गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड
17	एस्सार इलैक्ट्रिक पॉवर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड
18	जिन्दल पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
19	ग्लोबल एनर्जी (प्राइवेट) लिमिटेड

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, द्विपक्षीय अथवा पावर एक्सचैंज अथवा दोनों के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं।

आयोग ने दिनांक 11–01–11 को अधिसूचना द्वारा के वि वि आ (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 को जारी किया है। इन नियमों के अनुसार, लाइसेंसधारक 3 पैसे/केडब्लूएच से अधिक बिक्री मूल्य के मामले में 7 पैसे /केडब्लूएच से अधिक तथा जहां बिक्री मूल्य 3 पैसे/केडब्लूएच से कम या बराबर होगा वहां 4 पैसे/ केडब्लूएच ट्रेडिंग मार्जिन से अधिक चार्ज नहीं करेगा। इस मार्जिन में अनुसूचीबद्ध ऊर्जा चार्ज नहीं करेगा। इस मार्जिन में अनुसूचीबद्ध ऊर्जा, मुक्त उपयोग तथा पारेषण घाटों के अतिरिक्त सभी प्रभार शामिल होंगे।

ट्रेडिंग मार्जिन बिजली की निर्धारित मात्रा पर चार्ज किया जाएगा परंतु यह विनियमों के अधिन निर्दिष्ट ट्रेडिंग मार्जिन लेनदोनों की श्रृंखला में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा लिए गये ट्रेडिंग मार्जिन का संचयी मूल्य होगा अर्थात ट्रेडिंग मार्जिन, विविध व्यापारी से व्यापारी लेनदेनों के मामले में विनियमों के तहत निर्दिष्ट ट्रेडिंग मार्जिन की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

2. पावर एक्सचेंज

आयोग ने 20–01–2010 की अधिसूचना द्वारा के.वि.वि.आ. (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 को जारी किया है। दो विद्युत एक्सचेंज (1) इंडियन एक्सचेंज लि0 (आई.ई.एक्स), नई दिल्ली तथा (2) पावर एक्सचेंज इंडिया लि0 (पी एक्स आईएल), मुम्बई है, जो भारत में परिचालन कर रहे हैं। आईईएक्स तथा पीएक्सआईएक्स मैसर्स आईएल ने 27 जून 2008 तथा 22 अक्तूबर 2008 को क्रमशः कार्य करना शुरू कर दिया है। आदेश दिनांक 01–07–2009 के आदेश द्वारा आयोग ने नेशनल पावर एक्सचेंज लि0 एक पावर एक्सचेंज स्थापित करने तथा प्रचालित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।

3. बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

अगस्त 2008 में के.वि.वि.आ. में एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ (एमएमसी) स्थापित किया गया है। अगस्त 2008 से एमएमसी "विद्युत के अल्पावधि के लेनदेन पर मासिक रिपोर्ट" तैयार कर रहा है तथा रिपोर्ट को वेबसाईट पर डाल रहा है। रिपोर्ट के उददेश्य है (1) विद्युत के अल्पावधि के लेनदेन की मात्रा और मूल्य में प्रवृत्तियों पर ध्यान देना, (2) बाजार के खिलाड़ियों (व्यापारियों) के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना था, (3) पूरे बाजार की प्रासांगिक सूचना को प्रकट/प्रसारित करना।

मासिक रिपोर्ट और विभिन्न हितधारकों से एकत्र जानकारी के आधार पर एमएमसी ने "भारत में अल्पावधि विद्युत बाजार पर रिपोर्ट 2010–2011" प्रारूप को भी तैयार किया। अल्पावधि लेनदेनों में रुझानों को नीचे तालिका 1–3 में दिखाया गया है।

तालिका – 1: बिजली के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बि यू)

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई बिजली का मूल्य (रूपए प्रति किलोवाट घण्टा)	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई बिजली का मूल्य (आईईएक्स तथा पीएक्सआईएला)	यूआई की मात्रा	सीधे डिस्काम के मध्य में संव्यवहार की गई बिजली
2008–09	21.92	2.77	14.39	3.31
2009–10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010–11	27.70	15.52	28.08	10.25

नोट 1: वर्ष 2008–2009 (अप्रैल से जुलाई 2008) के दौरान व्यापारी अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई बिजली की मात्रा, बार्डर के बाहर व्यापार और अंतर–राज्यिक व्यापार को सम्मिलित करती है।

नोट 2: सीधे यूआई और डिस्काम के मध्य संव्यवहवहार की गई बिजली की मात्रा के संदर्भ में जो डाटा है वो वर्ष 2008–09 के लिए अगस्त 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि को दर्शाता है

तालिका – 2: कुल बिजली उत्पादन के संबध में बिजली के अल्पकालिक क्रय–विक्रय का मूल्य

वर्ष	बिजली के अल्पकालिक क्रय–विक्रय की कुल मात्रा (बिलियन युनिट)	कुल बिजली उत्पादन (बिलियन युनिट)	कुल बिजली उत्पादन के प्रतिशत के संबध में बिजली के अल्पकालिक क्रय–विक्रय की मात्रा
2009–10	65.90	764.03	9%
2010–11	81.56	809.45	10%

तालिका – 3: बिजली के अल्पकालिक क्रय–विक्रय का मूल्य

वर्ष	व्यापार लाइसेंस द्वारा क्रय–विक्रय की गई बिजली का मूल्य (रूपए प्रति किलोवाट घण्टा)	पॉवर एक्सेंजस के माध्यम से संव्यवहार की गई बिजली का मूल्य (डीएएम, टीएएम) (रूपए प्रति किलोवाट घण्टा)	यू आई का मूल्य (रूपए प्रति किलोवाट घण्टा)
2008–09	7.29	7.49	6.70
2009–10	5.26	4.96	4.62
2010–11	4.79	3.47	3.91

टिप्पणी : वर्ष 2008–2009 के दौरान के यूआई के मूल्य अगस्त 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए हैं।

4. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ संवर्धित कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

"वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश" संबंधी ऊर्जा मंत्रालय की दिनांक 19–01–2005 (समय समय पर संशोधित रूप में) अधिसूचना के अनुच्छेद 5.6 (6) के अनुसरण में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के लिए बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ विभिन्न सवंर्धित कारकों तथा अन्य मानकों को प्रत्येक छः माह में अधिसूचित करना आवश्यक है आयोग ने अधिसूचना दिनांक 20–12–2010 के द्वारा संवर्धित कारकों तथा अन्य मानकों पर अधिसूचना दिनांक 31–03–2010 में एक संशोधन को अधिसूचित किया था। आयोग ने अधिसूचना दिनांक 28–12–2010 के द्वारा 31–03–2011 तक की अवधि के लिए लागू बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ सवंर्धित कारकों तथा अन्य मानकों तथा अधिसूचना दिनांक 31–03–2011 को अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 तक की अवधि के लिए अधिसूचित किया।

7.4 थर्मल उत्पादन

1. टैरिफ निर्धारण

1.1 एनटीपीसी लि0 के थर्मल उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ

1.1.1 31–03–2011 को एनटीपीसी लि0 की कुल संस्थापित क्षमता 29891.64 मेगावाट थी जिसमें कोयले पर आधारित 25875.00 मेगावाट तथा प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4016.64 मेगावाट शामिल थी। वर्ष 2010–11 के दौरान एनटीपीसी द्वरा 500 मेगावाट क्षमता का कोरबा एसटीपीपी चरण तृतीय तथा 490 मेगावाट की राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र टीपीएस (विस्तार परियोजना) (चरण द्वितीय, यूनिट द्वितीय) नामक 990 मेगावाट की नई क्षमता को जोड़ा गया हैं। 31–03–2011 को एनटीपीसी लिमिटेड के प्रत्येक थर्मल उत्पादन स्टेशन के व्यावसायिक परिचालन की तिथि तथा संस्थापित क्षमता अनुबंध–II में दी गयी है:

1.1.2 आयोग ने एनटीपीसी की कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण द्वितीय (2x500 मेगावाट) की दो इकाइयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित टैरिफ को मंजूरी दी जिन्हें वर्ष 2008–09 के दौरान चालू किया गया।

1. इकाई प्रथम के सम्बन्ध में 01–08–2008 29–12–2008 की अवधि के लिए और
2. इकाई प्रथम व द्वितीय (संयुक्त) के सम्बन्ध में 30–12–2008 से 31–03–2009 की अवधि के लिए

2004–09 की अवधि के लिए टैरिफ का संशोधन

1.1.3 आयोग ने एनटीपीसी के निम्नलिखित स्टेशनों के सम्बन्ध में वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करने के पश्चात् संशोधित नियत प्रभारों का मंजूरी दी:

1. कवास जीपीएस (656.20 मेगावाट)
2. अंता जीपीएस (419.33 मेगावाट)
3. विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण तृतीय (1000 मेगावाट)
4. राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेशन, दादरी, चरण प्रथम (840 मेगावाट)
5. सिंगरौली एसटीपीएस (2000 मेगावाट)
6. तलचर एसटीपीएस चरण प्रथम (1000 मेगावाट)
7. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण प्रथम (1000 मेगावाट)
8. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 मेगावाट)
9. कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण प्रथम (840 मेगावाट)

पुनरीक्षण याचिकाएं

1.1.4 आयोग ने 2004–09 की अवधि के विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर एनटीपीसी उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ आदेश के खिलाफ विभिन्न पुनरीक्षण याचिकाओं का भी निपटारा किया हैं।

1.1.5 2009–14 अवधि के लिए टैरिफ

1.1.5.1 एनटीपीसी ने केविविआ टैरिफ (टैरिफ के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार वर्ष 2009–10 में किए गए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय तथा 31–03–2009 को आयोग द्वारा स्वीकृत पूजीगत लागत के आधार पर पुनरीक्षण याचिकाएं फाइल करना आरम्भ की। इन याचिकाओं को आयोग द्वारा उचित तकनीकी प्रमाणीकरण के पश्चात सुनवाई के लिए सूचीबद्व किया जा रहा हैं।

1.1.5.2 बदरपुर टीपीएस ने नवीनीकरण व आधुनिकीकरण की योजना

बदरपुर टीपीएस के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना के लिए एनटीपीएस द्वारा 861.98 करोड़ रूपये के प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजीव्यय द्वारा मांगे गए सैद्यांतिक अनुमोदन की आयोग द्वारा पणधरियों को सुनने के पश्चात समीक्षा की गई तथा आदेश आरक्षित है।

1.2 नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के थर्मल उत्पादन स्टेशनों के ट्रैरिफ

1.2.1 31–03–2011 को लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) की कुल संस्थापित क्षमता 2490 मेगावाट थी। राजस्थान में बर्सी नगर स्थित परिचालक फलूडाइजड बेड कमबस्टन तकनीकी आधरित थर्मल पावर स्टेशन 2x125 मेगावाट के वर्ष 2010–11 में चालू होने की आशा है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	उत्पादन केन्द्र का नाम	31–03–2008 की स्थिति के अनुसार संस्थापित	केन्द्र का सीओडी
1	टीपीएस I	600.00	21–02–1970
2	टीपीएस II (चरण I)	630.00	23–04–1988
3	टीपीएस II (चरण II)	840.00	09–04–1994
4	टीपीएस I (विस्तार)	420.00	05–09–2003
5	कुल लिग्नाइट	2490.00	

1.2.2 थर्मल बिजली केन्द्र प्रथम एक ही राज्य अर्थात तमिलनाडु को बिजली की आपूर्ति करता है। जबकि थर्मल बिजली केन्द्र द्वितीय (चरण प्रथम और द्वितीय) तथा थर्मल पावर केन्द्र प्रथम (विस्तार) दक्षिणी क्षेत्र के घटकों को बिजली की आपूर्ति कर रहें हैं।

1.2.3 2009–14 की अवधि के लिए एनएलसी केन्द्रों के लिए टैरिफ

1.2.3.1 आयोग ने 2009–14 की अवधि के लिए एनएलसी टीपीएस प्रथम (विस्तार) (2x210 मेगावाट) के संबंध में टैरिफ को अनुमोदित किया हैं।

एनएलसी टीपीएस द्वितीय के लिए टैरिफ का अनुमोदन भी आयोग के विचाराधीन है। एनएलसी टीपीएस प्रथम के लिए टैरिफ निर्धारण के मामले में, एनएलसी ने केविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार संशोधित याचिका दायर की है जो आयोग में विचाराधीन है।

1.3 दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के थर्मल उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ

1.3.1 दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की 31–03–2011 की स्थिति के अनुसार कुल 2710 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। डीवीसी की संस्थापित क्षमता तथा उसके प्रत्येक उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि नीचे दी गई है।

डीवीसी ने 2006–09 की अवधि के लिए अपनी उत्पादन तथा पारेषण परिसम्पतियों के लिए अतिरिक्त पूंजी करण के संबंध में नियत प्रभारों के संशोधन के लिए याचिकाएं दायर की हैं जो आयोग के विचाराधीन हैं।

1.4 नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको)

1.4.1 नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) की 31–03–2008 की स्थिति के अनुसार ईधन के रूप में प्राकृतिक गैस पर आधारित 375 मेगावाट की थर्मल उत्पादन क्षमता हैं, अर्थात असम जीपीएस (291 मेगावाट) तथा अगरतला जीपीएस (84 मेगावाट) ये दोनों केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। असम गैस पावर केन्द्र संयुक्त साइकल पद्वति से चलता है जबकि अगरतला पावर केन्द्र निर्बाध साइकल पद्वति से चलता हैं। इन दोनों केन्द्रो की गैर टरबाइन की कम क्षमता हैं। यूनिट साइज से 50 मेगावाट प्रत्येक केन्द्र की संस्थापित क्षमता व वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	उत्पादन केन्द का नाम	31–03–2008 स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता	केन्द्र का सीओडी
1.	अगरतला जीपीएस	84.00	01–08–1998
2.	असम जीपीएस	291.00	01–04–1999
3.	कुल	375.00	

1.4.2 2009–14 अवधि के लिए नीपको गैस आधारित केन्द्रो (स्टेशनों) के टैरिफ

1.4.2.1 आयोग ने 01–04–2009 गैस 31–03–2014 तक की अवधि के लिए नार्थ इस्टर्न पावर इलैक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगरतला गैस आधारित पावर परियोजना (84 मेगावाट) से बिजली की बिक्री के संबंध में टैरिफ को अनुमोदित किया हैं।

1.4.2.2 नीपको द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना के आधार पर असम गैस आधारित पावर परियोजना 291 मेगावाट के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन, आयोग के विचारधीन है।

1.5 संयुक्त उद्यम कम्पनियों के थर्मल स्टेशनों के टैरिफ

1.5.1 रत्नागिरि गैस तथा पावर प्राइवेट लिमिटेड

आयोग ने एनटीपीसी लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल), एम एस ई बी होल्डिंग कंपनी तथा भारतीय वित्तीय संस्थान की संयुक्त उधम कंपनी रत्नागिरि गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2009–14 की अवधि का अवधि का टैरिफ अनुमोदित किया है।

1.5.2 एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड

आयोग ने एनटीपीसी लिमिटेड तथा सेल के संयुक्त उघम एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड की इकाई प्रथम व इकाई द्वितीय (2x250 मेगावाट) के 2009–14 की अवधि के टैरिफ को अनुमोदित किया हैं।

2. आयोग द्वारा संचालित अन्य मामले

2.1 अनुसूचीकरण तथा यूआई संगणना के सीमित उद्देश्य के लिए एनएलसी स्टेशन द्वितीय, उत्पादन केन्द्र के चरण प्रथम (3x210 मेगावाट) तथा चरण द्वितीय (1x210) को जोड़ा जा रहा हैं तथा एनएलसी के स्वामित्त्व वाले उत्पादन स्टेशनों के मामले में खानों (माइन्स) के भार के विशेष प्रतिपादन को भी ध्यान में रखा जाता हैं।

2.2 झारखंड इन्टीग्रेटिड पावर लिमिटेड की तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ को अपनाने के लिए अनुमोदन सर्वसम्मति से मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को निर्धारित टैरिफ पर आधारित एक पारदर्शी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया गया।

2.3 कृष्णापट्नम अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के संबंध में 800 मेगावाट की प्रत्येक 5 इकाइयों से लेकर 60 मेगावाट की प्रत्येक 6 इकाइयों तक के इकाई विन्यास में परिवर्तन को स्वीकृत किया।

2.4 संवर्धित ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन, उपार्जन तथा व्यापार (पीएटी) योजना (एनएमईईई) बीईई ने आयोग से विद्युत क्षेत्र के प्राधिकृत उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपतः में अपेक्षित प्रतिशत कमी निर्दिष्ट करने तथा इसके लिए कार्यविधि का विकास करने का अनुरोध किया।

थर्मल पावर स्टेशनों की विशिष्ट ऊर्जा खपत के प्रतिशत कमी के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए, आयोग के पीएटी योजना के अंतर्गत केविविआ तथा सीईए से दो–दो प्रतिनिधियों को लेकर एक समिति का गठन किया।

राज्य तथा केन्द्रीय उपयोगिताओ के प्रतिनिधियों के साथ शामिल विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा उनके विचारों को सुना गया। उपयोगिताओ से उनके उत्पादन केन्द्रों में कार्य क्षमताओं के मानको के रिकार्ड रखने तथा परीक्षण की पद्वति और प्रक्रिया विवरण को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके

अलावा राज्य उपयोगिताओं और केन्द्र उत्पादकों से पावर स्टेशन तथा वास्तविक परिचालन आकड़ों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। विभिन्न उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को विशिष्ट ऊर्जा खपतः में लक्षित कमी को तैयार करने के लिए ध्यान में रखा गया। समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

7.5 हाइड्रो उत्पादन (जल विद्युत उत्पादन)

3.1 आयोग वर्तमान में 24 केन्द्रों (स्टेशनों) में 8694 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाले निम्नलिखित छहः केन्द्रीय क्षेत्र (एनएचपीसी, एनएचडीसी, एनईईपीसीओ, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी और डीवीसी) की जलविद्युत उत्पादन कंपनियों, जो दक्षिणी क्षेत्र के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में स्थित हैं, के टैरिफ को विनियमित कर रहा हैं। केन्द्रों के ब्यौरे तथा उनकी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध है।

3.2 वर्ष के दौरान उपर्युक्त जलविद्युत उत्पादन कंपनियो के साथ साथ उनके लाभार्थियो से संबंधित याचिकाएं दायर की गईं। इनमें टैरिफ अवधि 2004–09 के विभिन्न वर्षो के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में वार्षिक नियत प्रभारों के प्रभाव से संबंधित 5 याचिकाएं शामिल थी।

3.3 2009–14 की अवधि के लिए अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाएं

(i) एनएचपीसी का सेवा स्टेज–।। जलविद्युत स्टेशन (4x30=120 मेगावाट): यह उत्पादन स्टेशन (केन्द्र) जम्मू–कश्मीर राज्य में, कठुआ में स्थित हैं तथा इसे 560 मीटर के छोटे तालाब के साथ नदीं योजना के रूप में डिजाइन किया गया था। इस उत्पादन स्टेशन में 533.53 मिलियन यूनिट की वार्षिक लक्षित ऊर्जा वाली 40 मेगावाट प्रत्येक की तीन इकाईयाँ शामिल हैं। इस उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की संभावना मार्च 2010 में थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने लेखा परीक्षक को के द्वारा विधिवत प्रमाणित 31–12–2009 तक खर्च की गई वास्तविक लागत तथा 28–02–2010 तक प्रत्याशित पूंजीगत व्यय के आधार पर विनियमों के अनुसार याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात् आयोग द्वारा 01–03–2010 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए आदेश दिनांक 06–09–2010 के द्वारा स्वीकृत वार्षिक नियत प्रभारो को नीचे अभिव्यक्त किया गया हैं।

	2009–10 (01–03–2010 से 31–03–2010)	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
एएफसी (लाख में)	1609.83	19371.55	19615.19	19180.77	18790.14

(ii) एनएचपीसी की धौलीगंगा जलविद्युत परियोजना स्टेज–II (4x70 मेगावाट) उत्पादन स्टेशन। याचिकाकर्ता ने 01–04–2009 से 31–03–20014 तक की अवधि के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए आवेदन दाखिल किया। आयोग ने इस संबंध में दिनांक 14–03–2010 को आदेश दिया। आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक नियत प्रभार निम्नलिखित हैं:

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
एएफसी (लाख में)	26881.76	26982.66	27015.81	27047.18	27139.53

3.4 2004–09 की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुमोदन के संबंधित याचिकाएं

(i) नीपको की रंगानदी जल विद्युत स्टेशन (3x135 = 405 मेगावाट)

याचिकाकर्ता ने 01–04–2006 से 31–03–2009 की अवधि के लिए सिंडिकेड ऋण पर दी गई वास्तविक ब्याज दर के लागू तथा वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के समाहित होने के पश्चात 01–04–2004 से 31–03–2009 की अवधि के द्विपक्षीय टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका की अवधि के द्विपक्षीय टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात् आयोग द्वारा दिनांक 17–05–2010 के आदेश द्वारा 01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के स्वीकृत नियत प्रभारो को नीचे अभिव्यक्त किया गया हैं:

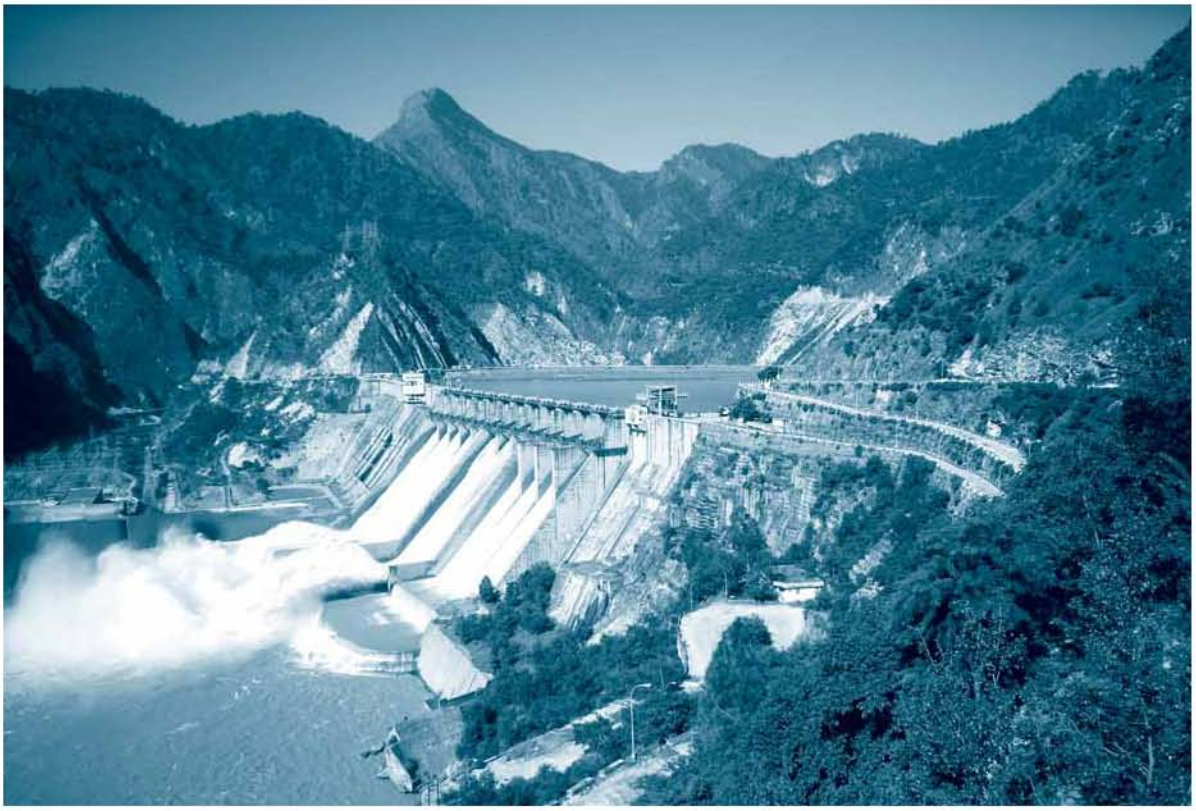

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (लाख में)	24156.67	23484.27	20367.53

(ii) असम में नीपको के कोपली स्टेशन प्रथम (4x50 = 200 मेगावाट) जल विद्युत स्टेशन में 05–07–1998 को आरंभ उत्पादन की इकाई–I तथा 12–07–1997 को आरंभ इकाई–IV वाले मुख्यतः खंडोग (2x25 मेगावाट) तथा कोपली विद्युत उत्पादन स्टेशन (4x50 मेगावाट) नामक दो उत्पादन केन्द्र (2 स्टेशन) शामिल हैं। आयोग के दिनांक 02–06–2010 के आदेश द्वारा 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए अंतिम टैरिफ को स्वीकृत किया गया:

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (लाख में)	5709.21	5777.85	5891.79

(iii) असम में नीपको के कोपली स्टेशन–II (1x25 = 25 मेगावाट) जल विद्युत स्टेशन। याचिकाकर्ता ने 01–04–2006 से 31–03–2009 की अवधि के लिए सिंडिकेट ऋण पर दी गई वास्तविक लाभ ब्याज दर तथा वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के समाहित होने के पश्चात 26–07–2004 से 31–03–2009 की अवधि के लिए कोपली जल विद्युत परियोजना स्टेज–II (25 मेगावाट) के द्विपक्षीय टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात आयोग के दिनांक 15–06–2010 के आदेश द्वारा 01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के स्वीकृत वार्षिक नियत प्रभारों को नीचे अभिव्यक्त किया गया हैं:

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (लाख में)	1449.15	1413.08	1365.58

(iv) रंजित जल विद्युत परियोजना (3x20 = 60 मेगावाट)

याचिकाकर्ता ने 01–04–2004 से 31–03–2009 तक की अवधि के रंजित जल विद्युत परियोजना (3x20 = 60 मेगावाट) के संबंध में वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 में किये अतिरिक्त

पूंजीगत व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित नियत प्रभारों के अनुमोदन के लिए याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात् आयोग के आदेश दिनांक 03–09–2010 के द्वारा 01–04–2006 से 31–03–2009 की अवधि के लिए स्वीकृत वार्षिक नियत प्रभारों को नीचे अभिव्यक्त किया गया हैं:

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (लाख में)	5316.83	4641.25	4689.81

(v) एनएचपीसी उत्पादन केन्द्र (स्टेशन) की चमेरा जल विद्युत परियोजना स्टेज–I (3x20 = 60 मेगावाट) याचिकाकर्ता ने वितीय वर्षों 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में वार्षिक नियत प्रभारो के प्रभाव के निर्धारण के लिए याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात आयोग के आदेश दिनांक 03–09–2010 के द्वारा 01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए स्वीकृत वार्षिक नियत प्रभारों को नीचे अभिव्यक्त किया गया हैं:–

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (लाख में)	19435.45	19751.98	20066.16

3.5 पुनरीक्षण याचिका

(i) चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण (स्टेज)–I (3x20=60 मेगावाट) याचिकाकर्ता, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक नियत प्रभारो के संशोधन के लिए याचिका दायर की गई। आयोग ने निम्नलिखित रूप से नियत प्रभारो को संशोधित किया:–

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (लाख में)	35521.89	36036.78	34878.09

(ii) सेवा स्टेज–II जल विद्युत स्टेशन (4x30 = 120 मेगावाट): आयोग ने उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए दिनांक 06–09–2010 को आदेश की कुल तालिकाओ में लिपिकीय भूल के सुधार करके दिनांक 22–09–2010 के आदेश द्वारा उसमें संशोधित किया लेकिन आदेश दिनांक 06–09–2010 के अनुसार वार्षिक नियत प्रभारों को अपरिवर्तनीय रखा गया।

(iii) कोपली स्टेज द्वितीय (1x25 = 25 मेगावाट) जल विद्युत स्टेशन याचिकाकर्ता ने 01–04–2006 से 31–03–2009 की अवधि के लिए सिंडिकेड ऋण पर दी गई लागू वास्तविक ब्याज दर तथा वास्तविक पूंजीगत व्यय के समाहित होने के पश्चात 26–07–2004 से 31–03–2009 की अवधि के लिए कोपली जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट) के संबंध में टैरिफ के संशोधन के लिए यह याचिका दायर की। आयोग ने आदेश को संशोधित नही किया। इसलिए आदेश दिनांक 15–06–2010 की सभी शर्तें अपरिवर्तनीय रहीं।

4. विविध कार्य

केविविआ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा 62 के साथ पठित धारा 79 (i) (क) तथा (ख) के संदर्भ में जल विद्युत परियोजनाओ के लिए टैरिफ विनियमित करता हैं। जल विद्युत परियोजनाओ की पूंजीगत लागत की तर्कसंगतता का पता लगाने के लिए केविविआ प्रज्ञावान जांच भी करता हैं।

अधिनियम खंड 8 संबद्धतापूर्वक सीईए द्वारा जल संसाधनों के तकनीकी दृष्टिकोण तथा इष्टतम उपयोग से योजना के सम्मिलन की परिकल्पना करता हैं। जहाँ तक परियोजना योजना के पूंजीगत लागत का संबंध है, टैरिफ निर्धारण के लिए तर्कसंगतता की जाँच करना अभी भी उचित आयोग की जिम्मेदारी बनी हुई हैं। 31 मार्च 2008 को संशोधित टैरिफ नीति के अनुसार, उपयुक्त आयोग जल विद्युत परियोजना को उनके निर्माण के प्रारंभ से पहले चालू करने की समय अवधि को भी स्वीकृत कर सकता हैं।

इस प्रकार इस संदर्भ में केन्द्रीय आयोग के निम्नलिखित दो विशिष्ट उत्तरदायित्व है:–

1. जल विद्युत परियोजना निजी या सार्वजनिक अथवा निजी की पूंजीगत लागत की तर्कसंगतता की जाँच करना।

2. 31 मार्च 2008 को संशोधित टैरिफ नीति के अनुसार राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण के बिना एक निर्माता की निजी जल विद्युत परियोजनाओ के चालू होने संबंधी कार्यक्रम की जाँच तथा उसे अनुमोदित करना।

जलविद्युत परियोजना के चालू होने संबंधी कार्यक्रम (अनुसूची) के लिए दिशानिर्देश:-

31–03–2008 को संशोधित टैरिफ नीति के अनुसार राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण के बिना एक निर्माता की निजी जल विद्युत परियोजनाओ के चालू होने संबंधी कार्यक्रम (अनुसूची) की संवीक्षा तथा उसे अनुमोदित करना। आयोग ने 07–07–2009 को जल विद्युत परियोजनाओ के चालू होने संबंधी कार्यक्रम के जाँच तथा अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के कार्य के लिए कोटेशन मांगते तथा यह कार्य मैसर्स एनर्जी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। परामर्श दाता का चयन तकनीकी तथा वितीय दो चरणो पर आधारित था। मैसर्स एनर्जी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के द्वारा जल विद्युत परियोजनाओ के चालू होने संबंधी कार्यक्रम की जाँच तथा अनुमोदन के लिए तैयार दिशानिर्देशो को हितधारको की टीका टिप्पणियो के आमंत्रण के लिए इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

जल विद्युत परियोजनाओ को चालू करने संबंधी कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश अपने अंतिम चरण में है और शीघ्र ही इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ

एसजेवीएनएल तथा टिहरी ने टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण पर टैरिफ याचिका दायर की जिसके लिए जल्द ही सुनवाई की जाएगी। एनएचपीसी, एनईईपीसीओ तथा एनएचडीसी ने 2009–14 की अवधि के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजीकरण पर आधारित टैरिफ याचिका दायर की। एनएचपीसी तथा एनईईपीसीओ (नीपको) परियोजनाओ की याचिकाओ की सुनवाई पहले ही कर ली गई है तथा आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जाएगे। एनएचडीसी तथा डीवीसी ने 2009–14 की अवधि के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजीकरण पर आधारित टैरिफ याचिका दायर की, जो अभी भी विचाराधीन है और आदेश शीघ्र जारी कर दिये जाएंगे। हाइड्रों केन्द्रों के संक्षिप्त टैरिफ का ब्यौरा अनुबंध–VI में दिया गया है।

7. स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में थर्मल उत्पादन केन्द्रो के टैरिफ तथा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के प्रसंस्करण तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थापित थर्मल उत्पादन केन्द्र के टैरिफो में लाभों की मात्रा का संगणना:–

7.1 जून 2010 में वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर केविविआ में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के बाहर स्थित इकाईयो की तुलना में विशेष आर्थिक जोन के भीतर विद्युत निर्माताओं की दी जाने वाली रियायतों के लाभो की मात्रा को जानने के क्रम में विभिन्न ईधन विकल्पों के विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण तथा गैर–प्रसंस्करण क्षेत्रो में स्थापित थर्मल उत्पादन केन्द्रो तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के टैरिफ की तुलना करने के लिए एक अभ्यास किया गया।

इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित तीन ईधन विकल्पों पर ध्यान दिया गया।

1. आयतित कोयला
2. स्वदेशी कोयला
3. स्वदेशी गैस

7.2 आयतित कोयला गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रो में विशेष आर्थिक जोन के लिए व्यावहारिक विकल्प था जबकि दूसरी ओर घरेलू गैस/आरएनएलजी गैस पाइपलाइन नेटवर्क के साथ तटीय क्षेत्रों तथा डीटीए क्षेत्रो में स्थापित किये जा रहे विशेष आर्थिक जोन के लिए एक अन्य व्यावहारिक विकल्प था। चूँकि घरेलू गैस की कीमतों का अंतराष्ट्रीय बाजार की समतुल्य कीमतों के साथ जोडा जाना प्रस्तावित किया गया, इसलिए गैस कीमतों को हाल ही में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक

गैस मंत्रालय द्वारा संचालित अध्ययन घरेलू गैस के लिए चार्ज किए जाने वाले प्रस्तावित औसत मूल्य के रूप माना गया।

7.3 घरेलू कोयला गैर–तटीय क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन के लिए एक अन्य व्यावहरिक विकल्प था। घरेलू कोयले के कीमतों के अध्ययन के प्रयाजनार्थ कोयले की 1000 किलोमीटर की औसतन दूरी की ढुलाई को ध्यान में रखा गया।

अध्ययन दो प्रमुख परिदृश्यों पर विचार करने के लिए किया गया:

1. 1000 मेगावाट तथा अधिक की क्षमता वाले मेगा पावर परियोजना के साथ स्थापित पावर (विद्युत) परियोजनाएं।
2. 1000 मेगावाट तथा कम की क्षमता वाले मेगा पावर परियोजना के बिना स्थापित पावर विद्युत परियोजनाएं।

7.4 घरेलू टैरिफ क्षेत्र में तथा विशेष आर्थिक जोन के गैस प्रसंस्करण क्षेत्रो में स्थापित परियोजनाओं की तुलना में प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित विद्युत परियोजनाओं के विद्युत निर्माताओं को उपलब्ध लाभों (फायदों) की मात्रा को देखते हुए निरपेक्ष तथा प्रतिशत रूप में औसत भारित आधार पर निम्नलिखित रूप से कार्य कर रहीं थी:–

विवरण	डीटीए	
	%	पैसा / केडब्ल्यूएच
1000 मेगावाट तथा उससे अधिक की परियोजनाएँ		
ईधन के रूप में आयतित कोयला	2.92	10.10
ईधन के रूप में घरेलू कोयला	0.18	0.54
ईधन के रूप में घरेलू गैस	3.27	10.91
1000 मेगावाट तथा उससे कम की परियोजनाएँ		
ईधन के रूप में आयतित कोयला	1.06	3.74
ईधन के रूप में घरेलू कोयला	कोई लाभ नहीं	
ईधन के रूप में घरेलू गैस	1.65	5.58

अध्ययन 10–06–2010 को वित्त मंत्री (वित्त मंत्रालय) को अग्रेषित किया गया।

7.6 पारेषण

देश के विभिन्न अन्तर–राज्यिक पारेषण तत्वो के लिए पारेषण टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। एनआरएलडीसी और एसआरएलडीसी ने ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्रिड से अधिक निकासी पर अंकुश लगाने के लिए इकाईयों को निर्देश देने के लिए याचिकाए दाखिल की थी। आयोग ने अपनी ओर से भी निर्धारित सीमाओ के भीतर ग्रिड आवृति बनाए रखकर नए और दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिडो को सुरक्षित और विश्वनीय प्रचालन सुनियत करने के लिए अनेक कार्यवाहियाँ आरम्भ की थी। आयोग ने राज्य उपयोगिताओ पर जुर्माने भी लगाए थे। अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुँच की महत्वता के मद्देनजर आयोग ने अनेक उपयोगिताओ/एमएलडीसी के लिए कुछ राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा निर्बाध पहुँच करने संबंधी विवादो से संबंधित याचिकाओ मे भेदभाव रहित निर्बाध पहुँच मुहैया कराने के लिए अनेक आदेश दिए।

आयोग ने पारेषण प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के लिए दो पारेषण अनुज्ञप्तियाँ भी प्रदान की। पारेषण से संबंधित कार्यकलापो का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(अ) पारेषण टैरिफ

आयोग ने अंतरिम आदेशो सहित अन्तर–राज्यिक पारेषण से संबंधित याचिकाओ पर अनेक आदेश जारी किए हैं। पीजीसीआईएल द्वारा दाखिल अधिकांश टैरिफ याचिकाए टैरिफ अवधि 2004–09 से संबंधित थी। टैरिफ याचिकाएं अंतिम टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीकरण और अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए थी। पीजीसीआईएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रो के अन्तरक्षेत्रीय और अंतः पारेषण प्रणाली के लिए प्रोत्साहनो के अनुमोदन के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की थी। अंशात क्षेत्रों में सुरक्षा बलो की तैनाती के लिए विशेष व्यय के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं को भी निपटाया गया था। चूंकि पारेषण प्रणाली तीव्रता से बढ़ रहीं हैं, इसलिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिकाओं की संख्या भी बढ़ रहीं है और अतः इन याचिकाओ के लिए पारेषण टैरिफ की गणना भारी भरकम कार्य हैं। आयोग ने, महसूस किया कि व्यक्तिगत रूप से विभिन्न पारेषण तत्वों के टैरिफ के संचालन की वर्तमान प्रणाली के लिए संसाधनो के उपयोग के इष्टतमीकरण के लिए पुनः जांच किया जाता अपेक्षित हैं। अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के पुनः विस्तार के कारण विभिन्न पारेषण तत्वो का पारेषण टैरिफ निर्धारित करने के लिए आयोग के समक्ष भविष्य में महत्वपूर्ण रूप से याचिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सरलीकरण और इष्टतमीकरण प्रयासो से संबंधित संपूर्ण मामले की जांच हेतु, आयोग ने एक कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह ने आयोग के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, सिफारिशो के आधार पर आयोग ने निर्धारित दिशा–निर्देशो के आधार पर परिसम्पतियो को मिलाने का निर्णय किया था। इसमें फलस्वरूप कुछ सीमा तक अंतर–राज्यिक पारेषण टैरिफ के लिए याचिकाओं की संख्या कम होगी। तथापि 2009–10 के दौरान आयोग ने अंतर–राज्यिक पारेषण टैरिफ से संबंधित बड़ी संख्या में याचिकाओ को निपटाया था। ब्यौरे अनुबंध–I में दिए गये हैं।

(ब) वास्तविक समय परिचालन विनियमो में संकुलन अवमुक्ति के उपायों के तहत प्रक्रियाएं

आयोग ने दिनांक 11–06–2010 के आदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनिमायक आयोग (वास्तविक समय परिचालन में संकुलन अवयुक्ति के उपाय) विनिमय 2009 के विनियम 4(2) के तहत वास्तविक समय परिचालन में संकुलन अवयुक्ति के लिए विस्तारित प्रक्रियाओ को स्वीकृत किया।

(स) अननुसूचित विनिमय (यू आई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रमी उपयोगिताओ पर कार्यवाही

उपलब्धता आधारित टैरिफ (एवीटी) तंत्र के तहत, कोई भी अनुसूची से विचलन का संदाय यू आई प्रभारो के माध्यम से किया जाएगा। यू आई लेखा सप्ताहित आधार पर जारी किया जाता है तथा यू आई विनिमयों के अनुसार यू आई प्रभारों के संदाय को अन्य पूर्वकता दी जाती है। संबंधित इकाईयो को आरएलडीसी द्वारा प्रचलित क्षेत्रीय पूल खाते में निर्दिष्ट राशि का भुगतान संबंधित आरपीसी द्वारा बिलों के जारी होने के 10 दिनों के भीतर करना आवश्यक हैं। आयोग ने यह संप्रेषण किया कि यू आई प्रभारो के अंसदाय को ग्रिड से बिना भुगतान कि बिजली लेना माना जाएगा। यूआई शोध्यो के संदाय में व्यक्तिक्रम करने के लिए अनेक व्यतिक्रमी ईकाइयो के विरूद्व कार्यवाही की गई हैं।

आयोग ने दिनांक 11–05–2009 के आदेश द्वारा जम्मू एवं कश्मीर (डो एण्ड के) को 30–09–2009 से पहले सारी बकाया यूआई राशि का निपटारा करने का निर्देश दिया। तथापि जे एण्ड के ने आदेश का पालन नहीं किया था और चूक को देखते हुए, आयोग ने दिनांक 13–11–2009 के आदेश के जरिए कार्यवाही सं. 259/2009 आरम्भ की थी और जे एण्ड के को दिनांक 15–06–2010 के आदेश के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

कार्यवाही सं 220/2010, 221/2010 तथा 222/2010 के द्वारा विद्युत अधिनियम के खण्ड 142 द्वारा यूआई प्रभारो का भुगतान न किए जाने पर बीएसईबी मेघालय तथा मिजोरम पर स्वप्रेरणा कार्यवाही शुरू गई। अंततः इन राज्यों द्वारा बकाया राशि के भुगतान करने पर आरोप छोड़ दिए गए।

(द) ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के उपाय

1. उपयोग के द्वारा ग्रिड अनुशासन के मानीटरींग तथा प्रवर्तन

भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, 2009 (ग्रिड संहिता) आईईजीसी 2009 के विनियम 5.4.2 (क) और 6.4.4 में राज्य उपयोगिताओ को ग्रिड से जब कभी प्रणाली आवृत्ति 49.5 हर्टज से नीचे हो, अपनी संबंधित उत्पादन अनुसूचियों के भीतर अपने निवल उत्पादन को प्रतिबन्धित करने के लिए प्रयास करने का अधिकार प्राप्त है। वे और आगे यह विधान करें कि जब कभी आवृति 49.2 हर्टज (पूर्व में 49 हर्टज) नीचे गिरती है,

अतिरेक उत्पादन को घटाने के लिए आवश्यक भार कभी (मैनुअल) करेंगे। आईईजीसी 2009 के उपबंध ग्रिड से बिजली के अति उत्पादन का उस समय निषेध करते हैं जब आवृति 49.2 हर्टज से नीचे गिरती है। ग्रिड संहिता प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अनेक उपयोगिताओं के विरूद्व कार्यवाही की गई थी। आईईजीसी प्रावधानो के उल्लंघन और आईईजीसी उपबंधो और अधिनियम की धारा 29 के तहत क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) के निदेशो के अनुपालन के लिए आयोग द्वारा अनेक न्यायनिर्णयन के मामले भी चलाए गए थे।

तत्पश्चात् आयोग ने ग्रिड कोड 2010 को अनुमोदित अथवा प्रकाशित किया जो 03–05–2010 से प्रकृत्त हुआ। विनियम 5.4.2(घ) आदेश देता है कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित राज्य विद्युत बोर्डो, वितरण लाइसेंसधारकों के माध्यम से स्वतः मांग प्रबन्धन जैसे चक्रीय भार शेडिग, मांग प्रतिक्रिया के लिए अत्यधिक मांग प्रबन्धन योजनाओ को बनायेगा तथा लागू करेगा।

आयोग ने गेटको (जीईटीसीओ) के विरूद्व याचिका संख्या 246/2009 में पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक रिपोर्टो के आधार पर पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड का सुरक्षित और विश्वनीय प्रचालन सुनियत करने के लिए स्वप्रेरणा कार्यवाहियां आरम्भ की थी। आयोग ने दिनांक 21–08–2009 के अपने आदेश में जरिए गिटको पर विगत रिकार्ड और 21–09–2009 से 27–09–2009 की अवधि के दौरान अधिक निकासी नियंत्रित करने में कडी मेहनत का प्रदर्शन करने के कारण कोई जुर्माना नही लगाया, परन्तु ग्रिड कोड 2010 के अंतर्गत वितरण कंपनियो को उनके द्वारा आटोमैटिक डिमाण्ड डिसकनेक्शन लागू करने के आदेश दिए।

एमएसईडीसीएल ने केन्द्रीय आयोग को इस आशय के अनुरोध की याचिका संख्या 326/2009 दायर की कि अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर 2009 के दौरान अधिक बिजली लेने वाले प्रतिष्ठानों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपयोगिताओं को निदेश दिये गए। इस मामले में सुनवाई की जा रही है और अंतिम आदेश की तैयार किया जा रहा है।

2009 के निर्णयादेश मामले संख्या 6 में निर्णायक अधिकारी ने दिनांक 27–04–2010 के आदेश द्वारा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के विरूद्व क्षेत्र भार केन्द्र के दिशानिर्देश के अनुपालन न करने के लिए 24 लाख रूपये का नाममात्र जुर्माना लगाया तथा टीएनईबी को पवन ऊर्जा उत्पादन नुकसान जैसी स्थितियां से निपटने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया।

दक्षिण क्षेत्रीय भार वित्तरण केन्द्र (एसआरएलडीसी) ने तमिलनाडु विद्युत समिती (टीएनईबी) के खिलाफ कम तरंगों पर 24–02–2010 से 23–03–2010 के दौरान अनेक संदेशों के बावजूद अत्यधिक अध्याहरण करने के लिए याचिका संख्या 107/2010 दायर की। इस मामले की सुनवाई के लिए श्री वी. एस. वर्मा को दिनांक 13–05–2010 निर्णय अधिकारी नियुक्त किया गया और उनको धारा 143 के तहत अधिकार प्रदान किये। श्री वर्मा ने इस मामले का फैसला आदेश को किया। इस मामले में निर्णय अधकारी ने आदेश दिनांक 21–09–2010 के तहत कोई पेनालटी टीएनईबी पर नहीं लगाई जो कि टीएनईबी के चेयरमैन एवं सीएमडी के वायदे के तहत किया गया की वे अध्याहरण पर रोक लगायेंगे और आदेश अनुसार अधिक्षक अभियंता (एसआरएलडीसी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का पालन करेंगे।

एनआरएलडीसी ने उत्तरी क्षेत्र के घटको द्वारा आईईजीसी तथा एनआरएलडीसी से अधिक निकासी को नियंत्रित करने के निर्देशो का पालन करने के लिए आयोग के दिशानिर्देश को प्राप्त करने के संदर्भ में याचिका संख्या 129/2010 दायर की। दिनांक 04–11–2010 के आदेश के द्वारा अधिनियम की धारा 29(2) तथा धारा 29(3) के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी), हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (एचपीपीएनएल), राजस्थान राज्य विद्युत पारेषण निमग लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पीटीसीयूएल) तथा पावर डेवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ऑफ जम्मू काश्मीर (पीडीडी, जे एंड के) द्वारा एन आर एलडीसी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने पर इनके विरुद्ध धारा 143 के तहत आयोग को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। आयोग ने धारा 141 के तहत इन केन्द्रों (उपयोगिताओं) के विरुद्ध जांच करने के लिए श्री एम दीन दयालन, सदस्य के रूप में नियुक्ति की। इन न्यायानिर्णयम मामलों अर्थात 2011 का 2 तथा 2011 का 7 कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

आयोग ने दिनांक 24–05–2010 के आदेश के जरिये 25 मार्च 2010 से 18 अप्रैल 2010 के दौरान टीएनईबी द्वारा 49.2 हर्ट्ज से निम्न आवृत्ति रखने के लिए स्वप्रेरणा याचिका सं0 133/2010 में कार्यवाही शुरू की। आयोग ने दिनांक 03–02–2011 के आदेश के जरिये न्याय निर्णयन कार्रवाई सं0 1/2010 में सीएमडी, टीएनईबी के द्वारा 10–08–2010 को की गई बचनबद्धता तथा आश्वासन पर प्रकाश डालते हुए याचिका खारिज कर दी।

आयोग ने दिनांक 10–03–2010 के आदेश के जिए स्वप्रेरणा याचिका संख्या 67/2010 में कार्यवाही शुरू की जिसमें सीटीयू एनएलडीसी, सभी आरएलडीसी तथा सीईए को संकुलन के कारणों तथा संकुलन उन्मुक्ति के लिए किए गये उपचारात्मक उपायों के संबंध में आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया क्योंकि पावर एक्सचेंजों के जरिये किये जा रहे सभी लेनदेन लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रहे थे। एनएलडीसी सीटीयू को प्रचालन संबंधी प्रतिपुष्टि दी है जिसकी एक प्रति आयोग को भेजी गई है तथा सीटीयू ने उपारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। तथापि, सीटीयू को संकुलन अवमुक्ति के लिए समय–सीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस मामले की जांच आयोग में की जा रही है।

(ई) विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न याचिकाओं को आयोग के आदेश

1. नौ उच्च क्षमता विद्युत पारेषण कोरिडोरों (एचसीपीटीसी) के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन

याचिकाकर्ता, पावरग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (पीजीसीआईएल) ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों निर्माताओं (आईपीपी) के द्वारा विभिन्न उत्पादन परियोजनाओ को बढ़ावा देने की योजना से विद्युत की निकासी के लिए कतिपय अभिज्ञात पारेषण तंत्रों (प्रणालियों) के कार्यान्वयन तथा विकास के विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए याचिका संख्या 233/2009 दायर की। आयोग ने याचिका संख्या 233/2009 में दिनांक 31–05–2010 आदेश के द्वारा नौ कॉरिडोरों के लिए सर्वसम्मति से निम्नलिखित रूप से सैद्धान्तिक अनुमति दी:–

क्र.सं.	उच्च क्षमता विद्युत (पावर) सारण कॉरिडोर (एचसीपीटीसी)	करोड़
1	एचसीपीटीसी–I (उड़ीसा में उत्पादन परियोजनाओं फेज I से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	8.752
2	एचसीपीटीसी–II (झारखण्ड में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	5.709
3	एचसीपीटीसी–III (सिक्कम में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	1.304
4	एचसीपीटीसी–IV (मध्य प्रदेश में विलासपुर कॉम्पैक्स छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	1.243
5	एचसीपीटीसी–V (छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	28.824
6	एचसीपीटीसी–VI (कृष्णापट्नम क्षेत्र, आंध्रप्रदेश में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	2.065
7	एचसीपीटीसी–VII (तूतीकोरिन क्षेत्र, तमिलनाडू में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	2.357
8	एचसीपीटीसी–VIII (श्रीकाकुलम क्षेत्र, आंध्रपदेश में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	2.986
9	एचसीपीटीसी–IX (विद्युत के अन्य राज्यों में अंतरण के लिए दक्षिणी क्षेत्र में आईपीपी परियोजनाओं से सहबद्ध पारेषण तंत्र)	4.821

यह विनियामक अनुमोदन अपने तरीके का एक ही है तथा देश में एक व्यापक ढंग से स्वतंत्र विद्युत (पावर) निर्माताओं के लिए समन्वित पारेषण तंत्र के विकास तथा उभरती मोंगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आयोग की दृढ़ता तथा इच्छा को दर्शाता है।

2. भूटान में हाइड्रोजन परियोजना पुनातसांगचू–प्रथम के पारेषण तंत्र के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन

पीजीसीआईएल ने भूटान में पुनातसांगचू – जल विद्युत परियोजना से विद्युत की निकासी के पारेषण तंत्र के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए याचिका संख्या 277/2009 दायर की। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम/ भूटान से लगभग 42000–45000 मेगावाट की अधिशेष बिजली नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच 18 कि.मी. लम्बे तथा केवल 22 कि.मी. की चौड़ाई वाले, पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित चिकन नेक क्षेत्र के संकीर्ण कॉरिडोर (गलियारों) के माध्यम से उत्तरी/पश्चिमी/

दक्षिणी क्षेत्रों के दूर–दराज में भार–केन्द्रों को पारेषित की जानी थी। चिकन नेक क्षेत्रों में भावी उत्पादन विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक तरीके से निकासी तंत्र की योजना बनाना आवश्यक है। इस पारेषण तंत्र के क्रियान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन को आदेश दिनांक 05–04–2010 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

3. पारेषण तत्वों की वाणिज्यक प्रचालन की तारीख का विनियामक अनुमोदन

याचिकाकर्ता, पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (पीजासीआईएल) ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 3(2)(ग) तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 24 के तहत दक्षिणी क्षेत्र में कुन्दकुलम पारेषण तंत्र के अंतर्गत कुन्दनकुलम (एनपीसी) – तिरुनेल्वेली (पावर ग्रिड) 400 केवी (क्वेड) डी/सी लाईन प्रथम तथा द्वितीय से संहबद्ध बेज तथा उपकरणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन की तारीख के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या 81/2010 दायर की। आयोग ने दिनांक 24–09–2010 के आदेश द्वारा परिसम्पत्तियों के वाणिज्यिक प्रचालण की तारीख को इस तथ्य के संबंध में अनुमोदित किया गया कि एनपीसीआईएल की कुन्दनकुलम पावर परियोजना में विभिन्न कारणों जैसे रशिया से कम्पनियों से ड्रांइग तथा उपकरणों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण देरी हो रही है।

4. एक उत्पादन कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र के क्षेत्राधिकार का प्रस्ताव याचिका संख्या 220/2009 दायर की। आयोग ने आदश दिनांक 26–07–2010 के द्वारा सुओ–मोतू दायर की। आयोग ने आदेश दिनांक 28–07–2010 के द्वारा सुओ–मोतू याचिका सं0 58/2008 में अपने आदेश पर पुनर्विचार किया तथा ग्रिड कोड 2010 के अनुसार क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के नियंत्रण क्षेत्र के क्षेत्राधिकार को निर्धारित किया।

(एफ) अन्तर-राज्यिक निर्बाध पहुँच को सुविधाजनक बनाना

1. निर्बाध पहुँच की अस्वीकृति के मामलों में निर्देश

नारायणपुर पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, बैगलूरू ने निर्बाध पहुँच की अस्वीकृति के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र, कर्नाटक के खिलाफ याचिका संख्या 188/2009 दायर की। आयोग ने दिनांक 27–07–2010 के आदेश द्वारा गैस–अभियोजन के लिए याचिका खारिज कर दी।

वेदान्त एल्युमिनियम लि0 ने निर्बाध पहुँच की अस्वीकृति के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्बाध पहुँच मामले की सुनवाई की जा चुकी है तथा अंतिम आदेश प्रक्रियाधीन है।

(जी) पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना (अनुदान)

1. ईस्ट–नार्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लि0, नई दिल्ली

आवेदक, ईस्ट–नार्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लि0 ने निर्माण, निजी परिचालन तथा रखरखाव के आधार पर उत्तरी क्षेत्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र में अधिशेष बिजली के आयात को समर्थ बनाने की योजना के लिए निम्नलिखित पारेषण लाइनों के के स्थापन, आरंभ, परिचालन तथा रखरखाव के कार्यभार के उत्तरदायित्व को लेने के लिए पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए याचिका संख्या 131/2010 दायर की:

(क.) पारेषण लाईनें

क्रम संख्या	नाम (अंतिम–बिन्दु स्थिति)	बोल्टेज श्रेणी (केवी)	लंबाई (किमी)	प्रकार ऐसी/डीसी
1.	बोगईगांव–सिलीगुड़ी	400	217,417	डी/सी क्वाड
2.	पूर्णिया – बिहारशरीफ	400	209,893	डी/सी क्वाड

आवेदक को तारीख 28–10–2010 के आदेश धारा 25 वर्ष की अवधि के लिए जब तक कि पहले प्रतिसंद्धतन की जाए।

2. तलचर II पारेषण कंपनी लि0

आवेदक, तलचर II ट्रांसमिशन कंपनी लि0 ने आवेदक तलचर–II ट्रांसमिशन कंपनी लि॰ ने निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनने वाली पारेषण प्रणाली तलचर–II पारेषण प्रणाली के संबर्धन के निमार्ण, स्वामित्व प्रचालन तथा रखरखाव के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु याचिका सं॰ 146/2010 फाइल की:

(क.) पारेषण लाईनें

क्रम संख्या	नाम (अंतिम–बिन्दु स्थिति)	बोल्टेज श्रेणी (केवी)	लंबाई (किमी)	प्रकार ऐसी/डीसी
1.	तलचर–II राउरकेला	400	161	डी/सी क्वाड
2.	तलचर–II राउरकेला	400	220	डी/सी
3.	बहरामपुर – गजुवाका	400	290	डी/सी

(ख) उप–केन्द्र

आवेदक को दिनांक 08–11–2010 के आदेश द्वारा 25 वर्षों के लिए यदि पहले रदद न की जाए, अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई।

क्रम संख्या	नाम (स्थिति)	बोल्टेज स्तर (केवी)	ट्रांसपोर्ट (संख्या तथा एमवीए क्षमता)	प्रतिक्रियाशील/क्षतिपूर्ति क्षमता एमवीएआर क्षमता के साथ डिवाइस	बेज की संख्या
1.	बहरामपुर	440/220	2 x 315 एमवीए	(अ) 4–50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर (ब) 1–63 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर	220 केवी

3. क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0

क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0 ने निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनने वाली पारेषण प्रणाली को स्थापित करने, प्रारंभ करने, प्रचालन करने तथा रखरखाव के लिए पारेषण लाइसेंस के अनुपादन (स्वीकृति) के लिए याचिका सं0 31/2010 दायर की।

(स) पारेषण लाईनें

क्रम संख्या	नाम (अंतिम–बिन्दु स्थिति)	बोल्टेज श्रेणी (केवी)	लंबाई (किमी)	प्रकार ऐसी/डीसी
1.	मुजफ्फरपुर – सुरसंद	400 केवी 220 केवी स्तर पर प्रारंभिक रूप से चार्ज	90	डी/सी क्वाड

(द) उपकेन्द्र (सब स्टेशन)

क्रम संख्या	नाम (स्थिति)	बोल्टेज स्तर (केवी)	ट्रांसपोर्ट (संख्या तथा एमवीए क्षमता)	प्रतिक्रियाशील/ क्षतिपूर्ति क्षमता एमवीएआर क्षमता के साथ डिवाइस	बेज की संख्या
1.	पावर ग्रिड के मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र पर वे विस्तार कार्य	220	–	–	220 केवी

आवेदन को दिनांक 01–12–2010 के आदेश के जरिए 25 वर्षो के लिए प्रदान करने (यदि पहले न रद्द की जाए) लाइसेंस अनुदत्त किया गया।

4. जिन्दल पावर लि0

आवेदक, जिन्दल पावर लि0 ने पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए याचिका सं0 105/2010 दायर की। जिन्दल पावर लि0 ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में 1000(4 x 250) मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट वाले उत्पादन केन्द्र को स्थापित किया तथा उत्पादन परियोजना के रूप में, जेपीएल ने उत्पादन आरंभ होने के स्थान से अंतरसंयोजन बिन्दु तक तथा उसके आगे अंतर–राज्यिक पारेषण तक बिजली की निकासी के लिए जेपीएल, तमनार पावर संयंत्र से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कुमहारी में पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (पीजीसीआईएल) उप केन्द्र (सब स्टेशन) तक 400 केवीडी/सी पारेषण लाइन के रूप में 258 किमी लंबी समर्पित पारेषण लाइन स्थापित की।

आवदेक ने यह प्रस्तुत किया कि जिन्दल स्टील तथा पावर लि0 (जेएसपीएल) ने स्वतंत्र रूप से 358 मेगावाट की समग्र क्षमता वाले कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित किए तथा डोगा महुआ, रायगढ़ में एक अतिरिक्त 540 मेगावाट वाला संयंत्र चालू होने की प्रक्रिया में है। जेएसपीएल की विद्युत इकाईयां जेपीएल की उत्पादन परियोजना के समीप स्विचयार्ड से जुड़ी हैं, जेपीएल तथा जेएसपीएल ने एक सामझौता किया है कि जिसके द्वारा जेएसपीएल को जेपीएल की पावर (विद्युत) परियोजना में स्विचयार्ड से जोडा जा सकता है तथा जेपीएल की समर्पित पारेषण लाइन को कुम्हारी, रायपुर में पीजीसीआईएल के अंतर संयोजन बिन्दु तक जेपीएल की आवश्यकताओ को पूरा करने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित पारेषण लाइन में उपलब्ध अधिशेष क्षमता (बिजली) द्वारा जेएसपीएल की बिजली के निकास के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं।

आवेदक ने आगे प्रस्तुत किया कि क्योंकि यह समर्पित पारेषण लाइन छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादन के आरंभिक स्थान से पीजीसीआईएल के अंतः संबंधन बिन्दु के स्थान तक बिजली पहुँचाने की एक प्रणाली है, जोकि पीजीसीआईएल द्वारा किये जा रहे अंतर–राज्यिक पारेषण तंत्र से मिलता है तथा अधिनियम की धारा 2(36)(ii) के अर्थांगर्तन के भीतर एक अंतर–राज्यिक पारेषण तंत्र के अनुसार हैं। आवेदक ने आगे प्रस्तुत किया कि जेपीएल की उत्पादन सुविधाओ में स्विचयार्ड से पीजीसीआईएल के अंतः संबंधन बिन्दु तक जेएसपीएल की बिजली को पहुँचाने के लिए समर्पित पारेषण लाईन का प्रयोग विद्युत के पारेषण की एक ऐसी गतिविधि के रूप में गठित कर सकता हैं। जिसके लिए अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित धारा 14 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का पारेषण विद्युत का एक अंतर्राज्यीक पारेषण होगा क्योंकि जेएसपीएल द्वारा पारेषित की जाने वाली बिजली, पीजीसीआईएल के अंतर–राज्यिक पारेषण तंत्र के माध्यम से पहुंचाकर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर इसका बिक्री करने का इरादा है। इन तथ्यों तथा परिस्थितयों में जेपीएल की उत्पादन सुविधाओं के पास स्विचयार्ड से पीजीसीआईएल के अंतसंबंधन बिन्दु तक जेएसपीएल की बिजली के पहंचाने (हस्तांतरण) को सक्षम बनाने के लिए आवेदक ने एक अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन फाइल किया।

आवेदक जेपीएल ने निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनी पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

क्रम संख्या	नाम (अंतिम–बिन्दु स्थिति)	बोल्टेज श्रेणी (केवी)	लंबाई (किमी)	प्रकार ऐसी/ डीसी
1.	जेपीएल तमनार – पीजीसीआईएल रायपुर	400	258	डी/सी

(ख) उपकेन्द्र (सब स्टेशन)

क्रम संख्या	नाम (स्थिति)	बोल्टेज स्तर (केवी)	ट्रांसपोर्ट (संख्या तथा एमवीए क्षमता)	प्रतिक्रियाशील/ क्षतिपूर्ति क्षमता एमवीएआर क्षमता के साथ डिवाइस	बेज की संख्या
1.	टीपीएल तमनार स्विचयार्ड	400/220	2 x 315	शून्य	400 केवी – 2 लाइन बेज तथा 2 ट्रांसफार्मर बेज 220 केवी – 2 ट्रांसफार्मर बेज

आवेदक को उपरोक्त पारेषण तत्वों के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह लाइसेंस 25 वर्षों की अवधि के लिए, यदि इसे पहले रदद न किया जाए, बैध होगा। समर्पित पारेषण तत्वों के स्वामी को दिया जाने वाला यह अपनी तरह का पहला पारेषण लाइसेंस है जो अब से अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली का एक भाग है।

5. टौरेन्ट पावर ट्रांसमिशन लि0 के द्वारा पारेषण लाइन के विन्यास में परिवर्तन

टौरेन्ट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 को 16–05–2007 को पारेषण लाइसंस प्रदान किया गया। आवेदक ने क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सुजेन उत्पादन पावर प्लांट की अनुसूची कार्यक्रम के लिए बेहतर समन्वय तथा पारेषण परिसंपत्तियों के उपयुक्त रखरखाव के लिए प्रदान किये गये पारेषण लाइसेंस में सुधार का अनुरोध किया है। आयोग ने दिनांक 01–12–2010 के आदेश के जरिये प्रस्तावित सुधार को स्वीकृत किया है।

6. संयोजकता अथवा सीटीयू के साथ स्वतंत्र पावर उत्पादकों को संयोजकता तथा दीर्घकालिक निर्बाध पहुँच

टौरेन्ट पावर लि0 ने पश्चिमी क्षेत्र में गोवा राज्य के केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण निगम लि0 की पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए संघ शासित प्रदेश दमन और दीव तथा संघ शासित प्रदेश दादरा ओर नगर हवेली को केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत को पहुँचाने के लिए गुजरात पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बिलिंग प्रभारों के सहभाजन तथा आनुपातिक आधार पर पश्चिमी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के बीच संबंधों के लिए पारेषण प्रभारों के बिल के सहभाजन के विरुद्ध याचिका सं0 278/2010 दाखिल की। इसी प्रकार की याचिका जिंदल पावर लि0 द्वारा भी दाखिल की गई थी।

इंड भारत पावर लि0 ने अपने उत्पादन स्टेशन से केन्द्रीय पारेषण केन्द्र (सीटीयू) के संयोजन बिन्दु तक समर्पित लाईन के निर्माण के लिए याचिका सं0 348/2010 दायर की।

7.7. नवीकरणीय ऊर्जा

(क) टैरिफ निर्धारण पर आदेश

1. आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2009 अधिसूचित किया है। आरई टैरिफ विनियम में निम्नलिखित श्रेणियों के

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ के निबन्धन तथा शर्तें तथा उसके निर्धारण की पद्धति के लिए उपबंध करता है।

- पवन विद्युत परियोजना
- लघु हाईड्रो परियोजनाएं
- जैव समूह विद्युत परियोजनाएं
- गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक संयंत्र
  - सौर फोटो वॉल्टिक (पीवी) तथा सौर थर्मल विद्युत परियोजनाएं

आरई टैरिफ विनियम के विनियम 8 का खण्ड (1) यह उपबंध करता है कि "आयोग नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए, जिनके मानदंडों को विनियमों के तहत निर्दिष्ट किया गया है, नियंत्रण की अवधि के प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अग्रिम में कम से कम छः माह के लिए स्वप्रेरणा याचिका के आधार पर अधिमान्य टैरिफ निर्धारित करेगा।" आयोग ने दो दो जेनेरिक (अधिमान्य) सूओ मोतू टैरिफ आदेश जारी किये जो नियंत्रण अवधि (अर्थात वित्तीय वर्ष 2010–11) के दूसरे वर्ष के दौरान चालू होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू थे। आयोग ने आरई विनियमों के विनियम 8 (1) के तहत आदेश के निर्वहन में नियंत्रण अवधि के तीसरे वर्ष (यानी वित्तीय वर्ष 20–11–12) के लिए आईई परियोजनाओं के अधिमान्य टैरिफ निर्धारित किये हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान चालू की जाने वाली और विद्युत परियोजनाओं हेतु चालू की जाने वाली सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क पूजीगत लागत संनियम के निर्धारण के मामले में आदेश (दिनांक 9 नवम्बर, 2010 के प्रेरणा के आदेश 25–05–2010)

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान चालू की जाने वाली सौर पीवी बिजली परियोजनाओं, जिनका पीपीए 31–03–2011 को हस्ताक्षरित हो गया है, के लिए 1442 लाख रु0 प्रतिमेगावाट बेंचमाक्र पूंजीगत लागत संनियम निर्धारित किये।

वित्त वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान चालू की जाने वाली सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं जिनका पीपीए 31–03–2011 को हस्ताक्षरित हो गया है के लिए 1.5 लाख रु0 प्रति मेगावाट बेंचमार्क पूंजीगत लागत संनियम निर्धारित किए।

3. आयोग ने केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के अवधारण करने के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम 8 और इसके प्रथम संशोधन के तहत वित्त वर्ष 2011–12 के लिए जैनरिक उत्पादन टैरिफ का अवधारण किया। विभिन्न आरई प्रौद्योगिकियों के वित्त वर्ष 2011–12 के जेनेरिक स्तरीकृत टैरिफ क्रमशः अनुबंध VI में दिए गये हैं। (दिनांक 09–11–2010 के स्वप्रेरणा आदेश 256/2010)

(ख) केन्द्रीय एजेन्सी (एनएलडीसी) द्वारा प्रस्तुत आईसी तंत्र के तहत विस्तृत प्रक्रिया संबंधित आदेश

आयोग ने दिनांक 29–01–2010 के आदेश के जरिये राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) को केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया। केन्द्रीय एजेन्सी (एनएलडीसी) द्वारा प्रस्तुत आरईसी तंत्र के अंतर्गत विस्तृत प्रक्रिया, हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूपति, को आयोग द्वारा विचार किया गया तथा 1 जून, 2010 के आदेश के जरिए तत्काल अपनाने के लिए अनुमोदित किया गया।

आयोग ने 29–09–2010 को आरईसी विनियमों के पहले संशोधन को अधिसूचित किया जिसने दिनांक 01–06–2010 के आदेश के रूप में अनुमोदित विस्तृत प्रक्रिया में परिवर्तन करने को आवश्यक बना दिया। तदनुसार, केन्द्रीय एजेन्सी ने विस्तृत प्रक्रिया में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आयोग ने दिनांक 09–11–2010 के आदेश के द्वारा प्रस्ताव के विस्तृत विश्लेषण के बाद विस्तृत प्रक्रिया के पहल संशोधन को स्वीकृति दे दी।

(ग) आईसी रूपरेखा के लिए प्रविरत और न्यूनतम मूल्य के निर्धारण पर आदेश

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया। आरईसी विनियम के विनियम 9 के खंड (1) के पहले परंतुक के अनुसार, आयोग, केन्द्रीय एजेन्सी और विनियामकों के फोरम के परामर्श से सौर और गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के लिए प्रविरत और न्यूनतम मूल्य अलग से प्रदान करेगा। तदनुसार आयोग ने याचिका सं0

99/2010 में दिनांक में दिनांक 1, जून 2010 के आदेश के जरिए आरईसी विनियम के तहत प्रमाण पत्र के लेनदेनों के जरिए आरईसी विनियम के तहत प्रमाण–पत्र के लेनदेनों के लिए निम्नलिखित प्रविरत मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये।

	गैर सौर आरईसी (एमडब्ल्यू एच)	सौर आरईसी (एमडब्ल्यू एच)
प्रविरत (अधिकतम) मूल्य	3900	17000
आधार (न्यूनतम) मूल्य	1500	12000

उपरोक्त वर्णित प्रविरत मूल्य और न्यूनतम मूल्य वित्तीय वर्ष 2012 तक की नियंत्रण अवधि के लिए वैध रहेंगे।

(घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के विनियम 11 के तहत देय कोस और प्रभारों के निर्धारण संबंधित आदेशः याचिका सं0 99/2010 (स्वप्रेरणा) आदेश की तिथिः 01-06-2010।

केविविआ आरईसी विनियम का विनियम 11 आयोग को केन्द्रीय अभिकरण से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों रजिस्ट्रीकरण पात्रत्रा प्रमाणपत्र, जारी करने तथा उससे संबद्ध अन्य विषयों के लिए स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र इकाईयों द्वारा संदेय करने तथा प्रभारों के आधार पर सशक्त बनाता है। तदनुसार, आयोग ने दिनांक 01–06–2010 के आदेश (याचिका सं0 99/2010) (स्वप्रेरणा) के जरिए केन्द्रीय एजेन्सी के द्वारा पंजीकरण, तथा आरईसी द्वारा जारी, राज्य एजेंसी के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित कोस और प्रभारों को निर्दिष्ट किया।

प्रमाणन	शुल्क एवं प्रभार
आवेदन प्रकिया शुल्क	₹ 5,000
प्रमाणन शुल्क (5 वर्ष के लिए एक बार)	₹ 30,000
वार्षिक प्रभार	₹ 10,000
पुनः वैधीकरण शुल्क (5 वर्षो के पश्चात्)	₹ 15,000

पंजीकरण	शुल्क एवं प्रभार
आवेदन प्रकिया शुल्क	₹ 1,000
प्रमाणन शुल्क (5 वर्ष के लिए एक बार)	₹ 5,000
वार्षिक प्रभार	₹ 1,000
पुनः वैधीकरण शुल्क (5 वर्षो के पश्चात्)	₹ 5,000

निर्गमन	शुल्क एवं प्रभार
प्रत्येक आरईसी निर्गमन के लिए शुल्क	10

7.8 वर्ष के दौरान अन्य क्रियाकलाप

(क) सीईआरसी में विनियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली (रिम्स)

विकनयामक सूचना प्रबंधन प्रणाली (रिम्स) एक कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग माध्यम होगा और इसे पुख्यतः सूचना संग्रहण विनियामक विश्लेषण अनुपालन निगरानी, निर्णय निर्माण एवं अन्य विनियामक कार्यो और प्रबंधन निर्णय सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिम्स, विनियामक और विनियमित प्रतिष्ठानों के बीच सूचना के

आदान–प्रदान का उपयुक्त माध्यम होगा। रिम्स का महत्वपूर्ण उद्देश्य बिजली क्षेत्र से संबधित सूचना का प्रसार करना तथा स्टेकहोल्डरों/जनता को विनियामक की अद्यतन जानकारी देना और उसे भावी उपयोग के लिए अभिलेख में रखना हैं। इससे पारदर्शिता आने के साथ साथ स्टेकहाल्डरों की भागीदारी भी बढ़ेगी। रिम्स के विकास और कार्यान्वयन का काम सफल बोलीकर्ता को दिया गया है और सॉफटवेयर संबंधित विर्निदेश को भी अंतिम रूप दे दिया कर लिया गया हैं।

(ख) केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

वर्ष 2010–11 में केन्द्रीय सलाहकार समिति की 13वीं, 14वीं तथा 15वीं बैठक नई दिल्ली में क्रमशः 16 जून, 2010, 20 सितम्बर 2010 तथा 04 मार्च 2011 को हुई।

(i) केन्द्रीय सलाहकार समिति की 13वीं बैठक

सीएसी की 13वीं बैठक में, निम्नलिखित मुद्दो पर विचार विमर्श किया गयाः–

- बाजार ढाँचा (स्वरूप) तथा बाजार कीमतें
- अल्पावधि ओटी सी बाजार में विद्युत कीमतें ऊची क्यों हाती हैं?
- उच्च कीमतों का नकारात्मक प्रभाव
- बाजार मध्यवर्ती पद्धति–मूल्य नियंत्रण
- मूल्य नियंत्रण स्तर का निर्धारण
- बाजार मध्यस्थता का प्रभाव मूल्य शीर्ष (कैम्प)
- उच्च कीमतो से संबंधित बाजार स्वरूप के मुद्दे
- ओटीसी तथा विद्युत (पावर एक्सचेंज बाजार) में मूल्य नियंत्रण की निगरानी तथा उसे लागू करने में चुनौतियां/सीमाएं

(ii) केन्द्रीय सलाहकार समिति की 14वीं बैठक

सीएसी की 14वीं बैठक में, निम्नलिखित मुद्दो पर विचार विमर्श किया गयाः–

- अल्पावधि बाजार का आकार–क्या मात्रात्मक नियंत्रण अपेक्षित है?
- पारेषण कॉरीडोर आबंटन–
  - → अनुज्ञप्ति व्यापारी तथा पावर एक्सचेंजो के बीच
  - → पावर एक्सचेजों तथा बाजार संयोजन के बीच
- पावर एक्सचेंज पर अन्तः दिवस तथा आकस्मिक बाजार
- पावर एक्सचेंज पर माह पूर्व मासिक अनुबन्ध
- पावर एक्सचेंज में बाजार डिजाइन में सुधार
  - → सांयकालीन बाजार
  - → 15 मिनट की बोली प्रक्रिया
- लाइसेंसधारी व्यापारियों के नेटवर्क का सुव्यवस्थीकरण
- मर्चेन्ट पावर प्लांटो के द्वारा उपलब्धता घोषणा

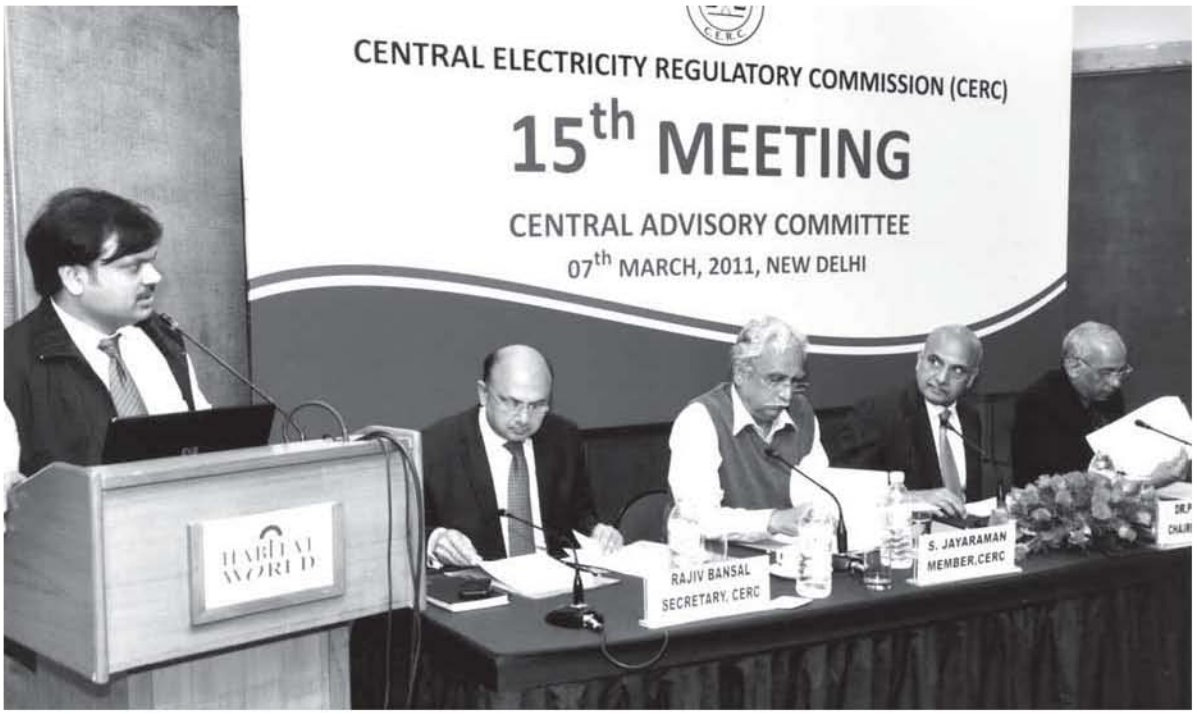

(iii) केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 15वीं बैठक सीएसी की 15वीं सभा में, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

- ग्रिड सुरक्षा– आवृति (फ्रीक्वेंसी) बैंड तथा अन्य उपायों को कठोर करने की आवश्यकता
  - → ग्रिड सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस सीमा तक स्वीकृत फ्रीक्वेंसी रेंज को और कम किया जाना चाहिए
- प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधारित टैरिफ में आनेवाली कठिनाईया तथा ईंधन खरीद प्रक्रिया को विनियमत करने की आवश्यकता
- व्यस्ततम विद्युत आपूर्ति के क्षमता बढ़ाने को सुकर बनाना निर्बाध पहुँच की उपलब्धता

(ग) विनियामको के फोरम (एफओआर) की गतिविधियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियामकों के फोरम को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगो के अध्यक्ष शामिल होते हैं। केविविआ के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष होते हैं। केविविआ कि नियामको के फोरम को सचिवालय सेवा प्रदान करता हैं।

2010–11 के दौरात नियामकों के फोरम की छः बैठकें हुई जिनमें विभिन्न मुद्दो पर चर्चा हुई तथा अनेक सिफारिशे की गई। वर्ष 2010–11 के दौरान फोरम ने निम्नलिखित कार्य बल/कार्यकारी समूहों को गठित किया:

- प्रारूप "उपरोक्ताओं के लिए निर्बाध पहुँच का माडल विनिमय" तैयार करने वाला कार्यकारी समूह डीएसएम व ऊर्जा दक्षता पर कार्यकारी समूह
- विशेष आर्थिक जोन से संबंधित मुद्दो संबंधी कार्यकारी समूह

वर्ष 2010–11 में विनियामकों के फोरम ने निम्नलिखित अध्ययनों को पूर्ण किया हैं।

- माडल विनियम–उपभोक्ताओ के हितों की संरक्षा संबंधी रिपोर्ट
- माडल आपूर्ति कोड संबंधी अध्ययन
- उपयोगिताओं की वित्तीय व्यावहारिकता के लिए कारणों की जाँच
- डीस्कोम की वित्तिय व्यावहारिकता के लिए टैरिफ सुधार जाँच
- भारत में दिवसीय समय (टीओडी) टैरिफ के विश्लेषण व लागू करने संबंधी समनुदेशन
- अंतः राज्यिक निबार्ध पहुँच विनियम सितम्बर 2010 के माडल निबंधन तथा शर्ते
- आरईसी रूपरेखा के लागू होने के लिए राज्य अभिकरणों को वित्तीय सहायता वितरण फ्रैंचाइजी माडल के मयकीकरण संबंधी अंतिम रिपोर्ट

विनियामकों के फोरम ने वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित अध्ययन किये:–

- विनियामको लेखों का मानकीकरण
- बाजार प्रभुत्व संबंधी मॉडल विनियम
- देश में प्रीपेड मीटरिंग पर अध्ययन

विनियामको का फोरम (एफओआर) विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दो पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता हैं। वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये:–

1	विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यो के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	कैलिफोर्निया	03–06–2010 से 10–06–2010
2	विद्युत क्षेत्र विनियम के कानूनी पक्ष अनुभव तथा प्रवर्तन मुद्दे पर विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) के अधिकारियो के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएलएसआईयू बैंगलोर	28–06–2010 से 01–07–2010
3	विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए विद्युत क्षेत्र में विनियामक मुद्दो के विभिन्न पक्षो पर तृतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम	आईआईटी कानपुर 23 से 28 अगस्त 2010	
4	डिमांड साइड प्रबन्धन और ऊर्जा दक्षता पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई फरीदाबाद हरियाणा	16–11–2010 से 18–11–2010
5	सीजीआरएफ के अधिकारियों, लोकपाल तथा उपभोक्ताओ संगठनो के लिए उपभोक्ता हितों की सुरक्षा पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटी आई फरीदाबाद हरियाणा	24–11–2010 से 25–11–2010

(घ) भारतीय विनियामकों के फोरम की गतिविधियाँ

आयोग भारतीय विनियामकों के फोरम (एफओआईआर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है जिसमें विद्युत विनियामकों आयोगों के न केवल अध्यक्ष अपितु सदस्य तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों टी ए एमपी पीएनजी आरवी सीसीआई, एईआरए के सदस्य भी शामिल होते हैं। वर्ष 2010–11 में नई दिल्ली में वार्षिक साधरण निकाय की एक बैठक आयोजित की गई। शासी निकाय को व्यापक बनाने हेतु एफओआईआर के नियमें तथा विनियमों में संशोधन किया गया। अब न केवल विद्युत विनियामक बल्कि अन्य क्षेत्रों के विनियामक भी एफओआईआर में शामिल हो सकतें हैं। एफओआईआर ने दो अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किये जिनमें डीएसएम तथा संसाधन नियोजन बिजली कटौतियो से निपटने की व्यवस्था, राज्य स्तर के कोयला चालित विद्युत संयंत्रो के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण आदि जैसे मुद्दो पर विचार विमर्श किया गया। एफओआईआर ने "कृषि उपभोक्ताओ को आपूर्ति हेतु सेवा की लागत के मूल्यांकन तथा कृषि श्रेणी के लिए परस्पर आर्थिक सहायता" संबंधी अध्ययन भी चालू किया।

(ङ) दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (एसएएफआईआर) की गतिविधियाँ

एसएएफआईआर 1999 में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें सदस्यों के रूप में शैक्षिक संस्थापन उपभोक्ता निकाय/एनजीओ निगमित निकाय/उपयोगिताएँ इकाइयाँ तथा दक्षिण एशिया में उच्च स्तरीय क्षमता निर्माण तथा अवसंरचना विनियम व सम्बद्ध मुद्दो पर प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ऐसे क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो व व्यक्तियो का नेटवर्क बनाकर संबंधित विषय पर अनुसंधान प्रेरित करना है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय हों। इसका उद्देश्य उपयोगिता व अवसंरचना उघोगों के प्रभावी व दक्ष विनियम में सहायता करना तथा ज्ञान व सविज्ञता का लाभप्रद आदान प्रदान शुरू करना व विश्व की उत्तम प्रक्रियाओ के त्वरित कार्यान्वयन का रूझान तय करना भी हैं। केविविआ, एसएएफआईआर को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता हैं। केविविआ को दिसम्बर 2010 में एसएएफआईआर के प्रमुख के रूप में चुना गया।

(च) सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान-प्रदान कार्यक्रम

उन सेमिनार, सम्मेलनों/प्रशिक्षण/संयंत्र दौर से/आदान–प्रदान कार्यक्रमों जिनमें आयोग के अध्ययन रूपस्थ सचिव तथा कर्मचारी संघ ने भाग लिया का ब्यौरा अनुलग्नक–VIII तथा अनुलग्नक–IX में दिया गया है जिसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव व कर्मचारियों ने भाग लिया।

7.9 भारत सरकार को सलाह

आयोग ने विद्युत अधिनियम की धारा 79(2) के तहत निम्नलिखित मुददों पर भारत सरकार को कानूनी सलाह दी :–

(क) समर्पित पारेषण लाइनों की संस्थापना के संबंधन में

आयोग के समक्ष उत्पादन कंपनी तथा स्वामी/अधिभोगी के बीच एक विवाद लाया गया जिसमें समर्पित पारेषण लाइन, भूमि के मालि या कब्जेदार, जिस पर ऐसी लाइनों बिछाई गयीं थी, से पूर्व सहमति के बिना बिछायी गयी। विवादो के तथ्यों की जाँच करने पर इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समीक्षा की जैसे कठिनाइयों के हटाने के संदर्भ में भारत सरकार के आदेश दिनांक 8 जून, 2005 के अनुसार कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों तथा उत्पादन कंपनियों द्वारा समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण के मामले के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67(2) के अधीन वर्चित अनुज्ञप्ति संकर्म नियम 2006 गैर लाइसेंसधारकों द्वारा समर्पित पारेषण लाइन की स्थापना करने पर लागू नहीं होता।

समर्पित पारेषण लाइन योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवयश्यक रूपरेखा प्रदान करने के लिए आयोग ने दिनांक 14–05–2010 के पत्र के जरिए सरकार को सलाह दी कि अधिनियम की धारा 68 समर्पित पारेषण लाइनों को अनुमति देते समय (क) "समर्पित पारेषण लाइन" के नीचे बिछाने से पहले भूमि के स्वामी/कब्जेदार से जी जाने वाली सहमति, (ख) जहां स्वामी/कब्जेदार ऐसी लाइनों के नीचे बिछाने के लिए विरोध करता हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा मतभेद या विवाद (मुआवजे की राशि सहित) का समाधान, (ग) ऐसी लाइनों के नीचे बिछाने से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे या किराये का भुगतान, (घ) कोई भी अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार ठीक और उचित समझे, से संबंधित प्रक्रियाओं/उपबंधों के पालन करने की शर्त रखना चाहिए। इस तरह की कार्यवाही/उपबंध अनुज्ञप्तिधारी संदर्भ की तर्ज पर हो सकते हैं।

(ख) निर्बाध पहुँच धारा 11 मामले के बारे में 18-05-2010

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम धारा 11 या धारा 108 के अधीन जारी आदेश उत्पादन कंपनियों को केवल राज्य की इकाईयों को ही बिजली आपूर्ति करने के लिए अधिदेश देते हैं। इन आदेशों के साथ राज्य के बाहर बिजली के निर्यात को निषिद्ध किया गया। विद्युत अधिनियम की पूरी योजना को निर्बाध पहुँच के मूल सिद्धांत पर बनाया गया है। धारा 10(2) के तहत उत्पादन कंपनियों को अपने बिजली के खरीदार (क्रेता) को चुनाने का अधिकार है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 असाधारण परिस्थितयों में उत्पादन स्टेशनों के संचालन और रख रखाव के बारे में केवल दिशा निर्देश प्रदान करती है। आयोग ने माना कि यदि इन शक्तियों को बिजली के प्रत्यक्ष आपूर्ति करने की अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में आपूर्ति के लिए मौजूदा अनुबंधों का बलपूर्वक उल्लंघन होता है तो निर्बाध पहुँच की पूरी योजना विफल हो जाऐगी तथा बिजली के क्षेत्र में निजी निवेश जुटाने के लिए किए गये प्रयासों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ही आयोग ने आदेश जारी किये कि अधिनियम के तहत विनियामें के अनुसार निर्बाध पहुँच को स्वीकृति दी जा सकती है और धारा 11 के तहत आदेश के आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नही किया जा सकता।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारा 11 के तहत राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया और केविविआ के आदेश को खारिज कर दिया। यह ध्यान में रखते हुए कि निर्बाध पहुँच का कर्यान्वयन एक महत्वपूर्ण सुधार उपाय है और इस संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवधान नई उत्पादन क्षमताओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रभावित करेगा, आयोग ने उच्चतम न्यायालर्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की। आयोग ने दिनांक 18–05–2010 के पत्र के जरिये केन्द्रीय सरकार को सलाह दी है कि इस मुददे की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को सही कानूनी स्थिति पाने, जो दिशानिर्देशित करती है कि राज्य सरकार द्वारा निर्बाध पहुँच को बाधित या निषेधित नहीं किया जा सकता जोकि विद्युत अधिनियम की मुख्य विशेषता है, के लिए

उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए

(ग) प्रतिस्पर्धा बोली आधारित टैरिफ के लिए समय सीमा के संदर्भ में

केन्द्रीय सरकार ने टैरिफ नीति में निर्धारित की गई जनवरी 2011 की समय सीमा से परे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागत प्लस टैरिफ संरचना की अनुमति के लिए टैरिफ नीति में संशोधन करने के लिए आयोग से सलाह मांगी है। आयोग ने टैरिफ नीति के खण्ड 5.1 और अपील सं0 106 और 107 में विद्युत अपील प्राधिकरण के हाल ही के फैसले के संदर्भ में इस मुददे पर बड़ी सावधानी पूर्वक विचार किया। आयोग ने लागत प्लस टैरिफ संरचना की अपेक्षा प्रतिस्पर्धी मांग के माध्यम से प्राप्त टैरिफ का एक प्रारंभिक विश्लेषण भी किया है।

प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर, आयोग ने दिनांक 01–06–2010 के पत्र के द्वारा केन्द्रीय सरकार को सलाह दी है कि निम्नलिखित मामलों को छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं से भी प्रतिस्पर्धी बोली आधारित टैरिफ के माध्यम से बिजली की उपादि के पारगमन को पूरा करने के लिए जनवरी 2011 की समय सीमा नहीं बढ़ानी चाहिए।

(क) लागत प्लस टैरिफ बड़े आकार की बहुउददेशीय भंडारण जल–विद्युत परियोजनाओं के लिए जटिलताओं और विशाल निर्माण की जोखिम को ध्यान में रखते हुए जारी रखा जा सकता है।

(ख) अब से आगे अनेक वर्षों तक भारत में अधिकतम आपूर्ति वाले स्टेशन की कमी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे आपूर्ति स्टेशनों की स्थापना के लिए एक विशेष नीति को समर्थन देने की आवश्यकता है जो कि खुले चक्र आधारित स्टेशन, आईसी इंजन आधारित प्रौद्योगिकी या भंडारण के पंपित संयंत्रों पर आधारित हो सकते हैं। केविविआ 2009–14 की अवधि के लिए ऐसे अधिकतम संयंत्रों के लिए एक विशेष टैरिफ संरचना को समाविष्ट करने के लिए अपने टैरिफ नियमों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे अधिकतम संयंत्र भारत में एक अद्भुत घटना हो सकते हैं तथा पूरी तरह से अपनी नियत लागत वसूली के लिए इन्हें लागत प्लस टैरिफ के आश्वासन की आवश्यकता पड़ेगी, केविविआ के नियंत्रण अवधि यानी 31 मार्च 2014 के वर्तमान टैरिफ के अंत तक राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए लागत प्लस टैरिफ संरचना पर ऐसे अधिकतम संयंत्रों की अनुमति दी जा सकती है।

अपनी सलाह का सिलसिला जारी रखते हुए दिनांक 1 जून, 2010 को आयोग द्वारा, प्रतियोगी बोली के माध्यम से खोजे जाने वाले मूल्य तथा लागत प्लस टैरिफ संरचना के तहत स्वीकृत होने वाले टैरिफ के विश्लेषण को विस्तृत विश्लेषण पूरा होने पर 14 में 12 परियोजनाओं के संबंध में, इसके निष्कर्षों से पाया कि लागत प्लस पद्धति के तहत अभिकलित मूल्य (कीमतें) प्रतियोगी बोली के तहत खोजे गये स्तरीकृत टैरिफ की तुलना में उच्च होतो हैं, अपनी सलाह को पुनः दोहराया गया कि केन्द्रीय सरकार को सभी पारेषण सेवाओं तथा विद्युत की भावी खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली आधारित टैरिफ के परागमन को पूरा करने की तारीख को टालना नहीं चाहिए। हांलाकि आयोग ने केन्द्रीय सरकार द्वारा पारेषण से संबंधित उठाये गये मुददे के संदर्भ में (दिनांक 22–12–2010 के पत्र के द्वारा) सलाह दी है कि–

03–12–2010 को हुई इसकी बैठक में पारेषण पर अधिकार प्राप्त समति द्वारा बतायी गयी पारेषण परियोजनाओं/प्रणालियों को, इन प्रावधानों के अधीन कि "तत्काल परिस्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किये जाने वाले अथवा जो संक्षिप्त समय अनुसूची में लिए जाने के लिए आवश्यक हैं।" ऐस कार्यों के योग्य होने का अर्थ है कि जो इस तरह की अन्य परिस्थितियों अथवा तत्काल संकुलन से राहत दिलाने के लिए आवश्यक हों व जिसके लिए समुचित आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए, प्रतिस्पर्धी बोली की आवश्यकता से छूट के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।"

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संवर्धन के समर्थन के संदर्भ में

विद्युत अधिनियम की प्रस्तावना, 2003 स्पष्ट करती है कि कानून का महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना है। अधिनियम की धारा 86(1)(ई) राज्य विद्युत विनियामक आयोग को अन्य बातों के साथ, किसी भी व्यक्ति को बिजली की बिक्री, एक वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत के प्रतिशत, इस तरह के स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए निर्दिष्ट तथा ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करने के द्वारा ऊर्जा के

नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिदेश देती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि विद्युत विनियामक आयोग, टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन व शर्तों को निर्दिष्ट करने के दौरान, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देने की अनिवार्यता के द्वारा अन्य बातो को भी निर्देशित करेगा।

अधिनियम के लागू होने के बाद से विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस दिशा में अनेक विनियामक कदम उठाये गये। अनेक एसईआरसी ने पहले से ही किसी वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में प्राप्त की जा सकते वाली बिजली की इस तरह के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट किया है आर इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए लागत प्लस टैरिफ को अधिसूचित किया है। इन उपायों ने हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा की तेजी से क्षमता वृद्धि की है। एक अनुमान के अनुसार भारत में उत्पन्न विद्युत का लगभग 3.9 प्रतिशत भाग ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है। यद्यपि आरपीओ का स्तर, अर्थात ऐसे स्रोतों से प्राप्त की जा सकने वाली बिजली की प्रतिशतता, विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण ढंग से भिन्न हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने 10 प्रतिशत से अधिक के आरपीओ स्तर को प्राप्त किया है, जबकि अमेरिका के अनेक राज्यों ने 2 प्रतिशत आरपीओ स्तर को छुआ तक नहीं है)

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) को प्रकाशित किया है। यह योजना वर्ष 2010 में आरपीओ को 5 प्रतिशत करने के लिए और इस तरह हर वर्ष 1 प्रतिशत बढ़ाते हुए वर्ष 2020 में 15 प्रतिशत तक पहँचाने की परिकल्पना करती है। वर्तमान में, देश में उत्पन्न कुल बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है। विनियामकों के फोरम द्वारा किये गये एक अध्ययन मे पाया गया है कि नवीकरणीय आधारित ऊर्जा क्षमता को 10 प्रतिशत के आरपीओ स्तर तक पहुँचाना सुसंगत होना चाहिए।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाएं समान रूप से फैली नहीं हैं। इसलिए अनेक राज्यों को अन्य राज्यों के बिजली संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा को खरीदना होगा। इन लेनदेनों को आसानी से सुविधाजनक बनाने के लिए, केविविआ एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) व्यवस्था लागू कर रहा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा घटक मेजबान राज्य (जहाँ संयंत्र) स्थित है, के संघटक होंगे जिस तरह से अन्य राज्य को एक बाजार आधारित साधन के माध्यम से पारंपरिक बिजली तथा हरित अधिकारों का हस्तांतरण होता है।

हालांकि टैरिफ पर पैसे प्रति इकाई के दर से बढ़ाये गए आरपीओ का अनुमानित प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए वितरण उपयोगिताओं के उनके संबंधित विद्युत विनियामक आयोगों के समक्ष उच्च वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) के दावे और अनुमोदन की आवश्यक्ता होगी। सरकार के स्वामित्व वाली वितरण उपयोगिताओं के साथ अनुभव में अधिकांश परंपरागत स्रोतों से बिजली के लिए बड़ी हुई बिजली खरीद लागत पर भी उच्च एआरआर पारित करने के दावे में अपने भाग पर अरूचि दर्शाती हैं। अनेक एसईआरसी ने विनियामकों के फोरम में विचार–विमर्श के दौरान यह आशंका व्यक्त की है। इसलिए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि बिजली समवर्ती विषय है और ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व वाली उपयोगिताओं को आरपीओ को बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 20 जुलाई, 2010 के अपने पत्र के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सलाह दी है कि एनएपीसीसी में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एसईआरसी द्वारा आरपीओ स्तर के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति के रूप में समुचित नीति का समर्थन आवश्यक होगा जो केवल यह प्रदान करती है कि उपयुक्त आयोग क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए न्यूनतम प्रतिशत तय करेगा। एनएपीसीसी में निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए, यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकारी विद्युत अधिनियम 2003 के वैधानिक ढांचे के भीतर औपचारिक रूप से सभी राज्यों में एक समयबद्ध योजना से आरपीओ स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करें ताकि समग्र रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आरपीओ स्तर वर्ष 2015 तक 10 प्रतिशत पर पहुंच जाये। इस परामर्श के बाद, एनएपीसीसी में निर्धारित लक्ष्यों को भी विद्युत अधिनियम के अधीन टैरिफ नीति में शामिल किया जाना चाहिए।

8

वर्ष 2010–11 के दौरान जारी अधिसूचनाएं

8 वर्ष 2010–11 के दौरान जारी अधिसूचनाएं

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विनिमय
1	84	07–04–2010	वितरण लाइसेंस धारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया के द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशा निर्देशों पर ऊर्जा मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 19–01–2005 (समय समय पर संशोधित) के खण्ड (धारा) 5.6 (ग) के अनुपालन में बोली के मूल्यांकन (20–09–2010 तक खुला) के वार्षिक कीमतों में वृद्धि की अधिसूचना
2	96	16–04–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्राप्त प्रत्याशित राजस्व को संगणित करने की प्रक्रिया) विनिमय, 2010
3	114	28–04–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अनुसुचित विनिमय तथा संबंधित मामले) (संशोधन) विनियम, 2010
4	115	28–4–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010
5	145	26–05–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण) अनुज्ञप्ति करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया निबंधन व शर्तें, (संशोधन) विनियम, 2010
6	152	07–06–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य संबंधित मामलों के प्रक्रिया निबंधन व शर्तें, (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010
7	153	07–06–2011	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 (संशोधन) विनियम, 2010
8	154	07–06–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को अंतर्राज्यिक पारेषण स्कीम के लिए निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2010
9	155	07–06–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा विकास निधि) विनियम, 2010
10	162	16–06–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यिक पारेषण प्रभार तथा हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010
11	200	07–08–2010	नामित स्वतंत्र एजेंसियों अथवा संस्थानों अथवा विशेषज्ञों तथा अन्य संबंधित मामलों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की संवीक्षा करने के लिए के.वि.वि.आ. के भाज्यिक सिद्धांत दिशा निर्देश

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विनिमय
12	223	06–09–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2010
13	225	07–09–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यिक पारेषण तथा संबंधित विषयों में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिन निर्बाध पहुंच प्रदान करना) संशोधन विनिमय, 2010
14	232	17–09–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010
15	245	24–09–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभार निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010
16	248	30–09–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनिमय) विनियम, 2010
17	249	01–10–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता तथा जारी करने के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010
18	345	29–12–2010	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (बोली प्रक्रिया के मूल्यांकन तथा संदाय के उददेश्य के लिए अनेक वृद्धि कारक तथा अन्य मानदण्ड का संशोधन करने संबंधी अधिसूचना)
19	349	31–12–2010	के.वि.वि.आ. (अंतर्राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों का भागीदारी) विनियम, 2010 तारीख 16–06–2010 की प्रभावी तारीख को अधिसूचित करने वाली केन्द्रीय विद्युत अधिसूचना
20	10	19–01–2011	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) के अनुलग्नक –1 के खण्ड (5) तथा (7) के लागू होने की तिथि का अधिसूचन, विनियम, 2010 दिनांक 28–4–2010
21	62	30–03–2011	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों के फीस तथा प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011

9

2011-12 के लिए कार्यसूची

9 2011-12 के लिए कार्यसूची

(क) प्वांइट ऑफ कनेक्शन प्रभार विनिमय का कार्यान्वयन

(ख) 01–04–2012 से आरंभ होने वाली आगामी नियंत्रण अविध के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु टैरिफ विनिमय

(ग) ग्रिड अनुशासन सुनियत करने के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) और अनुसूचित विनिमय (यूआई) का पुनर्विलोकन

(घ) थर्मल विद्युत स्टेशनों के लिए बेंचमार्क पूंजीगत लागत का विकास

(ड़) "अंतर्राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधरियों के कार्य निष्पादन मानक" संबंधी पर विनियमों को अंतिम रूप देना

(च) के.वि.वि.आ. में विनियामक सूचना प्रबंध प्रणाली का कार्यान्वयन

(छ) आनुषंगिक सेवाओं को लागू करने परिचय की प्रक्रिया की पहल करना

(ज) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) ढांचे का कार्यान्वयन

10

लेखाओं का वार्षिक विवरण

10 लेखाओं का वार्षिक विवरण

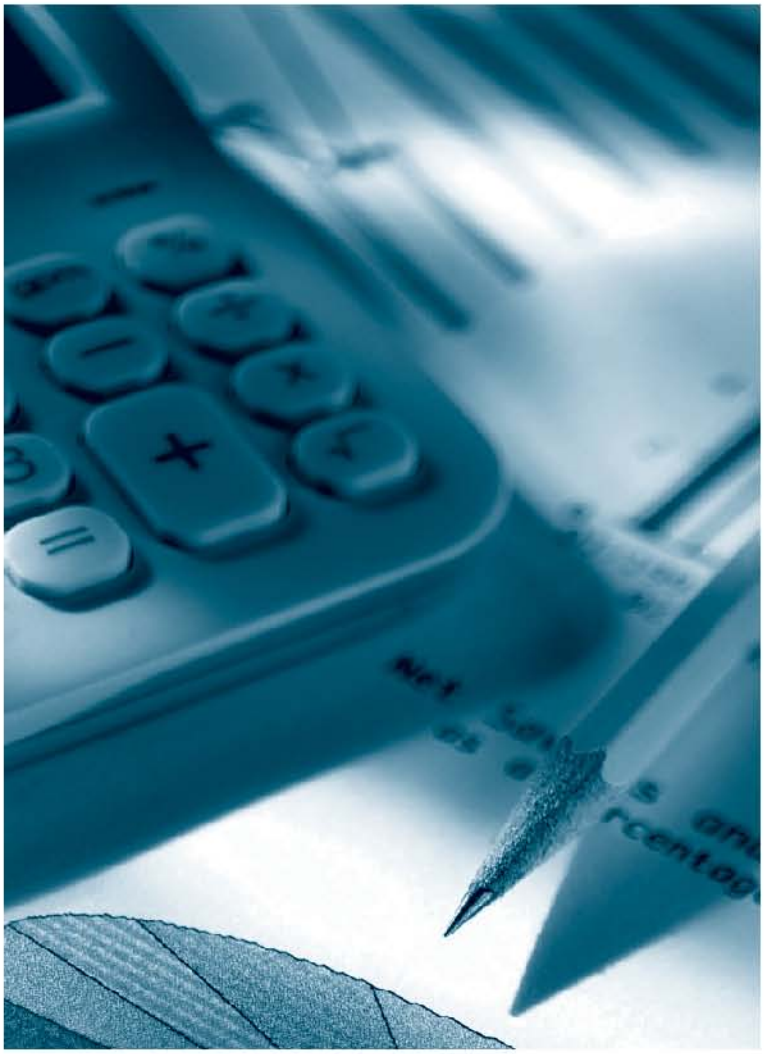

केन्द्रीय विद्युत विनियामक निधि की स्थापना विद्युत अधिनियम, 2003 को धारा 99 के अधीन हुई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी अनुदान ऋण, प्राप्त सभी फीस वे ऐसे आय स्त्रोतों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे, से केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां इस निधि में जमा की जाती हैं। इस निधि का उपयोग केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक संबंधी खर्चों तथा आयोग द्वारा अपने कृत्यों आदि के निर्वहन में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया गया, वार्षिक लेखा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित **अनुबंध 10** में दिया गया हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग को केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण/ अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

11

आयोग का मानव संसाधन

11 आयोग का मानव संसाधन

अधिनियम के अधीन आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं। आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कार्यकुशलता, इंजीनियरिंग, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, विधि, पर्यावरण, सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबद्ध कार्य–क्षेत्रों में समुचित विशेषता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेषता पर निर्भर करता है। आयोग के प्रमुख मानव संसाधन की सूची **अनुबंध**–X तथा **अनुबंध**–XI में दी गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग, सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहता है। कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए, इसने विनियम बनाए हैं। आयोग में कर्मचारिवृंद की स्थिति और वर्ष 2010–11 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारिवृन्द का ब्यौरा नीचे सारणी–1 तथा 2 में दिया है।

सारणी-1

31 मार्च, 2011 को आयोग में स्वीकृत/भरे गए/रिक्त पद				
क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	.
2.	प्रमुख	4	2	2
3.	संयुक्त प्रमुख	5	4	1
4.	उप प्रमुख	13	10	3
5.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	.	1
6.	सहायक प्रमुख	16	10	6
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	.
8.	सहायक सचिव	2	2	.
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	2	2	.
10.	प्रधान निजी सचिव	4	2	2
11.	निजी सचिव	5	5	.
12.	सहायक	6	6	.
13.	वैयक्तिक सहायक	7	3	4
14.	आशुलिपिक	3	3	.
15.	स्वागती–सह–दूरभाष आपरेटर	1	1	.
16.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	.	2
17.	चपरासी	2	2	.
18.	ड्राइवर	4	4	.
	योग	80	59	21

सारणी-2

क्रम सं.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1.	सचिव	1
2.	प्रमुख सलाहकार (विधि)	1
3.	उप प्रमुख	3
4.	सहायक सचिव	2
5.	सहायक	1
	कुल	8

अनुबंध

I अनुबंध

केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति (01-04-2010 से 31-03-2011 तक)

पिछले वर्ष (2009–10) की याचिकाएं	2010–11 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल याचिकाएं	निपटाई गई याचिकाएं	31–03–2011 को लंबित याचिकाएं
277	335	612	249	363

01-04-2010 से 31-03-2011 के दौरान निपटाई गई याचिकाएं

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
1	277/2009	20–11–2009	पीजीसीआईएल	विनियामक अनुमोदन तथा भूटान की पोट्साची – I परियोजना के शून्यीकरण की निष्पादन प्रणाली के लिए अन्य सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन	05–04–2010
2	306/2009	11–12–2009	पीजीसीआईएल	2008–09 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में नगआ में नगदा और बीना में सहबद्ध खण्ड उपकरण के साथ साथ 400 केवी की बीना नागदा पारेषण लाइन पर खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण पर संशोधित पारेषण टैरिफ का अवधारण	07–04–2010
3	309/2009	11–12–2009	पीजीसीआईएल	2004–09 के टैरिफ ब्लॉक के लिए पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर तथा भद्रावती उपकेन्द्र सहित 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन हेतु 2008–09 के दौरान खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	07–04–2010
4	314/2009	16–12–2009	पीजीसीआईएल	2004–09 के टैरिफ ब्लॉक के लिए पश्चिमी क्षेत्र में भद्रावती (पॉवर ग्रिड) स्विचिंग स्टेशन विस्तारण तथा चंद्रपुर (एमएसईबी) स्विचयार्ड विस्तारण सहित 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन हेतु 2008–09 के दौरान खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	07–04–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
5	313/2009	16–12–2009	पीजीसीआईएल	01.04.2007 से 31.03.2009 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र के लिए पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के कहलगांव भाग–II, फेज – I के अंर्तगत 400 केवी आगरा (पीजीसीआईएल) स्विचिंग स्टेशन (विस्तारण तथा 400/220 केवी ग्वालियर (पीजीसीआईएल) उपकेन्द्र विस्तारण सहित 765 केवी एस/सी पारेषण लाइन हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए, संशोधित पारेषण टैरिफ का निर्धारण	08–04–2010
6	307/2009	11–12–2009	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र के विंध्याचल तथा कोरबा में सहबद्ध बेज उपस्कर सहित 400 केवी एस/सी विंध्याचल कोरबा सीकेटी– II के लिए 2008–09 के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण संशोधित पारेषण टैरिफ का निर्धारण	08–04–2010
7	329/2009	30–12–2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए दक्षिणी क्षेत्र के प्रणाली सुदृढीकरण– VI के अंतर्गत लीलो के लिए विजयवाडा के 400/220 केवी उपकेन्द्र के विस्तार और वीमागिरी में 400 केवी डी/सी गजुवाका विजयवाडा लाइन के दोनो सरकट सहित 2008–09 के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय के पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	08–04–2010
8	248/2009	30–10–2009	अदानी	वर्क्स लाइसेंस नियम, 2006 के तहत नियम 3(3) के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन	09–04–2010
9	127/2010	12–04–2010	पीजीसीआईएल	2009–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में पुरीना उपकेन्द्र में विस्तार तथा 132 केवी एस/सी पुरीना डलकोला लाइन के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ की स्वीकृति	13–04–2010
10	168/2009	06–08–2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक (i) 40 प्रतिशत सेओनो खडवा सीके–1 एवं 2–II के लिए निश्चित श्रृंखला की क्षतिपूर्ति (ii) में इटारसी पीजी भोपाल (एमपीपीटीसीएल) सीकेटी– II तथा 220 केवी बेज केवी तथा इटारसी पीजी– (एमपीपीटीसीएल) सीकेटी– II सीकेटी– III) बेज 315 एमवीए, 400/200 बेज (iii) डब्लूआरएसएस–I पारेषण प्रणाली के अंतर्गत 400 केवी डी/सी रायपुर–सिपत ट्रांसमिशन लाइन के व्यावसायिक प्रचालन की तारीख तक अंतिम पारेषण टैरिफ तथा व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–03–2009 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण	19–04–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
11	319/2009	21–12–2009	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र से सहबद्ध बेज सहित 400 केवी एस/सी जमशेदपुर–राउरकेला (सीकेटी–II) पारेषण लाइन के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	24–04–2010
12	218/2009	05–10–2009	जेएसईबी	भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार पारदर्शी और अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए नियत किए गए टैरिफ पर आधारित मैसर्स रिलायंस पॉवर लिमिटेड को प्रदत्त झारखंड तिलैया अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजना में से बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ को स्वीकार करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत आवेदन।	26–04–2010
13	41/2010	22–2–2010	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में (आस्ति–2) पर ताला सिलिगुड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम 01–05–2006 के षेश भाग के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	26–04–2010
14	320/2009	21–12–2009	पीजीसीआईएल	01–05–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय 315 (3x105) एमवीए, इन्द्रावती ओएचपीसी स्विचयार्ड में 400/220 केवी ट्रांसफार्मर के लिए 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	26–04–2010
15	53/2010	22–02–2010	स्वप्रेरणा	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 एवं केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 (पहले संशोधन)के तहत जेनरिक स्तरीकृत समान उत्पादन टैरिफ का अवधारण।	26–04–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
16	325/2009	22–12–2009	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र के लिए सुदृढीकरण योजना (भूतपूर्व ताला अनुपूरक योजना का भाग) के अन्तर्गत प्रणाली के अधीन 01–03–2007 से 31–03–2009 की अवधि के लिए (i) 315 एमवीए, 400/220 केवी, 01–10–2006 से 31–03–2009 तक सिलीगड़ी में आईसीटी तथा 400 केवी डी/सी बिहार–शरीफ मुजफ्फरपुर लाइन, बिहार–शरीफ केवी विस्तार तथा मुजफ्फरपुर (ii) 01–11–2006 से 31–03–2009 की अवधि के लिए 400 केवी विस्तार (iii) 315 एमवीए, 400/220 केवी, 01–11–2006 से 31–03–2009 तक आईसीटी आई सुभाषग्राम उप–केन्द्र (नया) (iv) सुभाषग्राम में 400 केवी डी/सी फरक्का–जीरत लाइन के एक सरकट के एलआईएलओ तथा 1x315 एमवीए सहित सुभाषग्राम पर 400/220 केवी उपकेन्द्र (नया) की स्थापना, के लिए 01–04–2007 से 31–03–2009 के दौरान आस्ति–1 तथा 2 एवं आस्ति 3–4 के लिए 01–03–2007 से 31–03–2009 तक के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का अवधारण	26–04–2010
17	249/2009	30–10–2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में डोको से 31–03–2009 तक की रिहन्द दादरी एचवीडीसी बाईपोल तथा गोरखपुर–मुज्जफरपुर 400 केवी लाइन डोको 01–08–2008 तक व्यावसायिक प्रचालन तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की तारीख तक अंतिम पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	26–04–2010
18	253/2009	05–11–2009	टीएनईबी	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत याचिका	27–04–2010
19	138/2010	21–04–2010	पीएक्सआईएल	पावर एक्सचेंज ऑफ इन्डिया लिमिटेड के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति	03–05–2010
20	251/2009	04–11–2009	पीजीसीआईएल	01–02–2009 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड (भाग क) पारेषण प्रणाली में प्रणाली सुदृढीकरण के अंतर्गत बेज सहित 400 केवी डी/सी कोटा मर्ता ट्रांसमिशन लाइन (सीकेटी–। व ।।) के लिए 31–03–2009 तारीख तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का निर्धारण।	10–05–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
21	330/2009	30–12–2009	पीजीसीआईएल	2004–09 ब्लॉक के लिए पश्चिमी क्षेत्र के सिपत–II ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) 765 एससी बीना– ग्वालियर ट्रांसमिशन लाइन ग्वालियर उपकेन्द्र तथा बीना (पावर ग्रिड) उपकेन्द्र से सहबद्ध 400 केवी बेज बीना (पावर ग्रिड) (ii) ग्वालियर उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज के साथ 315 एमवीए, 400/220/33 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर तथा (iii) भाटापारा उपकेन्द्र के आईसीटी–। सहित संबद्ध बेज के साथ भाटापारा उपकेन्द्र में 400 केवी एमसी कोरबा रायपुर ट्रांसमिशन लाइन के एल.आई.एल.ओ के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	10–05–2010
22	003/2010	11–01–2010	पीजीसीआईएल	(I) सिपत में 400 केवी एस/सी कोरबा–रायपुर का एलआईएलओ (II) सहबद्ध बेज सहित 765 केवी सिपत–सयोनी ट्रांसमिशन लाइन सीकेटी–। (III) सयोनी उपकेन्द्र में दो 220 केवी लाइन बेज सहित 400/220 केवी आईसीटी–। (IV) 400 केवी डीसी नागदा देहगाम लाइन का सीकेटी–।। तथा (V) ब्लॉक 2004–09. सिपत के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–। ट्रांसमिशन प्रणाली के अन्तर्गत 400 केवी डी/सी नागदा देहगाम लाइन का सीकेटी–। (II) सहबद्ध बेज सहित 765 केवी सिपत सयोनी सीकेटी–। के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	10–05–2010
23	006/2010	11–01–2010	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में रांची उपकेन्द्र में झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड प्रणाली के साथ 220 केवी अंतर संयोजन से सहबद्ध रांची उपकेन्द्र में पत्रादु हातिया चांदिल 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के प्रथम केसीटी के एल.आई.एल.ओ तथा रांची उपकेन्द्र में पत्रादु हातिल चांदिल 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन की द्वितीय केसीटी के एल.आई.एल.ओ के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण परेषण टैरिफ का संशोधन।	10–05–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
24	212/2009	25–09–2009	एनईईपीसीओ	01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए डचस बैंक लोन अथवा सिंडिकेट बैंक लोन पर वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय तथा दी गई वास्तविक ब्याज दर को लागू करने के पश्चात 01–04–2004 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए अगरतला गैस टरबाइन विद्युत परियोजना (4x21 मेगावाट के लिए द्विपक्षीय टैरिफ का अनुमोदन	11–05–2010
25	213/2009	25–09–2009	एनईईपीसीओ	01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए डचस बैंक लोन अथवा सिंडिकेट बैंक लोन पर वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय तथा दी गई वास्तविक ब्याज दर को लागू करने के पश्चात 01–04–2004 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए असम गैस आधारित विद्युत परियोजना (291 मेगावाट के लिए द्विपक्षीय टैरिफ का अनुमोदन	11–05–2010
26	247/2009	30–10–2009	पीजीसीआईएल	व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–03–2009 तक पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में (i) रांची और सिपत उपकेन्द्र में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी रांची सिपत ट्रांसमिशन लाइन और (ii) कहलगांव स्टेज–II चरण–II ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत रांची उपकेन्द्र में 400 केवी रांची सिपत डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का 45 प्रतिशत एफएससी अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का निर्धारण।	13–05–2010
27	107/2010	30–03–2010	एसआरएलडीसी	टीएनईबी द्वारा अधिक निकासी और भार का समुचित प्रबंधन करके दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा बनाए रखना	13–05–2010
28	290/2009	26–11–2009	पीटीएल	(क) नरेन्द्र में 50 एमवीएआर रिएक्टर (ख) मैसूर में बस रिएक्टर एवं नरेन्द्र–देवनागिरी ट्रांसमिशन लाइन तथा (ग) दक्षिणी क्षेत्र में कैगा 3 व 4 (2x235 मेगावाट) परियोजना से सबंद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के अतंगर्त प्रथम अतिरिक्त पूंजीकरण सहित नरेन्द्र में 50 एमवीएआर रिएक्टर के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	13–05–2010
29	155/2010	13–05–2010	स्वप्रेरणा	आयोग को विद्युत व्यापारियों द्वारा कार्यान्वित नए संविदाओं की साप्ताहिक रिर्पोटिंग करना	13–05–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
30	211/2009	25–09–2009	एनईईपीसीओ	01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए डचस बैंक लोन अथवा सिंडिकेट बैंक लोन पर वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय तथा दी गई वास्तविक ब्याज दर को लागू करने के पश्चात् 01–04–2004 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए रंगानदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (3x135 मेगावाट) के लिए द्विपक्षीय टैरिफ का अनुमोदन	17–05–2010
31	050/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	(i) टैरिफ ब्लाकॅ 2004–09 के लिए पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज –II चरण–I (2x500 मेगावाट) ट्रांसमिशन प्रणाली के अतंगर्त 400 केवी डीसी कहलगावं पटना लाइन (पटना उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित 1x50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, 1x80 एमवीएआर बस रिएक्टर, पीएसईबी उपकेन्द्र के लिए उपकेन्द्र में 2 न0 220 केवी लाइन बेज तथा पटना उपकेन्द्र में आईसीटी–I के लिए 400 और 220 केवी बेज II से सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी मैथॉन रांची लाइन, रांची उपकेन्द्र से संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी, 315 एमवीए, आईसीटी–।। तथा रांची उपकेन्द्र में 220 पत्रातलु तथा चादिल बेज (iii) रांची में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर तथा रांची में 220 केवी लाइन बेज का 2 न0 डीओसीओ 01–09–2007 (iv) पटना उपकेन्द्र में आईसीटी–I (v) सबंद्ध बेज सहित रांची उपकेन्द्र में 400/220 केवी तथा पटना उपकेन्द्र में 2 न0 लाइन बेज तथा (अप) पूर्वी क्षेत्र के कहलगॉव स्टेज–II फेस– I (2x500 मेगावाट) ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत सबंद्ध बेज सहित पटना उपकेन्द्र में आईसीटी–II के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण परेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	18–05–2010
32	166/2009	06–08–2009	पीजीसीआईएल	(i) सेओनी उपकेन्द्र पर 765/400 केवी आईसीटी–III तथा ग्वालियर उपकेन्द्र पर 765/400 केवी आईसीटी–III एवं 400 केवी खंडवा–राजगढ सीकेटी–II सहित संबद्व बेज (ii) 400 केवी खंडवा–राजगढ सीकेटी–II सहित संबद्व बेज, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–03–2009 तक पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–II ट्रांसमिशन प्रणाली के अर्न्तगत बीना उपकेन्द्र में 63 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	19–05–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
33	311/2009	15–12–2009	पीजीसीआईएल	पॉवरलिंक्स की 400 केवी मंडोला बरेली लाइन सहित 400 केवी बरेली उपकेन्द्र (यूपीपीसीएल) (विस्तार) तथा 400 केवी मंडोला उपकेन्द्र (विस्तार), (ii) बेज के दोनों किनारों पर उन्नाव (यूपीपीसीएल) लाइन सहित 400 केवी डीसी लखनउ (पॉवरग्रिड), गोरखपुर (पॉवरग्रिड) पर, 2 न. 400 केवी बेज तथा पावरलिंक की लाइन 400 केवी डीसी गोरखपुर–लखनऊ लाइन पर गोरखपुर (पॉवरग्रिड) पर 2 न. 400 केवी बेज, सहबद्ध बेज सहित गोरखपुर (पॉवरग्रिड) में 400/200 केवी 315 एमवीए आईसीटी–I तथा सहबद्ध बेज सहित लखनऊ में 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी–III संबद्ध बेज सहित महारानी बाग जीआईएस में 315 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी–II (iv) ताला एचईपी, उत्तर पूर्वी अंतर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के अंतर्गत संबंद्ध बेज सहित महारानी बाग एल.आई.एल.ओ आईएस में 400 केवी डीसी बल्लभगढ़ दादरी ट्रांसमिशन लाइन के सीकेटी के एल.आई. एल.ओ तथा संबंद्ध बेज सहित महारानी बाग जीआईएस में 315 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी–I के लिए 01–04–2008 से 31–03–2009 के दौरान खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित परेषण टैरिफ का निर्धारण	24–05–2010
34	005/2010	11–01–2010	पीजीसीआईएल	(क) एक 315 एमवीए आईसीटी सहित नरेन्द्र में 400/220 केवी उपकेन्द्र (ख) दक्षिणी क्षेत्र में नरेन्द्र के 400/220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना सहित नरेन्द्र उपकेन्द्र में दूसरे 315 एमवीए आईसीटी के लिए 2008–09 के दौरान खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित परेषण टैरिफ का निर्धारण	24–05–2010
35	143/2006	27–11–2006	पीजीसीआईएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) (एफ) के अधीन याचिका	25–05–2010
36	134/2010	20–04–2010	पीएक्सआईएल	दिनांक 21–01–2010 को विद्युत बाजार विनियम के नियत प्रावधानों के साथ अनुपालन करने के लिए समय विस्तार के लिए अनुरोध	25–05–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
37	160/2009	05–08–2009	एनटीपीसी	कवास जीपीएस, 656.20 मेगावाट के लिए 2008–09 के दौरान होने वाले अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखकर 2004–09 की अवधि हेतु संशोधित निश्चित प्रभारों का अनुमोदन।	28–05–2010
38	99/2010	23–03–2010	स्वप्रेरणा	आरईसी फ्रेम वर्क के फोरबियरेन्स और न्यूनतम कीमत का निर्धारण	01–06–2010
39	165/2009	06–08–2009	पीजीसीआईएल	(i) सियोनी और खंडवा उपकेन्द्र पर सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी सियोनी–खंडवा ट्रांसमिशन लाईन, 80 एमवीएआर बस रिएक्टर, सियोनी उपकेन्द्र में 400/220 केवी आईसीटी 2 तथा 765/400 केवी आईसीटी–2 तथा लीलो में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी सरदारसरोवर–नागदा ट्रांसमिशन लाइन तथा 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी–I और (ii) पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–I के अंतर्गत सहबद्ध बेज तथा 3 x 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी सिपत सियोनी सीकेटी–I I के लिए व्यावसायिक प्रचालन की तारीख तक अंतिम परेषण टैरिफ तथा व्यावसयिक प्रचालन की तारीख से 31–03–2009 तक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का अवधारण।	01–06–2010
40	024/2010	04–02–2010	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में तिस्ता (स्टेज–V) सहित तीस्ता (स्टेज–V) सिलीगुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली के 400 केवी सर्किट–I के लिए 2008–09 के दौरान खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण परेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	01–06–2010
41	049/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	(i) पोल–2 सहित कोलार तथा तलचर में एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन (ii) कोलार और होसुर में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी कोलार–होसुर डीसी लाइन (iii) दक्षिणी क्षेत्र में तलचर ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत सालेग और उदुमलपेत में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी सालेम– उदुमलपेत एस/सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण परेषण टैरिफ के लिए संशोधन।	01–06–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
42	004/2010	11–01–2010	पीजीसीआईएल	वर्ष 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन। (i) पटना और बलिया से सहबद्ध बेज सहित 400 केवी बलिया लखनऊ सीकेटी–I और I I, 400 केवी बलिया मऊ सीकेटी–I, 400 केवी डी/सी पटना बलिया लाइन (ii) 400 केवी डी/सी लखनऊ बलिया लाइन के रूप में लखनऊ में 400 केवी बलिया माऊ सीकेटी–II, 40 प्रतिशत एफएससी (iii) बिहार शरीफ के उपकेन्द्र का 80 एमवीएआर बस रिएक्टर (iv) संबद्ध बेस सहित 400 केवी लखनऊ बरेली सीकेटी–I व II (v) सहवद्ध बेज सहित 400 केसी डी/सी बिहार–शरीफ बलिया लाइन और सीकेटी–VI (vi) उत्तरी क्षेत्र के सहवद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी बिहार शरीफ बलिया ट्रांसमिशन लाइन सीकेटी–II के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ	02–06–2010
43	008/2009	07–01–2009	स्वप्रेरणा	उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकासी अनुसूची से ज्यादा ऊर्जा की निकासी के लिए अनुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	02–06–2010
44	017/2009	20–01–2009	स्वप्रेरणा	भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में मॉडल कनेक्शन करार का समावेशन	08–06–2010
45	233/2009	26–10–2009	पीजीसीआईएल	निर्माताओं के समूह के लिए दीर्घकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करने के साथ आवश्यक निकास तंत्र के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन तथा अन्य सहायता का अनुदान	08–06–2010
46	126/2009	26–06–2009	एनटीपीसी	2004–09 की अवधि के लिए कहलगॉव सुपर पॉवर थर्मल स्टेशन, स्टेज–I 840 मेगावाट पर अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण नियत प्रभार का पुनरीक्षण	15–06–2010
47	214/2009	25–09–2009	निपको	01–04–2006 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए डचस बैंक लोन अथवा सिंडिकेट बैंक लोन पर वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय तथा दी गई वास्तविक ब्याज दर को लागू करने के पश्चातः 26–07–2004 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए कोपली हाइड्रो इलैक्ट्रिकल परियोजना, स्टेज–II (25 मेगावाट के लिए द्विपक्षीय टैरिफ का अनुमोदन	15–06–2010
48	305/2009	08–12–2009	वीपीपीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका	15–06–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
49	029/2010	08–02–2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार स्कीमों के लिए वर्ष 2005–09 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण संशोधित फीस तथा प्रभारों का निर्धारण	15.–06–2010
50	009/2010	12–01–2010	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में तारापुर अटॉमिक स्टेशन स्टेज–3 और –4 सहित तारापुर ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 2004–09 की टैरिफ अवधि के लिए 2008–09 के दौरान हुए अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण परेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	16–06–2010
51	026/2010	08–02–2010	स्वप्रेरणा	याचिका सं 117/2009 में दिनांक 24–12–2009 के आदेश का अनुपालन	16–06–2010
52	077/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	2004 – 09 की टैरिफ अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूपीपीसीएल के अंतर–संयोजन आगरा (पावरग्रिड–आगरा यूपीपीसीएल) 400 केवी डीसी के लिए 2005–06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए संशोधित पारेषण टैरिफ का निर्धारण	16–06–2010
53	023/2010	04–02–2010	पीजीसीआईएल	गजुवाका (पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र की अंतर–प्रादेशिक आस्ति) पर 50 मेगावाट एचवीडीसी बैक–टू–बेक स्टेशन तथा गजुवाका एचवीडीसी बैंक–टू–बैंक परियोजना (500 मेगावाट) की क्षमता की वृद्धि के अतंर्गत गजुवाका (दक्षिणी क्षेत्र) विजयवाड़ा पर उपकरणों तथा बे–विस्तार के साथ 400 केवीडीसी विजयवाड़ा गजुवाका पारेषण लाइन के लिए 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण	17–06–2010
54	104/2010	25–03–2010	एनएचपीसी	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए सलाल एचईपरियोजना के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	17–06–2010
55	034/2010	22–02–2010	सीबीपीसीएल	क्रास बॉर्डर पावर कम्पनी लिमिटेड, गुड़गाँव को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	18–06–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
56	039/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	(1) 400 केवी सिलीगुड़ी सब–स्टेशन (विस्तारण) (सुसंगत भाग), 400 केवी पूर्णिया सब–स्टेशन (विस्तारण) (सुसंगत भाग) (पूर्णिया सब–स्टेशन पर 400/200 केवी सहित, 315 एमवीएआईसीटी, पूर्णिया में –मुजफ्फरपुर 400 केवीडीसी के प्रत्येक सीकेटी पर 40 प्रतिशत नियत श्रंखला क्षतिपूर्ति तथा 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत टाईसेस्टर नियंत्रित श्रंख्ला क्षतिपूर्ति) (2) पूर्णिया सब स्टेशन में 400/200 के वी. 315 एमवीए आईसीटी (3)400/200 केवी मुजफ्फरपुर सब–स्टेशन (नया) मुजफ्फरपुर सब स्टेशन में मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन तथा आईसीटी द्वितीय के लिए लाइन रिएक्टर के साथ मुजफ्फरपुर में 2 नं. 400 केवी बेज को छोड़कर), 220 के वी मुजफ्फरपुर सब स्टेशन (बीएसइबी कान्ति) विस्तार और (4) पूर्वोत्तर अंतर संयोजक ताला एचईपी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय पारेषण तंत्र से सहबद्ध जुड़े मुजफ्फरपुर सब स्टेशन पर 400/200 केवी, 315 एमवीए आईसीटी द्वितीय के लिए 01–04–2007 से 31–03–2009 के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण संशोधित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	18–06–2010
57	242/2009	29–10–2009	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र के सिपत द्वितीय पारेषण तंत्र के तहत भट्टापारा सब स्टेशन पर 315 एमवीएआईसीटी द्वितीय के लिए व्यवसायिक प्रचालन की तिथि से 31–03–2009 तक अंतिम पारेषण टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का निर्धारण	18–06–2010
58	042/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2008–09 में सलाकाटी तथा बोगईगावं के विशेष सुरक्षा बलों (सीआईएसएफ) की तैनाती के मद्धे अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति	18–06–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
59	044/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	(1) 400 केवी डीसी विन्ध्याचल–सतना पारेषण लाईन के साथ–साथ सबंधित बेज सीकेटी तृतीय (2) सतना सब–स्टेशन पर 400/200 के वी, 315 एमवीए (3) 400 केवी डीसी विंध्याचल–सतना लाईन के साथ–साथ संबंधित बेज के सीकेटी चतुर्थ (4) बीना (पावर ग्रिड) सब स्टेशन पर 400 के वी सतना–बीना सीकेटी प्रथम तथा द्वितीय के लीलो (एलआईएलओ) (5) 400 केवीडी सी सतना–बीना पारेषण लाइन के सर्किट चतुर्थ (6) 400 के वीडीसी सतना–बीना पारेषण लाईन के सर्किट तृतीय (7) 400 केवीडीसी रायपुर –राउरकेला पारेषण लाईन के साथ साथ संबंधित बेज के लीलो (एलआईएलओ) (8) पश्चिमी क्षेत्र में विध्यांचल स्टेज तृतीय के अंतर्गत रायगढ़ सब स्टेशन पर 400/200 के वी 315 एमवीए आईसीटी द्वितीय के साथ–साथ, संबंधित बेज उपकरणों के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्ययों के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	18–6–2010
60	065/2010	04–03–2010	पीजीसीआईएल	(1) हिसार सब स्टेशन 50 एमवीएआर बस रिएक्टर (2) फतेहाबाद सब स्टेशन पर 400 केवी मोगा–हिसार पारेषण लाईन, फतेहाबाद सब–स्टेशन पर आईसीटी प्रथम, 220 के वी लाईन बेज के साथ–साथ संबंधित (3) उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना तृतीय के सहत 400, 200 के वी फतेहाबाद पर 315 एमवीए, 400/220 के वी आईसीटी द्वितीय के साथ साथ संबंधित बेज के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	18–06–2010
61	146/2009	23–07–2009	एनटीपीसी	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि में कहलगांव स्टेज द्वितीय(3x500 मेगावाट) के अस्थायी टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	21–06–2010
62	022/2010	04–02–2010	एनटीपीसी	याचिका संख्या 22/2009 में आयोग के दिनांक 10–12–2009 के आदेश का पुनरीक्षण– 20–06–2008 से 31–12–2008 तक की अवधि के लिए यूनिट–IV (500 मेगावाट के अंतिम टैरिफ तथा सिपत सुपर थर्मल के 01–01–2009 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए यूनिट चतुर्थ एव पांचवी संयुक्त) (2x500 मेगावाट) का अनुमोदन	22–06–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
63	318/2009	21–12–2009	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र (डीओसीओ 01–10–2005) में गंगटोक में 132 के वी डी सी सिलीगुड़ी–रंजीत के सर्किट के लीलो (एलआईएलओ) के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ का शोधन	02–07–2010
64	012/2009	12–01–2009	एनएलसी	एनएलसी द्वारा अधिगृहीत उत्पादन स्टेशन के मामले में माइंस भार पर विशेष ध्यान देने योग्य उपचर तथा सूचीकरण तथा यूआई संगणना के सीमित उद्देश्य के लिए एनएलसी – थर्मल पावर स्टेशन द्वितीय उत्पादन स्टेशन के संयुक्त स्टेज (3x210 मेगावाट) तथा स्टेज द्वितीय (4x210 मेगावाट)	02–07–2010
65	125/2009	25–06–2009	एनटीपीसी	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II के 01–08–2008 से 29–12–2008 की अवधि के लिए यूनिट –I (500 मेगावाट) तथा 30–12–2008 से 31–03–2009 की अवधि के लिए यूनिट–I एवं द्वितीय (2x500 मेगावाट) (संयुक्त) के अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	05–07–2010
66	033/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रंगानदी के एटीएस के अंतर्गत 400 केवीडीसी रंगानदी बालपार्क पारेषण लाईन के लिए 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	20–07–2010
67	035/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के दक्षिणी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र गजुवाका पर 400 केवीडीसी जयपोर – गजुवाका पारेषण लाइन तथा 500 मेगावाट बैक–टू–बैक स्टेशन के लिए 2007–08 के दौरान किये गये पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	20–07–2010
68	183/2010	22–06–2010	यूपीपीसीएल	अतिरिक्त यूआई प्रभारों समेत यूआई के भुगतान के संदर्भ में एनआरएलडीसी के पक्ष में प्रत्यय पत्र को खोलने के लिए 31–07–2010 तक मोहलत के लिए याचिका	20–07–2010
69	188/2009	28–08–2009	एनवीसीपीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(1) के आधीन याचिका	22–07–2010
70	220/2009	06–10–2009	डब्ल्यू आर एल डीसी	मुंद्रा एपीएल पावर स्टेशन के संबंध में नियंत्रण क्षेत्र की अधिकारिता के विषय का समाधान	28–07–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
71	308/2009	11–12–2009	एनटीपीसी–सेल	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लि0 के भिलाई विस्तार विद्युत परियोजना के 22–04–2009 से 20–10–2009 की अवधि के लिए यूनिट–I (250 मेगावाट) तथा 21–10–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए स्टेशन (यूनिट–I और यूनिट–II) (2x250 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	29–07–2010
72	052/2010	22–02–2010	एपीपीसीपीएल	याचिका सं0 149/2009 आईए सं0 35/2009 में दिनांक 08–01–2009 के पुनरीक्षण – सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) के लिए 2006–07, 2007–08, 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभारों का संशोधन	02–08–2010
73	128/2010	13–04–2010	सीएपीएल	यूनिट संरूपण परिवर्तन तथा विद्युत क्रय करार के अनुवर्ती संशोधन के अनुमोदन के लिए याचिका	02–08–2010
74	0017/2010	21–01–2010	पीटीएल	2009–14 तक की कालावधि के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 से आगे के लिए लागू मैट (एमएटी) कर दर पर रिटर्न ऑन इक्विटी की समग्रता के लिए विविध याचिका	03–08–2010
75	038/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनिमय, 2009 में शिथिलता के लिए के.वि. वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनिमय, 2009 के विनियम 44 शिथिल करने की शक्ति के आधीन विविध याचिका	03–08–2010
76	043/2010	22–02–2010	पीजीसीआईएल	(1) 400 के वीडीसी आरएपीपी – ककरौली पारेषण लाईन के साथ साथ संबंधित बेज (2) टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के उत्तरी क्षेत्र आरएपीपी 5 तथा 6 पारेषण तंत्र के तहत कंकरौली सब स्टेशन पर 400/220 के वी 315 एम वीए आईसीटी–II के साथ संबंधित वे तथा दो नं0 220 केवी लाईन बेज के लिए किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्ययों तथा अंतिम पारेषण टैरिफ का निर्धारण	03–08–2010
77	086/2010	17–03–2010	स्वप्रेरणा	याचिका संख्या 137/2009 में आयोग के दिनांक 31–10–2009 के आदेश के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन	06–08–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
78	137/2010	21–04–2010	एनडीपीएल	दिनांक 05–03–2010 के बिल मे ब्याज वृद्धि के लिए गैर–कानूनी दावे की वापसी तथा प्रतिवादी को इस प्रकार के बिल मे गैर कानूनी दावों को नहीं करने के लिए उचित दिशा निर्देश देने के लिए तथा एनएचपीसी लि0 को उचित दिश निर्देश के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(एफ) के तहत याचिका	06–08–2010
79	159/2010	25–05–2010	टोरैन्ट पावर	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के मैट कर पर रिटर्न ऑन इक्विटी की समग्रता के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 44 "शिथिल करने की शक्ति" के विविध याचिका	10–08–2010
80	210/2009	25–09–2009	नीपको	01–04–2006 से 31–03–2009 की अवधि के लिए सिंडिकेट ऋण पर दी गयी वास्तविक ब्याज दर को लागू तथा वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के समाहित होने के पश्चात 01–04–2004 से 31–03–2009 की अवधि के लिए कोपली जलविद्युत परियोजना – कोपली पावर स्टेशन (4x50 मेगावाट) के लिए द्विपक्षीय टैरिफ का अनुमोदन	17–08–2010
81	210/2010	26–07–2010	आईईएक्स	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र में व्यापार के लिए प्रारूप अनुबंध के अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (उर्जा बाजार) विनियम, 2010 के विनियमो 4 तथा 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के तहत याचिका	17–08–2010
82	215/2010	03–08–2010	पीआईएक्सएल	नवीकरणीय ऊर्जा खण्ड के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संविदा शुरू करने की स्वीकृति तथा भौतिक (वास्तविक) बाजार खण्ड के अंतर्गत अनुबंध से परे कितने भी दिन (दिनों) तथा माह के लिए अतः दिवस को शुरू करने की स्वीकृति	17–08–2010
83	070/2010	09–03–2010	पीजीसीआईएल	2009–14 से तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर में 400 केवीडीसी रायपुर–राउरकेला के लिए नियत तथा थाईरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला क्षतिपूर्ति के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	18–08–2010
84	283/2009	20–11–2009	आरजीपीपीएल	2009–14 तक की अवधि के लिए रत्नागिरी पावर स्टेशन के टैरिफ का अनुमोदन	18–08–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
85	286/2009	26–11–2009	पीटीएल	2009–14 तक की अवधि के लिए ताला जलविद्युत पावर, पूर्वोत्तर अंत:संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्रीय पारेषण तंत्र के साथ जुड़े 400 केवीडी/सी मुजफ्फरपुर–गोरखपुर पारेषण लाईन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	18–08–2010
86	327/2009	24–12–2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना–I पारेषण तंत्र के लिए 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के करण टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए पारेषण टैरिफ का संशोधन	18–08–2010
87	235/2009	26–10–2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में गाजुवाका पर खम्माम पर आईसीटी सहित रामागुंडम पारेषण तंत्र की टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीकरण तथा गैर–पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	26–08–2010
88	078/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2010 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवीडी/सी कोल्हापुर–मापुसा पारेषण लाईन (सीकेटी–I तथा सीकेटी–II) तथा पश्चिमी क्षेत्र में संबंधित बेज के संयुक्त तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	27–08–2010
89	230/2009	16–10–2009	एनएलसी	एनएलसी टीपीएस–I विस्तारीकरण, (2x210 मेगावाट) के लिए 2009–14 की अवधि के टैरिफ (वार्षिक नियत प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार) का निर्धारण	31–08–2010
90	030/2010	08–02–2010	पीसीएम	पीसीएम पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड–कोलकाता को विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	01–09–2010
91	071/2010	09–03–2010	पीजीसीआईएल	(1) कोलार–होसूर 400 केवी डी सी लाइन के दूसरे सर्किट के लिए कोलार तथा होसूर पर अतिरिक्त बेज (2) 01–04–2009 से 31–03–2014 के अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II के तहत संबंधित बेज के हिरियूर पर देवांगिरी–हूडी 400 केवी डी सी लाइन के लीलो तथा 315 एमवीए ऑटो ट्रांसफोर्मर सहित 400 के वी डी/सी हीरयूर सब स्टेशन के संयुक्त तत्वों के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	01–09–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
92	176/2009	21–08–2009	एनएचपीसी	01–04–2004 से 31–03–2009 तक की अवधि के लिए रंजित जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित नियत प्रभारों का अनुमोदन।	03–09–2010
93	206/2009	23–09–2009	एनएचपीसी	चमेरा–I पावर स्टेशन के संदर्भ में एएफसी पर वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव का निर्धारण	03–09–2010
94	057/2010	25–02–2010	एनएचपीसी	01–03–2004 से 31–03–2004 की अवधि के कथुवा, जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित सेवा जलविद्युत परियोजना स्टेज–II (3x40 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन।	06–09–2010
95	190/2009	31–08–2009	एनटीपीसी	चमेरा–II के संदर्भ में अपनी एएफसी के वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 संशोधन के लिये उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव का निर्धारण	13–09–2010
96	012/2010	12–01–2010	एसीईल	एबिलोन क्लीन एनर्जी लिमिटेड, अहमदाबाद को अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	14–09–2010
97	007/2010	11–01–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए कोरवा–बुधिपदार पारेषण तंत्र के पारेषण तंत्र का अनुमोदन।	15–09–2010
98	230/2010	10–08–2010	स्वप्रेरणा	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता व निगर्मन के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनिमय, 2010 के विनिमय द्वितीय के तहत फीस तथा प्रभार का निर्धारण।	21–09–2010
99	062/2009	27–03–2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए विद्युत अधिनियम 1964 के की धारा 64 के रूप में भारत सरकार द्वारा बिल की अनुमति तथा पारेषण पर वसूला सेवा कर तथा वसूली योग्य अन्य प्रभारों के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 12 'कठिनाईयो दूर करने की शक्ति' तथा विनियम 12 'शिथिल करने की शाक्ति' के तहत विविध याचिका।	23–09–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
100	025/2010	04–02–2010	एनटीपीसी	याचिका संख्या 32/2009 में आयोग के आदेश दिनांक 28–12–2009 का अंता जी पी एस (419.33 मेगावाट) के लिए वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2007–08 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्ययो के निर्धारण का पुनरीक्षण।	23–09–2010
101	081/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में कुन्दुम कुलम पारेषण तंत्र के अंतर्गत संबंधित बेज तथा उपकरणो के साथ कुन्दम कुलम (एनपीसी) तिरूनेल्वेली (पावर ग्रिड) 400 (क्वाड) डी/सी लाइन–I तथा II के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनिमय, 2009 के विनियम 24 के विनियम 3(12)(ग) के तहत व्यावसायिक प्रचालन की तिथि का अनुमोदन	24–09–2010
102	056/2010	25–02–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत संबंधित बेज के साथ 400 के वीडी/सी विजयवाड़ा नेल्लौर लाईन, 400 के वी डी/सी नेल्लौर, विजयवाड़ा के विस्तार तथा श्री पेरम्बूदूर सब स्टेशन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।	2–09–2010
103	064/2010	04–03–2010	एनटीपीसी	याचिका संख्या 129/2009 में दिनांक 11–01–2010 आदेश का पुनर्विलोकन फिरोज गाँधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन पर 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के प्रभाव का अवधारण का पुनरीक्षण।	27–09–2010
104	110/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोपली जलविद्युत स्टेज –I विस्तार परियोजना (2x50 मेगावाट) के साथ संबंधित पारेषण तंत्र के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।	27–09–2010
105	149/2010	11–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2008 से 31–03–2009 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली पारेषण तंत्र के लिए 2008–09 के दौरान गैर पूंजीकरण के कारण संशोधित पारेषण टैरिफ का अवधारण के लिए।	27–09–2010
106	167/2010	02–06–2010	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विध्याचल तथा कोरबा (डी ओ सी ओ–01–06–2007) पर 400 के वी एस/सी विध्याचल कोरवा सीकेटी–II के साथ संबंधित वे उपकरण के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।	27–09–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
107	194/2009	02–09–2009	एनटीपीसी	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (750 मेगावाट) पर 2006–07 (01–06–2006 से 31–03–2007) तथा 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के कारण संशोधित नियत प्रभार का निर्धारण।	28–09–2010
108	027/2010	08–02–2010	एनटीपीसी	याचिका संख्या 44/2009 में आयोग के दिनांक 30–12–2009 आदेश का पुनरीक्षण कवास गैस पावर परियोजना (656.20 मेगावाट) के नियत प्रभारों पर 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के प्रभाव का निर्धारण का पुनरीक्षण।	28–09–2010
109	097/2010	23–03–2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में 2009–14 की अवधि के लिए 132 के वी एस सी माउ–बलिया पारेषण लाइन के 01–04–2009 से 31–03–2014 के पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	28–09–2010
110	054/2010	25–02–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में चन्द्रपुर सब स्टेशन पर 50 एम वी ए आर रिएक्टर के साथ संबंधित उपकरण के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।	07–10–2010
111	143/2010	04–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तर क्षेत्र से सहबद्ध सलाल–I पारेषण तंत्र के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।	07–10–2010
112	132/2010	19–04–2010	पीजीसीआईएल	(क) 200 के वी डी/सी कायमकुलम– एडामन पारेषण लाईन तथा (ख) 01–04–2009 से 31–03–2014 तक अवधि के दक्षिणी क्षेत्र में कयमकुलम पारेषण तंत्र से सहबद्ध बेज़ के साथ 220 केबी डी/सी कायमकुलम पालोन पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।	11–10–2010
113	059/2010	26–02–2010	एनटीपीसी	याचिका सं. 123/2009 में दिनांक 11–01–2010– के आदेश का पुनर्विलोकन रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज–III (500 मेगावाट) के लिए वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभारों का संशोधन	12–10–2010
114	082/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में चमेरा स्टेज–I पारेषण तंत्र के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	15–10–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
115	102/2010	25–03–2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में भिवाड़ी में वल्लभगढ़– बास्सी 400 के बी एस/सी लाईन तथा आई सी टी –I तथा आईसीटी –II के लीलो के साथ 400/229 के वी भिवाड़ी सब– स्टेशन के 2004–05 के दौरान किये गये पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	15–10–2010
116	055/2010	25–02–2010	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में एनएलसी स्टेज–I के लिए 2004–09 की अवधि में 2008–09 के दौरान किये गये गैर–पूंजीकरण तथा अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	18–10–2010
117	114/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 के अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर–उपकेन्द्र पर पारेषण लाईन के सर्किट पर 220 के बी एस/सी पारेषण लाईन के सर्किट–I तथा–II पर सीरीज़ केपिसिटर्स के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	20–10–2010
118	115/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए चमेरा एचईपी (जलविद्युत परियोजना) स्टेज–II से सहबद्ध पारेषण तंत्र के अंतर्गत चमेरा पर 400 केवीएस/सी चमेरा–II किशनपुर पारेषण लाईन क लीलो के लिए पारेषण तंत्र का अनुमोदन	20–10–2010
119	116/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 के अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में 400 कवी डी/सी मदुरई (मदुरै) त्रिवेन्द्रम पारेषण प्रणाली के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	20–10–2010
120	21/2004	21–03–2004	डीएलफ	डीएलएफ पावर लि0, गुड़गांव को अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	20–10–2010
121	061/2010	26–02–2010	एमआईईएल	के.वि.वि.आ. (अंतर–राज्यिक पारेषण मे निर्बाध) विनियम, 2008 के विनियम 26 के साथ नये विनियम 22(2) के तहत याचिका	28–10–2010
122	130/2010	15–04–2010	ईएनसीआईएल	ईस्ट–नार्थ इंटरकनेक्सन कंपनी लि0 द्वारा स्थापित किया जा रहा पारेषण प्रणाली के संदर्भ में पारेषण प्रभारो को स्वीकार करने के लिए आवेदन	28–10.2010
123	131/2010	15–04–2010	ईएनसीआईएल	ईएनसीआईएल – ईस्ट–नार्थ इंटरकनेक्सन कंपनी लिमिटेड को अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	28–10–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
124	312/2009	16–12–2009	पीजीसीआईएल	(i) पावरलिंक की 400 के वी मुज़फ्फरपुर –गोरखपुर लाईन से सहबद्ध गोरखपुर उपकेन्द्र पर टीसीएससी तथा 400 केवी तथा 2 नं. केवी बेज़ (ii) उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच एक अंतरा–प्रादेशिक आस्ति के रूप में उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली तथा ताला एचई पी, पूर्वोत्तर अंतर संयोजक से सहबद्ध पारेषण प्रणाली तथा ताला एचई पी, पूर्वोत्तर अंतर संयोजक से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत पावर लिंक के 400 के वी मुज़फ्फरपुर पर दो 400 के वी बेज के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का संशोधन	03–11–2010
125	125/2010	08–04–2010	पीजीसीआईएल	पीजीसीआईएल–01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में संबंधित बेज़ के साथ जयपोर पर 400/220 के वी 315 एम बी ए ट्रांसफोर्मर के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन	04–11–10
126	129/2010	15–04–2010	एनआरएलडीसी	अधिक निकासी को नियंत्रित करके पूरे उत्तर पूर्वी पश्चिमी नये ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा का रखरखाव करना तथा उत्तरी क्षेत्र के द्वारा प्रभावशाली उपयुक्त भार प्रबन्ध करना।	04–11–2010
127	145/2010	05–05–2010	तलचर ट्रासमिशन कंपनी लिमिटेड	तलचर–II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संदर्भ में पारेषण प्रभारो को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम के धारा 63 के तहत आवेदन	04–11–2010
128	087/2010	18–03–2010	एआरपीसीपी	याचिका सं0 203/2009 मे 12–02–2010 के आदेश का पुनर्विलोकन अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	08–11–2010
129	140/2010	04–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र से सहबद्ध सलाल–II पारेषण प्रणाली पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	09–11–2010
130	153/2010	11–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरतला गैस आधारित पावर परियोजना के साथ संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका	09–11–2010
131	255/2010	15–09–2010	स्वप्रेरणा	वर्ष 2011–12 के दौरान लागू सौर पीवी पावर परियोजनाएँ तथा सौर थर्मल परियोजनाओ के लिए मानदंडित पूजीगत लागत मानको का निर्धारण	09–11–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
132	256/2010	15–09–2010	स्वप्रेरणा	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीक रणीय ऊर्जा स्त्रोतो से टैरिफ निधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीक रणीय उर्जा स्त्रोतो से टैरिफ निधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010 के विनियम 8 के तहत जैनेरिक समानीकृत उत्पादन टैरिफ का निर्धारण	09–11–2010
133	098/2010	23–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में 230 केवी नेवेली बाहूर पारेषण लाईन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	10–11–2010
134	146/2010	05–05–2010	तलचर ट्रासमिशन कंपनी लिमिटेड	तलचर–II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	12–11–2010
135	096/2010	23–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–02014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र से सहबद्ध वल्लवगढ़ उपकेद्र पर 315 एम वी ए 440/220 के वी आई सी टी–IV के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	15–11–2010
136	111/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र रिहन्द दादरी द्विपोल के लिए अतिरिक्त कनवर्टर ट्रांसफार्मर (स्पेयर) के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	15–11–2010
137	113/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के उत्तरी क्षेत्र में बैरास्थूल से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	24–11–2010
138	152/2010	11–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में भद्रावती (पावर ग्रिड) स्विचिंग स्टेशन (विस्तार) तथा चंद्रापुर (एम एस ई वी) पर बेज सहित भद्रावती चंद्रापुर 400 के वी डी/सी पारेषण लाईन के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन	24–11–2010
139	220/2010	09–08–2010	स्वप्रेरणा	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना द्वारा निकासी अनूसुची अधीक ऊर्जा की निकासी के लिए अनुसुचित विनियम प्रभारो के भुगतान में चूक	25–11–2010
140	222/2010	09–08–2010	स्वप्रेरणा	विद्युत विभाग मिजोरम सरकार, आइजोल द्वारा ऊर्जा निकासी अनुसूची के से अधिक ऊर्जा की निकासी के लिए अनुसुचित विनियम प्रभारों के भुगतान में चूक	25–11–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
141	010/2010	12–01–2010	टीपीजीएल	याचिका संख्या 10/2010 में टौरेन्ट पावर लिमिटेड को 16–05–2007 द्वारा जारी पारेषण अनुज्ञप्ति सं0 2/पारेषण/केविविआ में संशोधन संबंधी आदेश दिनांक 03–11–2010 का शुद्धिपत्र	01–12–2010
142	031/2010	09–02–2010	सीबीपीटीसीएल	क्रॉस बॉर्डर पावर कम्पनी लिमिटेड, गुडगांव को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	01–12–2010
143	079/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	(i) रूडकी सब स्टेशन पर संबंधित बेज के साथ 315 एमवी ए 400/220 केवी आई सी टी–I (ii) 01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में रूडकी में प्रणाली सदृढीकरण योजना के अंतर्गत रूडकी पर 400 केवी ऋषिकेश मुजफरपुर पारेषण लाईन के साथ संबंधित बेज के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	01–12–2010
144	150/2010	11–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में नेवेली टीपीएस–I विस्तार स्विचयाई पर मौजूदा नेवेली त्रिची 400 के वी डी/सी लाईन के सर्किट के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	01–12–2010
145	133/2009	03–07–2009	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती पारेषण तंत्र के अंतर्गत किशनपुर पर आई सी टी के लिए टैरिफ का अनुमोदन	01–12–2010
146	106/2010	29–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में मोगा हिसार भिवानी पारेषण तंत्र के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	01–12–2010
147	148/2010	11–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकटक जलविद्युत परियोजना के साथ संबंधित पारेषण तंत्र के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका	01–12–2010
148	069/2010	09–03–2010	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2009–2014 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–I पारेषण प्रणाली के अंतर्गत राजगढ सब स्टेशन पर 400/220 केवी, 315 एमवी ए, आई सी टी–II के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	02–12–2010
149	261/2010	21–09–2010	स्वप्रेरणा	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के द्वारा निकासी अनुसूची के उपयोग से उर्जा निकासी के लिए अनुसुचित विनयिम प्रभारो के भुगतान में चूक	03–12–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
150	158/2010	25–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में 400 के वी डी/सी रायपुर–चंद्रापुर (भद्रावती) पारेषण लाईन के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनियम 86 के तहत अनुमोदन	06–12–2010
151	203/2010	19–07–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक कर–अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में रांची उपकेन्द्र के झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड प्रणाली के साथ 220 केवी केवी अंतर संयोजन से सहबद्ध रांची उपकेन्द्र में पत्रादु हातिल चांदिल 220 केवी डीसी लाइन के प्रथम सीकेटी के एल.आई.एल. ओ तथा रांची उपकेन्द्र में पत्रादु हातिल चांदिल 220 केवी डीसी लाइन की द्वितीय सीकेटी के एल.आई.एल.ओ के लिए संयुक्त आस्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	08–12–2010
152	119/2010	01–04–2010	पीजीसीआईएल	(i) हैदराबाद (डोको –01–04.119) में 315 एमवीए, 400/220 केवी आटो ट्रांसफॉर्मर तथा (ii) 01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए एसआर में सीटीपी वृद्धि के अंतर्गत कुडप्पा (डोको –01.04.1997) में एक 50 एमवीआर रिएक्टर के लिए संयुक्त तत्वों के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	08–12–2010
153	101/2009	28–05–2009	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी तलचर ट्रांसमिशन प्रणाली के ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	14–12–2010
154	080/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में खंडवा में लीलो के 400 केवी डी/सी इटारसी–धूल ट्रांसमिशन लाइन तथा 400/220 केवी खंडवा उपकेन्द्र के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	14–12–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
155	173/2010	07–06–2010	पीजीसीआईएल	(क) 220 केवी इलाहाबाद रेवा रोड डी/सी पारेषण लाइन सीकेटी–I (ख) 220 केवी इलाहबाद–रेवा रोड पारेषण लाइन सीकेटी–I (ग) 220 केवी मोदीपुरम पारेषण लाइन के लीलो केवी (घ) 220 केवी मोदीपुरम–एन सिम्भोली ट्रांसमिशन लाइन के लीलो और (च) टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए उत्तरी क्षेत्र में 220 केवी प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत 220 केवी एस/सी मेरठ–शताब्दीनगर पारेषण लाइन आस्ति–I I के सहित 220 केवी इलाहाबाद–फूलपुर एस/सी पारेषण लाइन आस्ति–I और स्टेज–I I आस्ति से युक्त संयुक्त स्टेज–I आस्ति से युक्त संयुक्त स्टेज–I आस्ति के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	14–12–2010
156	147/2010	11–05–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में कानपुर में लीलो के 220 केवी एस/सी पंकी–नौबस्ता ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	16–12–2010
157	107/2009	10–06–2009	पीजीसीआईएल	2009–14 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (4 x 120) मेगावाट सहबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए टैरिफ का अनुमोदन	16–12–2010
158	139/2009	09–07–2009	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में यूपीपीसीएल की पांकी–मुरादनगर 400 केवी एस/सी लाइन पर श्रृंखला की क्षतिपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	20–12–2010
159	171/2010	03–06–2010	एनकेटीसीएल	उत्तरी करनपुरा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	22–12–2010
160	333/2010	22–12–2010	राष्ट्रीय उर्जा व्यापार एवं सेवाएं लिमिटेड हाइड.	लैनको पॉवर ट्रेडिंग लिमिटेड, हैदराबाद के अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के नाम और पते में बदलाव	22–12–2010
161	296/2010	22–11–2010	गुजराज प्राईवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र प्राईवेट लिमिटेड (स्वप्रेरणा)	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–III (परियोजना बी एवं सी) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वाणिज्यिक ऑपरेशन तिथि (आरसीओडी) के लिए अनुमोदन	31–12–2010

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
162	120/2010	01–04–2010	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में नाथपा झाकरी ट्रांसमिशन प्रणाली सहित कुनिहार एचपीएसईबी के लिए नालागड़ में दूसरे नम्बर की बेज तथा सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी नाथपा–झाकरी –नालागढ़ के लिए 2004–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	05–01–2011
163	122/2010	07–04–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में किशनपुर मोगा पारेषण प्रणाली के पारेषण टैरिफ के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2009 के विनियम– 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	06–01–2011
164	189/2009	31–08–2009	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस (2000 मेगावाट) के लिए 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 तथा 2004–09 की अवधि के दौरान हुए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण संशोधित नियत प्रभारों का अनुमोदन।	11–01–2011
165	122/2009	24–06–2009	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी एस/सी चमेरा–I किशनपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	13–01–2011
166	169/2010	03–06–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में रंजित ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन	13–01–2011
167	281/2010	28–10–2010	जय पोलीकेएम (इन्डिया) लिमिटेड	जय पोलीकेम (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली को अंतर–राज्यिक व्यापार लाइसेंस प्रदान के लिए आवेदान	13–01–2011
168	148/2009	23–07–2009	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र से सहबद्ध बेज सहित 220 केवी जालन्धर–हमीरपुर डी/सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999, विनियम 2009 के विनियम–86 के अंतर्गत अनुमोदन।	13–01–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
169	157/2010	25–05–2010	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में सिलिगुड़ी में उपकेन्द्र में 400 केवी बोगईगांव–मालदा ट्रांसमिशन लाइन के लीलो के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2004 के विनियम–86 के अंतर्गत अनुमोदन।	17–01–2011
170	163/2010	28–05–2010	पीजीसीआईएल	(i) संबंधित बेज के साथ 400 केवी डी/सी आगरा–बस्सी ट्रांसमिशन लाइन (ii) वगूरा उपकेन्द्र पर 3x105 एमवीए 400/220/33 केवीआईटी–III के साथ संबधित बेज (iii) उत्तरी क्षेत्र प्रणाली के साथ संबंधित पारेषण तंत्र के अंतर्गत वगूरा उप केन्द्र पर 220 केवी जनकोट III तथा IV बेज के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनयिम 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	11–01–2011
171	216/2010	08–04–2010	पीजीसीआईएल	पूर्वी–उत्तरी क्षेत्र अंतर–प्रादेशिक एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत सहबद्ध बेज सहित 400 केवी बिहारशरीफ–सासाराम–सारनाथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2004–05 से 2008–09 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण 01–04–2004 से 31–03–2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का पुनरीक्षण	17–01–2011
172	201/2010	13–07–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में सिंगरौली– विन्ध्याचल कॉरिडोर की प्रणाली सदृढ़ीकरण योजना के तहत विन्ध्याचल में बस कूपलर बेज तथा सिंगरौली अंत (सिंगरौली– विंध्याचल द्वितीय 400 केवी सीकेटी तथा विंध्याचल कानपुर एस/सी लाइन के पुर्ननिर्माण के लिए) पर बेज सहित सिंगरौली में 400 केवी विंध्याचल कानपुर लाइन के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका।	18–01–2011
173	172/2010	04–06–2010	पीजीसीआईएल	2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी–बी परियोजना से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली के संयुक्त तत्वों के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अवधारण	19–01–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
174	174/2010	09–07–2010	पीजीसीआईएल	(i) आगरा और ग्वालियर उपकेन्द्रों से सहबद्ध बेज सहित सिंगल एसेट आगरा–ग्वालियर 765 केवी द्वितीय एस/सी लाइन (ii) पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए, उत्तरी– पश्चिमी कॉरिडोर सुदृढ़ीकरण योजना के साथ जुड़ी हुई ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत संयुक्त आस्ति आगरा–ग्वालियर 765 केवी द्वितीय एस/सी लाइन एवं आगरा में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी जरदा–कंकरोली लाइन, ग्वालियर एवं जरदा, कंकरोली उपकेन्द्र के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	20–01–2011
175	195/2009	02–09–2009	एनटीपीसी	तलचर एसटीपीएस, स्टेज–I (1000 मेगावाट) के संदर्भ में 2004–09 की अवधि के दौरान व्यय हुए अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण नियत प्रभारों का संशोधन	20–01–2011
176	235/2010	18–08–2010	पीजीसीआईएल	2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए, पश्चिमी क्षेत्र में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी एस/सी जमशेदपुर राउरकेला (सीकेटी–II) ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2009 के अंतर्गत अनुमोदन।	20–01–2011
177	44/2009	27–02–2009	एनटीपीसी	कवास जीपीएस (656.2 मेगावाट) के लिए नियत प्रभारों पर 2004–05 से 2007–08 की अवधि के दौरान हुए अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के प्रभाव का निर्धारण	21–01–2011
178	120/2009	22–06–2009	एनटीपीसी	राष्ट्रीय राजधानी थर्मल स्टेशन, दादरी, स्टेज–I (840 मेगावाट) में 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण पुनरीक्षण नियत प्रभारों का निर्धारण।	21–01–2011
179	182/2009	28–08–2009	एनटीपीसी	रिहन्द सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, स्टेज–I (1000 मेगावाट) 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण पुनरीक्षण नियत प्रभारों का निर्धारण।	21–01–2011
180	198/2010	13–07–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 132 केवी एस/सी रंगानंदी–जीरो ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	24–01–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
181	246/2010	07–08–2010	एपीईपीडीएल	विद्युत क्रय करार पीपीए में परिणामी संशोधन अथवा ईकाई विन्यास को बदलने के अनुमोदन से संबंधित याचिका सं. 128/2010 में दिनांक 02–08–2010 के कमीशन के आदश का पुनर्विलोकन	24–01–2011
182	127/2009	26–06–2009	एनटीपीसी	2006 की अपील सं0 139 से 142 आदि 2007 का 10,11 तथा 23 मे विद्युत अपील अधिकरण के तारीख 13–06–2007 तथा अपील सं0 133, 135, 136 तथा 148/2008 मे तारीख 16–03–2009 के निर्णय के आाधार पर तारीख 09–05–2006 के आदेश का पुनरीक्षण	27–01–2011
183	095/2009	30–04–2009	एनटीपीसी	01–04–2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में टनकपुर ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	02–02–2011
184	133/2010	20–04–2010	स्वप्रेरणा	25–03–2010 से 18–04–2010 के दौरान टीएनईबी द्वारा वैधानिक उपबंधो के उल्लंघन की ग्रिड में से अधिक निकासी	03–02–2011
185	047/2010	22–02–2010	एनएलसी	के.वि.वि.आ के आदेश दिनांक 31–03–2009, 07–01–2010 तथा 27–01–2010 के आदेश का अनुपालन (आयोग द्वारा टीएनईबी को आयकर बकाया तथा ब्याज पर ली गयी अधिक रियायत के भुगतान के दिशानिर्देश)	04–02–2011
186	062/2010	03–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में सहबद्ध बेज उपस्कर सहित 315 एमवीए आईसीटी–III के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	08–02–2011
187	083/2010	16–03–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की नियंत्रण अवधि के लिए सीईआरसी (प्रादेशिक भार प्रेषण कोड सेंटर तथा अन्य संबंधित मामलों के शुल्क एवं प्रभार) के अंतर्गत एनएलडीसी प्रभारो (पोसोको भाग) विनियमों, 2009 का अनुमोदन	08–02–2011
188	241/2010	30–08–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में कैगा 3 व 4 ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत ट्रांसमिशन आस्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युंत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	08–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
189	266/2010	30–09–2010	पीजीसीआईएल	(क) नेलौर 400 केवी बेज विस्तार सहित 80 एमवीएआर बस रिएक्टर (ख) कुडप्पा 400 केवी बेज विस्तार सहित 315 एमवीए आईसीटी (ग) सोमनाहाली में रिएक्टर के लिए स्विचिंग व्यवस्था तथा गूटी विस्तार सहित 315 एमवीए आईसीटी एवं कोलार में द्वितीय 3x167 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर (घ) गजुवाका उपकेन्द्र बेज विस्तार सहित 315 एमवीए आईसीटी (ड़) मूनीराबाद उपकेन्द्र बेज विस्तार सहित 315 एमवीए आईसीटी तथा (च़) 01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के तहत खम्माम उपकेन्द्र बेज विस्तार सहित 315 एमवीएआईसीटी के लिए संयुक्त आस्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	08–02–2011
190	185/2009	28–08–2009	एनटीपीसी	विन्ध्याचल एसटीपीएस, स्टेज–III (1000 मेगावाट) के लिए 15–07–2007 से 31–03–2009 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण 2004–09 की अवधि के लिए संशोधित नियत प्रभारों का अनुमोदन।	10–02–2011
191	112/2010	31–03–2010	पीजीसीआईएल	(i) गूटी में नीलमंगला लाइन–II दृगूटी पर 40 प्रतिशत नियत मुआवजा (ii) 01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में नियत श्रंखला प्रतिकर के अंतर्गत कडापा में कडापा नार्गाजुनसागर सर्किट–1 तथा सर्किट–2, गूटी में नीलमंगला लाईन–1 – 40 प्रतिशत प्रतिशत नियत प्रतिकर के पारेषन टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 के अंतर्गत विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	10–02–2011
192	164/2010	28–05–2010	पीजीसीआईएल	(i) सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी दुलहस्ती–किशनपुर ट्रांसमिशन लाइन (ii) 01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती संयुक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत किशनपुर और वगूरा उपकेन्द्र में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी किशनपुर–वगूरा ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	10–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
193	176/2010	11–06–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में नागदा तथा बीना में सहबद्ध बेज उपस्कर सहित 400 केवी बीना–नागदा ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	10–02–2011
194	233/2010	13–08–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) में सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी धोलीगंगा जल बिजली परियोजना–बरेली (यूपीपीसीएल)के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	10–02–2011
195	236/2010	19–08–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए 132 केवी एस/सी एनईआर संवर्धन ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	10–02–2011
196	243/2010	31–08–2010	पीजीसीआईएल	संयुक्त आस्तियो के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण 01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विन्ध्याचल स्टेज–III ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी विन्ध्याचल–सतना ट्रांसमिशन लाइन का सीकेटी–III, (ii) सतना उपकेन्द्र में 400–220 केवी, 315एमवीए आईसीटी–II (iii) सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी विन्ध्याचल–सतना लाइन का सर्किट–IV (iv) लीलो का बीना (पावरग्रिड) उपकेन्द्र में 400 केवी सतना –बीना सर्किट–I तथा सर्किट–II (v) 400 के वी डी/सी सतना–बीना ट्रांमिशन लाइन का सर्किट–IV (vi) 400 के वीडी/सी सतना–बीना ट्रांमिशन लाइन का सर्किट–III (vii) सहबद्ध बेज सहित लीलो का 400 केवी डी/सी रायपुर–राउरकेला ट्रासंमिशन लाइन तथा (viii) रायगढ़ उपकेन्द्र में सहबद्ध बेज उपस्कर सहित 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी–II के लिए संयुक्त आस्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	10–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
197	253/2010	14–09–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में ऊंचाहार–III ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) रायबरेली से सहबद्ध बेज के साथ 220 केवी एससी उंचाहार रायबरेली ट्रांसमिशन लाइन, संबद्ध बेज के साथ रायबरेली में 220 केवी डीसी ऊंचाहार लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन का एल.आई.एल.ओ तथा रायबरेली में 200 एमवीए, 220/ 132 केवी आईसीटी तथा (ii) सहबद्ध बेज के साथ रायबरेली उपकेन्द्र में 100 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी–III की संयुक्त आस्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	10–02–2011
198	287/2010	22–10–2010	पीजीसीआईएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में विशेष एनर्जी मीटर्स के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 के अंतर्गत विनियम 86 के अंतर्गत अनुमोदन।	10–02–2011
199	073/2010	10–03–2010	पीजीसीआईएल	(i) हीरानगर उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित 132 केवी डी/सी सेवा–II हीरानगर लाइन तथा (ii) 01.04.2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सेवा–II एचईपी से सहबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत सहबद्ध बेज सहित 132 केवी डी/सी सेवा–II महानपुर लाइन का एक सर्किट के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	14–02–2011
200	085/2010	17–03–2010	पीजीसीआईएल	वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 में एकीकृत टैरिफ के लिए दक्षिण क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	14–02–2011
201	300/2010	26–11–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच अंतर्क्षेत्रीय लिंक में कहलगाँव स्टेज–II फेंज प्रथम पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन।	14–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
202	186/2010	24–06–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में बरीपाड़ा पर 400 केवी एस/सी, कोलाघाट, रेंगली के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अन्तर्गत अनुमोदन।	14–02–2011
203	226/2010	08–05–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज द्वितीय फेज द्वितीय पारेषण तंत्र के अंतर्गत रांची तथा सिपत एस/एस (आस्ति–I) पर संबंधित बेज के साथ 400 के वी डी/सी राँची सिपत पारेषण लाइन तथा राँची एस/एस (आस्ति–II) में 400 केवी राँची सिपत लाईन पर 40 प्रतिशत एफ एस सी के संदर्भ में पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विघुत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनिमय, 1999 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन।	17–02–2011
204	292/2010	16–11–2010	पावती कोलजम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	(क) सभी अचल आस्तिओ के बंधन (ख) सभी चल परिसम्पत्तियों की आडमान (ग) सभी परियोजना प्रलेख, अनुमति, अधिसूचना, सरकारी अनुमोदन तथा आदेशों इत्यादि के कार्य (घ) (1) गिरवी रखने के अनुबंध पत्र (2) भाराक्रांति का विलेख (3) पावती–II (जल विद्युत परियोजना) तथा कोलंडम (जल विद्युत परियोजना) पारेषण प्रणाली के साथ संबंधित परियोजना के लिए शपथ संलेख के माध्यम से परियोजना के लिए उधारदाता/उधारदाता एजेन्ट/सुरक्षा एजेन्ट के लाभ के लिए कंपनी के हिस्से को 51 प्रतिशत तक पहुँचाने की शपथ के रूप में सुरक्षा एजेन्ट समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए सुरक्षा एजेंट के पक्ष में सुरक्षा के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुभाग 17(3) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन	17–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
205	175/2010	11–06–2010	पीजीसीआइएल	(1) 400/220 केवी कोल्हापुर (एमएसईबी) सब स्टेशन के विस्तार (2)220 केबीडी/सी वापी–मगरवाड़ा पारेषण लाइन (3) 01–04–2009 – 31–03–2014 तक की अवधि से पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस––III पारेषण प्रणाली के साथ 220 केवीडी/सी वापी खारपाड़ा पारेषण लाइन के साथ से सहबद्ध बेज के संयुक्त तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	11–02–2011
206	204/2010	19–07–2010	एनटीपीसी	याचिका सं0 126/2009 में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–I (840 मेगावाट) के संदर्भ में नियत प्रभारों पर वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव के निर्धारण से संबंधित आदेश में दिनांक 16–06–2010 का पुनर्विलोकन	22–02–2011
207	177/2010	16–06–2010	पीजीसीआइएल	2009–14 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 400 केवीडी/सी तलचर–मेरामुंडली पारेषण लाईन के टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन।	23–02–2011
208	110/2009	17–06–2009	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में कवास पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	25–02–2011
209	141/2010	04–05–2010	पीजीसीआइएल	फरक्का–माल्दा पारेषण लिंक तथा पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त माल्दा में 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के सुदृढ़ीकरण के लिए 2007–08 के दौरान गैर–पूंजीकरण के कारण 01–04–2004 से 31–03–2009 के पारेषण टैरिफ के संशोधन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन।	25–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
210	200/2010	13–07–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर सब स्टेशन पर नीमंगला–मैसूर 400 के वीडी/सी पारेषण लाईन के साथ–साथ 2x315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए के.वि.वि. आ. (कारबार संचालन) विनियम, 1999 तथा के.वी. वी.आ.(टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	25–02–2011
211	202/2010	13–07–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2004 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड के तंत्र (प्रणाली) सुदृढ़ीकरण प्रणाली के अंतर्गत विजयवाड़ा में 400/220 के वी उप केन्द्र के विस्तार और वेमागिरी में 400 केवीडी/सी गजुवाका–विजयवाड़ा लाईन के दोनों सर्किट के लीलो के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	25–02–2011
212	218/2010	04–08–2010	पीजीसीआइएल	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए उत्तरी क्षेत्र में आगरा (पावरग्रिड) आगरा (उत्तरप्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0)400 केवी डी/सी अंतर संयोजन के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका	25–02–2011
213	249/2010	08–09–2010	एपीट्रांसको तथा 4 एपीडीएनसीमो एमएस	के.वि.वि.आ. की याचिका सं0 149/2009 में तथा सिम्हाड़ी पावर परियोजना स्टेज–I के संदर्भ में याचिका सं0 0149/2009 में आईए सं0 35 की फाईलिंग में निर्दिष्ट धनराशियों के लिए वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 के लिए एफईआरवी संगणना करने हेतु एनटीपीसी को के.वि.वि.आ. द्वारा आदेश जारी करने हेतु विविध याचिका	25–02–2011
214	311/2010	30–11–2010	पीजीसीआइएल	टैरिफ ब्लॉक अवधि 2009–14 के लिए उत्तरी क्षेत्र में भिवाड़ी पर 400/220 केवी भिवाड़ी उपकेन्द्र के साथ साथ बल्लभगढ़–बास्सी 400 केवीएक/सी लाईन तथा आईसीटी प्रथम तथा आईसीटी द्वितीय के लिए 01–04–2009 से 31–03–2014 कें पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए के.वि.वि.आ. (कारबार का संचालन) विनियम 1999 तथा के.वि.वि.आ. (टैरिफ के नियम व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	25–02–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
215	162/2010	28–05–2010	पीजीसीआइएल	(1) मोगा सब स्टेशन पर 315 एमवीए आईसीटी–IV के साथ–साथ संबंधित बेज और (2) 01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में अमृतसर तथा मोगा सब स्टेशन पर ट्रांसफोर्मेशन क्षमता के संवर्धन के अंतर्गत सब स्टेशन पर आईसीटी–II के साथ–साथ संबंधित बेज तथा अमृतसर दो पीएसईबी फीडर बेज तथा मोगा सब स्टेशन पर 400 केवी रिएक्टर वे तथा दो पीएसईबी लाईन बे के संयुक्त तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	01–03–2011
216	095/2010	23–03–2010	ईआरएलडीसी	नियंत्रण अवधि 01–04–2009 से 31–03–2014 के लिए ईआरएलडीसी प्रभारों (पीओएसओसीओ भाग)के लिए के.वि.वि.आ (भार पारेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों की फीस तथा प्रभार) विनियम, 2009 के अनुमोदन के लिए याचिका	08–03–2011
217	123/2010	07–04–2010	पीजीसीआइएल	(क) महबूब नगर पर नागार्जुन सागर–रायचूर के लीलो और (ख) 01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए दक्षिण क्षेत्र में तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना–IV के अंतर्गत अल्माटी पर नेल्लौर – श्रीपेरम्बुइर 400 केवी डी/सी लाईन के साथ–साथ संबंधित बेज के दोनों सर्किट का लीलो के संयुक्त तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	08–03–2011
218	195/2010	12–07–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी जयपोर–तलचर पारेषण तंत्र के लि पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए के.वि.वि.आ. (कारबार संचालन) विनियम, 1999 तथा के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	08–03–2011
219	093/2010	19–03–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 220 केवी डी/सी बिहारशरीफ–बेगूसराय पारेषण लाईन के लिए हाथीदाह रिवर क्रासिंग सेक्शन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	10–03–2011
220	111/2009	17–06–2009	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में काकरापार पारेषण तंत्र के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	11–03–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
221	299/2009	26–11–2009	नीपको	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए पूर्वोत्तर विद्युत पावर कॉपोरेशन लि0 के अगरतला गैस टरबाइन पावर परियोजना (84 मेगावाट) से बिजली की बिक्री के संदर्भ में टैरिफ का निर्धारण करना	11–03–2011
222	091/2010	19–03–2010	एनआरएलडीसी	नियंत्रण अवधि 01–04–2009–31–03–2014 के लिए एनआरएलडीसी प्रभारों (पीओएसओसीओ भाग) के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों के फीस व प्रभार) विनियम, 2009 के विनियम 4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के तहत अनुमोदन	11–03–2011
223	092/2010	19–03–2010	डब्ल्यू आर एलडीसी	नियंत्रण अवधि 01–04–2009–31–03–2014 के लिए के.वि.वि.आ (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों की फीस तथा प्रभार) विनियम, 2009 के तहत डब्ल्यू आर एलडीसी प्रभारों (पीओएसओसीओ) का अनुमोदन	11–03–2011
224	142/2010	04–05–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009–31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में रेंगली सब स्टेशन में 400 केवी कोलाघाट–रेंगली लाईन पर 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	11–03–2011
225	194/2010	12–07–2010	पीजीसीआइएल	(1) 400 के वीडी/सी तारापुर–पडघे सीकेटी–I पारेषण लाईन (2) 400 केवी डी/सी तारापुर–पडघे सीकेटी–II पारेषण लाईन (3) 01–04–2009– 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में तारापुर पारेषण तंत्र के अंतर्गत 200 केवी डी/सी तारापुर–बोइसर पारेषण लाइन के संयुक्त तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	11–03–2011
226	109/2010	31–03–2010	एनएचपीसी	01–04–2009 – 31–03–2014 तक की अवधि के लिए धौलीगंगा जलविद्युत परियोजना स्टेज–I (4x70 मेगावाट) के लिए उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	14–03–2011
227	160/2010	26–05–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009–31–03–2014 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस–II सेट डी योजना के अंतर्गत 765 केवी एस/सी बीना ग्वालियर पारेषण लाईन–II के साथ –साथ संबंधित बेज के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	14–03–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
228	051/2010	22–02–2010	पीजीसीआइएल	पश्चिमी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार (यूएलडीसी) योजना के लिए 2006–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पंजीकरण के कारण संशोधित शुल्क तथा प्रभारों के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप–धारा (4) के तहत अनुमोदन	15–03–2011
229	182/2010	22–06–2010	पीजीसीआइएल	(1) 765 केवीएस/सी सियोनी–वर्द्धा पारेषण लाईन के संबंधित बेज तथा 400 केवीडी/सी वर्द्धा–अकोला पारेषण लाइन के साथ संबंधित बेज, (2) 765 केवीएस/सी सियोनी –वर्द्धा पारेषण लाईन के संबंधित बेज तथा 400 केवीडी/सी वर्द्धा–अकोला पारेषण लाइन के साथ संबंधित बेज तथा अकोला और औरंगाबाद में 400 केवीडी/सी अकोला–औरंगाबाद पारेषण लाईन और संबंधित बेज तथा वर्द्धा सब स्टेशन पर 400 केवीडी/सी पारेषण लाईन और सबंधित बेज तथा वर्द्धा सब स्टेशन पर 400 के वीडी/सी बस रिएक्टर (3) 2009–14 की टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–II संपूरक पारेषण तंत्र के अंतर्गत वर्धा सब स्टेशन पर 400/220 केवीआईसीटी–I के साथ संबंधित बेज के लिए टैरिफ का निर्धारण	15–03–2011
230	185/2010	24–06–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009–31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में 400 केवीएस/सी मेरामुंडली–जोर पारेषण लाईन के साथ–साथ मेरामुंडली तथा जयपोर सब स्टेशन के विस्तार के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारबार संचालन) विनियम, 1999 तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	15–03–2011
231	190/2010	06–07–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009–31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में मेली में सिलीगुड़ी–गंगटोक सेक्शन 132 केवी रंजीत सिलीगुड़ी पारेषण लाईन के लीलो के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम पारेषण तंत्र के समन्वय के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	15–03–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
232	2217/2010	04–08–2010	पीजीसीआइएल	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यू आरएसएस–IV पारेषण तंत्र के तहत संयुक्त आस्ति–I के अंतर्गत 400/220 केवी दामोह एस/एस के साथ साथ बेज ओर दामोह एस/एस पर 400 के वी 63 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ साथ संबंधित बेंज तथा संयुक्त आस्ति–II के अंतर्गत दामोह पर 400/220 के वी आईसीटी–I के बेज तथा दामोह एस/एस पर 400/220 के वी, 315 एम वी ए आइसीटी–II के साथ संबंधित 400 के वी तथा 200 के वी बेज के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	15–03–2011
233	240/2010	30–08–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 – 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय के वी डी/सी कहलगांव – बिहारशरीफ पारेषण लाईन के पसारण टैरिफ के निर्धारण के लिए के. वि.वि.आ (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	15–03–2011
234	287/2009	26–11–2009	पीटीएल	(1) 400 केवी डी/सी गोरखपुर – लखनऊ पारेषण लाईन (परिसंपत्ति प्रथम) तथा (2) 01–04–2009–31–03–2014 तक की अवधि के लिए ताला (टीएएलए) जलविद्युत परियोजना – पूर्व उत्तर अंतर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण तंत्र के साथ संबंधित उत्तरी क्षेत्र के 400 के वी डी/सी बरेली – मंडोला पारेषण लाईन (परिसम्पत्ति द्वितीय) के पारेषण टैरिफ निर्धारण के लिए के.वि.वि.आ (कारबार संचालन) विनियम 1999 तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 विनियम 86 के तहत अनुमोदन	17–03–2011
235	040/2010	11–02–2010	पीजीसीआइएल	पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित भार प्रेषण संचार योजना के 2005–09 के दौरान किये अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित शुल्क और प्रभारों के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 की उप–धारा (4) के तहत अनुमोदन	17–03–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
236	089/2010	19–03–2010	पीजीसीआइएल	कोटा उप केन्द्र पर 400 केवी एस/सी आरएवीपी–कोटा लाईन के साथ–साथ 80 एमवीए आर बस रिएक्टर (आस्ति–I) तथा 400 केवी/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी प्रथम तथा आईसीटी–II और उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी 5 व 6 के साथ संबंधित पारेषण तंत्र के तहत कंकरोली सब स्टेशन पर आईसीटी–III के साथ–साथ कोटा व कंकरोली सब स्टेशन (आस्ति–II) पर संबंधित बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31–03–2014 के पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए केविविआ (कारबार प्रचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के तहत अनुमोदन	17–03–2011
237	094/2010	22–03–2010	स्वप्रेरणा	नियंत्रण अवधि 01–04–2009 से 31–03–2014 के लिए दक्षिण क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों (पीओएसओसीओ, भाग) के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों की फीस व प्रभार) विनियम, 2009 के विनियम 4 के बाद पठित जाने वाले विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 28 की उप धारा (4) के तहत अनुमोदन	17–03–2011
238	312/2010	30–11–2010	पीजीसीआईएल	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2009–10 के लिए बोगईगांव सब स्टेशन पर विशेष सुरक्षा बल की तैनाती के लिए अतिरिक्त व्यय की अदायगी	17–03–2011
239	288/2009	26–11–2009	पीटीएल	2009–14 की अवधि के लिए ताला (टी ए एल ए) जल विघुत परियोजना, पूर्व उत्तर अंतरसंयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण तंत्र के संबंधित पूर्वी क्षेत्र में 400 के वी डी सी सिलीगुडी पूर्णिया पारेषण लाईनः 400 के वी डी/सी पूर्णिया–मुजफ्फरपुर पारेषण लाईन तथा 220 के वी डी/सी मुजफ्फरपुर (पीजीसी आई एल) मुजफ्फरपुर (बी एस ई बी) पारेषण लाईन के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	17–03–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
240	338/2010	29–12–2010	पूर्व उत्तर अंतरसंयोजन कंपनी लिमिटेड	बोगईगांव में सिलिगुडी तथा पूर्णिया से विहारशरीफ तक 417 किलोमीटर से अधिक विस्तारित–II 400 केवी पारेषण लाइनों के स्थापन के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र से उत्तर क्षेत्र को अधिशेष बिजली के स्थानान्तरण के लिए गिरवी अनुबन्ध पत्र के माध्यम से परियोजना परिसम्पत्ति पर गिरवी ऋण के रूप में सुरक्षा ट्रस्टी समझौते के पक्ष में सुरक्षा सुजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 17(3) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन	17–03–2011
241	028/2010	08–02–2010	पीजीसीआइएल	उत्तरी क्षेत्र में समेकित भार प्रेषण व संचार योजना के लिए 2005–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूँजीकरण के कारण संशोधित फीस व प्रभारी के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप धारा (4) के तहत अनुमोदन	18–03–2011
242	036/2010	22–02–2010	पीजीसीआइएल	दक्षिणी में समेकित भार प्रेषण व संचार योजना के लिए वर्ष 2005–09 के दौरान किये गये अतिरिक्त पूँजीकरण के कारण संशोधित फीस व प्रभारों के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप धारा (4) के तहत अनुमोदन	18–03–2011
243	100/2010	25–03–2010	एनईआरएलसी	नियंत्रण अवधि 01–04–2009 से 31–03–2014 के लिए केन्द्रीय विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए फीस व प्रभार) विनिमय, 2009 के विनिमय 4 साथ पठित विघुत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप धारा (4) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (पीओएसओसीओ) के लिए फीस व प्रभारो का अनुमोदन	18–03–2011
244	264/2010	21–09–10	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में गंगटोक पर 132 केवी डी/सी सिलीगुड़ी रंजीत लाईन के एक सर्किट के लीलो के पारेषण टैरिफ का निर्धारण	23–03–2011
245	283/2010	01–11–2010	जय प्रकाश एसोसिएटस	जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड, नोएडा को अंतर राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	23–03–2011

क्रम सं.	याचिका सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	निपटान की तारीख
246	273/2010	12–10–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड (भाग क) के दक्षिण पश्चिम हिस्से में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 400 के वी डी/सी कोटा मेरता पारेषण लाईन (सीकेटी I व II) के साथ साथ संबंधित बेज के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	28–03–2011
247	181/2010	21–06–2010	पीएक्सआईएल	पावर मार्केट उत्कृष्टता केन्द्र (पी एम–सी ओ ई) के माध्यम से भारत में विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र में पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए वित्तीय अनुदान के लिए याचिका	30–03–2011
248	211/2010	02–08–2010	पीजीसीआइएल	01–04–2009 से 31–03–2014 की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में कैगा नरेन्द्र पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत नरेन्द्र 400 के वी डी/सी कैगा नरेन्द्र पारेषण लाइन, 400/200 के सब स्टेशन के साथ एक 315 एम वी ए आई सी टी तथा नरेन्द्र उप केन्द्र पर द्वितीय 315 एम वी ए आई सी टी की संयुक्त आस्तियो के लिए पारेषण टैरिफ के लिए अनुमोदन	30–03–2011
249	187/2010	25–06–2010	पीजीसीआइएल	1. खांडवा सब स्टेशन पर 400 के वी डी/सी खांडवा सियोनी पारेषण लाइन तथा रायपुर व सियत पर 400 के वी डी/सी सियत रायपुर पारेषण लाईन के साथ सब स्टेशन बेज के लिए 40 प्रतिशत श्रृखला क्षतिपूर्ति पैकज 2. 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में इतरासी के साथ संबंधित 220 केवी बेज से सहबद्ध 315 एम वी ए, 400/200 केवी आई सीटी तथा डब्लयू आर एस एस योजना के साथ संबंधित इटारसी (पीजी) भोपाल (एम पी टी सी एल) सी के टी–II के साथ संबंधित 220 केवी बंज की संयुक्त आस्तियो के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	31–03–2011

II अनुबंध

31-03-2011 को एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

क्रम सं.	उत्पादन केन्द्र का नाम	31–03–2011 को संस्थापित क्षमता	केंन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन			
अ.	**पिट हैड उत्पादन केन्द्र**		
1	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज–।	1000.00	01–01–1991
2	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज– ।।	1000.00	01–04–2006
3	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01–05–1988
4	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज– ।	1260.00	01–02–1992
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज– ।।	1000.00	01–10–2000
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज– ।।	1000.00	15–07–2007
7	कोरबा एसटीपीएस	2100.00	01–06–1990
8	सिपत स्टेज– ।।	1000.00	01–01–2009
9	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज– । और ।।	2100.00	01–04–1991
10	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज– ।।।	500.00	25–03–2005
11	तलचर टीपीएस'	460.00	01–07–1997
12	तलचर एसटीपीएस स्टेज– ।	1000.00	01–07–1997
13	तलचर एसटीपीएस स्टेज– ।।	2000.00	01–08–2005
14	कोरबा एसटीपीएस स्टेज– ।।।	500.00	21–03–2011
	उप योग	**16920.00**	

ब.	नॉन–पिट हैड उत्पादन केन्द्र		
1	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज–I	420.00	13–02–1992 (तारीख को चार्ज लिया गया)
2	एफजीयूटीपीपी स्टेज–II	420.00	01–01–2001
3	एफजीयूटीपीपी स्टेज–III	210.00	01–01–2007
4	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–I)	840.00	01–12–1995
5	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–II)	980.00	30–07–2010
6	फरक्का एसटीपीएस	1600.00	01–07–1996
7	टांडा टीपीएस	440.00	14–1–2000 (तारीख को चार्ज लिया गया)
8	बदरपुर टीपीएस	705.00	01–04–1982
9	कहलगॉव एसटीपीएस	840.00	01–08–1996
10	कहलगॉव एसटीपीएस स्टेज–II	1500.00	20–03–2010
11	सिम्हाद्री	1000.00	01–03–2003
	उप योग	**8955.00**	
	कुल –कोयला (अ+ब)	**25875.00**	
एनटीपीसी के गैस/द्रव ईंधन आधारित स्टेशन			
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	01–04–1997
2	फरीदाबाद	431.00	01–01–2001
3	अंता सीसीजीटी	419.33	01–03–1990
4	औरैया जीपीएस	663.36	01–12–1990
5	गंधार जीपीएस	657.39	01–11–1995
6	कवास जीपीएस	656.20	01–09–1993
7	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	01–03–2000
		4016.64	
	योग एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**29891.64**	

III अनुबंध

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता तथा प्रत्येक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

केन्द्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
बोकारो टीपीएस	630	अगस्त 1993
चन्द्रपुर टीपीएस	390	मार्च 1979
दुर्गापुर टीपीएस	350	सितम्बर 1982
मिजिया टीपीएस (यूनिट–1, 2 तथा 3)	630	सितम्बर 1999
मिजिया टीपीएस (यूनिट–4)	210	फरवरी 2005
मिजिया टीपीएस (यूनिट–5 तथा 6)	500	सितम्बर 2008
कुल	**2710**	

IV अनुबंध

85 प्रतिशत पीएलएफ पर पैसे/केडब्लूएच में 31-03-2011 को मौजूदा एनटीपीसी, एनएलसी तथा नीपको के उत्पादन स्टेशनों की उत्पादन (टैरिफ) की लागत

क्रं सं	उत्पादन केन्द्रों का नाम	31–03–2011 को संस्थापित क्षमता	निर्धारित प्रभार4	मार्च, 2011 को उर्जा प्रभार5	कुल	उत्पादन का भारित औसत मूल्य
	वर्ष		2010–11			
	ईकाई	मेगावाट	पैसे / केवीएच	पैसे / केवीएच	पैसे / केवीएच	पैसे / केवीएच
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्र						
अ.	पिट हैड उत्पादन केन्द्र					
1	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	50	108	158	167
2	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज–II	1000.00	79	118	197	
3	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	26	116	141	
4	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I	1260.00	36	134	170	
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	58	129	187	
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–III	1000.00	87	129	216	
7	कोरबा एसटीपीएस	2100.00	29	77	106	
8	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–I और II	2100.00	32	161	193	
9	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–III	500.00	86	147	233	
10	तलचर टीपीएस [1]	460.00	68	98	166	
11	तलचर एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	57	123	180	
12	तलचर एसटीपीएस स्टेज–II	2000.00	69	123	192	
13	सिपत एसटीपीएस स्टेज–II	1000.00	88	97	185	
	कोरबा एसटीपीएस स्टेज–III	500.00	चरण–III का कोड है 21–03–2010			
	उप योग	16920.00				

ब.	नॉन–पिट हैड उत्पादन केन्द्र					
13	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज–I	420.00	51	174	225	282
14	एफजीयूटीपीपी स्टेज–II	420.00	63	183	245	
15	एफजीयूटीपीपी स्टेज–III	210.00	104	182	287	
16	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–I)	840.00	56	251	307	
17	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–II)[6]	980.00	149	211	360	
17	फरक्का एसटीपीएस	1600.00	47	239	286	
18	टांडा टीपीएस	440.00	59	289	348	
19	बदरपुर टीपीएस[1]	705.00	47	371	418	
20	कहलगॉव एसटीपीएस	840.00	55	205	260	
21	कहलगॉव एसटीपीएस–II (ईकाई–[1] और [2])	1000.00	94	207	301	
	ईकाई–3 [7]	500.00	युनिट–III का कोड है 20–03–2010			
22	सिम्हाद्री	1000.00	66	168	234	
	उप योग	**8955.00**				
	कुल लागत	**25875.00**				
एनएलसी[2] के लिग्नाइट आधारित उर्जा उत्पादन केन्द्र						
1	टीपीएस–I	600.00	49	153	202	187
2	टीपीएस–II स्टेज–I	630.00	33	135	168	
3	टीपीएस–II स्टेज–II	840.00	36	135	171	
4	टीपीएस–I (विस्तार)	420.00	96	129	225	
	कुल लिग्नाइट	**2490.00**				
एनटीपीसी के गैस/द्रव ईंधन/द्रव प्राकृतिक गैस आधारित स्टेशन						
स.	**ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग**					
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	33	150	183	186
2	फरीदाबाद	431.00	65	121	185	
3	अंता सीसीजीटी	419.33	36	189	225	
4	औरैया जीपीएस	663.36	25	142	167	
5	गंधार जीपीएस	657.39	82	119	201	
6	कवास जीपीएस	656.20	59	109	168	
	कुल[8]	**3657.06**				

द.	**ईंधन के रूप में एलएनजी का उपयोग**					
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	33	375	409	432
2	अंता सीसीजीटी	419.33	36	313	349	
3	औरैया जीपीएस	663.36	25	383	408	
4	गंधार जीपीएस	657.39	82	290	373	
5	कवास जीपीएस	656.20	59	303	362	
6	फरीदाबाद	431.00	65	298	363	
	कुल[8]	**3226.06**				
ब.	**ईंधन के रूप में द्रव ईंधन (नपथा/एचएसडी) का उपयोग**					
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	33	714	747	797
2	फरीदाबाद	431.00	65	550	615	
3	अंता सीसीजीटी	419.33	36	819	855	
4	औरैया जीपीएस	663.36	25	913	938	
5	कवास जीपीएस	656.20	59	तरल इंधन पर कोई अनुसूची नहीं		
6	कयामकुलम सीसीजीटी	359.58	76	730	806	
	कुल[8]	3359.25				
एनईईपीसीओ[1] के गैस/द्रव ईंधन आधारित स्टेशन						
1	अगरतला जीपीएस	84.00	86	95	181	204
2	असम जीपीएस	291.00	134	77	211	
	कुल	**375.00**				

नोटः

1 तलचर (टीपीएस) व बदरपुर टीपीएस के संदर्भ में टारगेट पीएलएफ 82 प्रतिशत है।

2 एनएलसी टीपीएस के संदर्भ में टारगेट पीएलएफ 72 प्रतिशत है, एनएलसी टीपीएस के लिए 75 प्रतिशत, एनएलसी टीपीएस–1 (विस्तार) के लिए 80 प्रतिशत हैं

3 असम जीबीपीपी के लिए टारगेट पीएलएफ 72 प्रतिशत है

4 वर्ष 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ के रूप में वर्ष 2008–09 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित रूप में वर्ष 2009–10 के लिए नियत प्रभारों को नियत प्रभार पर 85 प्रतिशत पीएलएफ पर करने का विचार किया गया है जोकि आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदित होना बाकी है।

5 31–03–12 के उर्जा प्रभार उत्पादन कम्पनियों द्वारा प्रदत्त बिक्री के आंकड़ों पर आधारित हैं। उर्जा प्रभार बिल 2004–09 की अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित बेस उर्जा प्रभार तथा माह के दौरान ईंधन मूल्य समायोजन का योग हैं।

6 सीओडी के पश्चात जनरेटर द्वारा 31–01–2010 को अस्थायी बिलिंग पर आधारित

7 कमीशन द्वारा कोरबा एसटीपीएस–स्टेज–।।। और कहलगॉंव एसटीपीस की युनिट–3 के लिए नियत प्रभार और उर्जा प्रभार अनुमोदित करना अभी बाकी है

8 कुल क्षमता गैस, एलएनजी और द्रव ईंधन पर कार्यप्रणाली पर आधारित है। एनटीपीसी के की गैस आधारित/एलएनजी/द्रव ईंधन आधारित स्टेशन की कुल क्षमता 4016.64 मे.वा. है।

V अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्र की हाइड्रो उत्पादन कंपनियों की संस्थापित क्षमता (एनएचपीसी, एनएचडीसी, नीपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कम्पनी का नाम	राज्य	आकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1	बैरास्यूल	एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	जलसंग्रह	3 x 60 = 180	1981
2	लोकटक	एनएचपीसी	मणीपुर	भंडारण	3 x 35 = 105	1983
3	सलाल	एनएचपीसी	जम्मू कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	1987
4	टनकपुर	एनएचपीसी	उत्तराखण्ड	आरओआर	3 x 40 = 120	1992
5	चमेरा–I	एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	तालाब	3 x 180 = 540	1994
6	उरी–I	एनएचपीसी	जम्मू कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	1997
7	रंजीत	एनएचपीसी	सिक्किम	तालाब	3 x 20 = 60	1999
8	चमेरा–II	एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	तालाब	3 x 100 = 300	2003
9	धौली गंगा–I	एनएचपीसी	उत्तराखण्ड	तालाब	4 x 70 = 280	2005–06
10	दुलहस्ती	एनएचपीसी	जम्मू कश्मीर	आरओआर	3 x130 = 390	2006–07
11	तिस्ता–V	एनएचपीसी	सिक्किम	तालाब	3 x 170 = 510	2008
12	सेवा	एनएचपीसी	जम्मू–कश्मीर	तालाब	3 x 40 = 120	2010
एनएचपीसी के कुल 12 केन्द्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 3775 मेगावाट की है।						

12	इंदिरा सागर	एनएचडीसी	मध्य प्रदेश	भंडारण	8x125=1000	2004–05
13	ओंकारेश्वर	एनएचडीसी	मध्य प्रदेश	भंडारण	8x65 = 520	2007
एनएचडीसी के कुल 02 केन्द्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 1520 मेगावाट की है।						
14	रंगानदी	नीपको	नागालैंड	जलसंग्रह	3x135=405	2002
15	कोपली स्टेज–I	नीपको	असम	भंडारण	4x50=200	1997
16	कोपली स्टेज–II	नीपको	असम	भंडारण	1x25=25	2004
17	खानडांग	नीपको	असम	भंडारण	2x25=50	1984
18	डोयांग	नीपको	नागालैंड	भंडारण	3x25=75	2000
नीपको के कुल 5 केन्द्र हैं तथा उनकी संस्थापित क्षमता 755 मेगावाट की है।						
19	नाप्था झाकरी	एसजीवीएनएल	उत्तराखण्ड	जलसंग्रह के साथ आरओआर	6x250=1500	2004
एसजेवीएनएल का 01 केन्द्र हैं तथा जिसकी संस्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है						
20	टिहरी	टीएचडीसी	उत्तराखण्ड	भंडारण	4x250=1000	2007
टीएचडीसी का 01 केन्द्र हैं तथा जिसकी संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है						
21	मेथॉन	डीवीसी	झारखण्ड/ पश्चिम बंगाल	भंडारण	3x20=60	1958
22	पंचेट	डीवीसी	झारखण्ड/ पश्चिम बंगाल	भंडारण	2x40=80	1991
23	तिलैया	डीवीसी	झारखण्ड	भंडारण	2x2=4	1953
डीवीसी के कुल 03 केन्द्र हैं तथा जिनकी संस्थापित क्षमता 144 मेगावाट की है						
कुल संस्थापित क्षमता 8694 मेगावाट (24 केन्द्र)						

VI अनुबंध

के.वि.वि.आ. की परिधि के अधीन हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों का संक्षिप्त टैरिफ

उत्पादन केन्द्र	केन्द्र	संस्थापित क्षमता	2008–09 के लिए एएफसी	समेकित दर
एनएचपीसी		**मेगावाट**	**लाख रू**	**रू/केवीएच**
1	चमेरा–I	540	20066	1.39
2	बैरास्यूल	180	5301	0.78
3	लोकटक	105	5018	1.28
4	चमेरा–II	300	34787	2.67
5	रंजीत	60	4690	1.59
6	धौली गंगा	280	17822	1.81
7	तिस्ता–V	510	33597	1.50
8	दुल्हस्ती	390	84437	5.09
9	सलाल	690	17662	0.66
10	उरी	480	27428	1.22
11	टनकपुर	94.2	4718	1.20
एनएचडीसी				
1	इंदिरा सागर	1000	49548	2.53
2	ओंकारेश्वर '	520	26327	2.28
टीएचडीसी				
1	टिहरी स्टेज–I'	1000	110826	3.50
एसजीवीएनएल				
1	नाप्था झाकरी '	1500	131243	2.18
नीपको				
1	कोपली स्टेज–I	200	5767	0.56
2	खानडांग	50	1963	0.81
3	कोपली स्टेज–I I	25	1295	1.72
4	डोयांग	75	5850	2.95
5	रंगानदी	420	20367	1.25

VII अनुबंध

वर्ष 2011-12 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (रूपए/केडब्ल्यूएच)

विवरण	समान कुल टैरिफ (वित्त वर्ष 2011–12) (₹/केडब्लूएच)	सवर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो) (₹/केडब्लूएच)	निवल समान टैरिफ (सवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो, का समायोजन करने पर (₹/केडब्लूएच)
पवन क्षेत्र			
पवन क्षेत्र–1 (सीयूएफ 20%)	5.33	0.80	4.53
पवन क्षेत्र–2 (सीयूएफ 23%)	4.63	0.69	3.94
पवन क्षेत्र–3 (सीयूएफ 27%)	3.95	0.59	3.36
पवन क्षेत्र–4 (सीयूएफ 30%)	3.55	0.53	3.02
लघु हाइड्रो विद्युत परियोजना			
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	3.78	0.47	3.31
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	3.22	0.42	2.80
अन्य राज्यों (5 एमडब्ल्यू से कम)	4.49	0.55	3.94
अन्य राज्यों (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	3.84	0.50	3.34

जैव समूह विद्युत परियोजना					
आंध्र प्रदेश	1.90	1.88	3.78	0.19	3.59
हरियाणा	1.99	2.97	4.97	0.19	4.77
मध्य प्रदेश	1.88	1.70	3.59	0.19	3.40
महाराष्ट्र	1.94	2.36	4.31	0.19	4.11
पंजाब	1.99	2.94	4.94	0.19	4.74
राजस्थान	1.94	2.34	4.28	0.19	4.09
तमिल नाडु	1.96	2.62	4.58	0.19	4.39
उत्तर प्रदेश	1.92	2.13	4.06	0.19	3.86
अन्य	1.95	2.46	4.41	0.19	4.21
गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन					
आंध्र प्रदेश	2.75	1.77	4.51	0.33	4.19
हरियाणा	2.44	2.77	5.21	0.28	4.94
महाराष्ट्र	2.14	2.20	4.34	0.25	4.10
मध्य प्रदेश	2.34	1.59	3.93	0.28	3.65
पंजाब	2.44	2.74	5.19	0.28	4.91
तमिल नाडु	2.16	2.44	4.60	0.25	4.35
उत्तर प्रदेश	2.77	1.99	4.76	0.33	4.43
अन्य	2.40	2.28	4.68	0.28	4.41

सौर विद्युत परियोजना जिनका पीपीए 31 मार्च 2011 के बाद हस्ताक्षर किया गया वित्त वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित टैरिफ लागू होगा

विवरण	समान कुल टैरिफ (वित्त वर्ष 2011–12) (₹/केडब्लूएच)	सवर्धित मूल्यह्रास का लाभ (यदि लिया गया हो) (₹/केडब्लूएच)	निवल समान टैरिफ (सवर्धित मूल्यह्रास लाभ, यदि लिया गया हो, का समायोजन करने पर (₹/केडब्लूएच)
सोलर पीवी	15.39	2.45	12.94
सोलर थर्मल	15.04	2.34	12.69

VIII अनुबंध

वर्ष 2010-11 मे आयोग के स्टाफ/अधिकारियों द्वारा भाग लिए गये सेमिनार/सम्मेलन/आदान-प्रदान कार्यक्रम (भारत के बाहर)

क्र. सं0	नियुक्त अधिकारियों का नाम व पद	सेमिनार/सम्मेलन/कार्यक्रम का नाम अवधि	दौरा किये जाने वाले देश का नाम
1	डॉ॰ प्रमोद देव, अध्यक्ष केविविआ	06–04–2010 से 08–04–2010 तक चलने वाले सेवाओं, विकास तथा व्यापार पर यूएनसीटीएडी विविध वर्ष विशेषज्ञों की सभा: विनियामक तथा संस्थागत आयामक के तीसरे सत्र में सह–भागिता की।	जिनेवा
2	डा॰ प्रमोद देव, अध्यक्ष, श्री वी.एस. वर्मा, सदस्य केविविआ, श्री एस.सी, श्रीवास्तव, संयुक्त प्रमुख (इंजीनियरिंग) तथा श्री एस के चटर्जी, डी.सी (आर.ए)	के.वि.वि.आ. तथा यूएसए के विनियामक आयोगों के बीच एमओयू के अंतर्गत 29–04–2010 से 07–05–2010 तक (यात्रा अवधि को छोड़कर) सोलल थर्मल संयंत्र दौरा तथा विनिमय कार्यक्रम	संयुक्त राज्य अमेरिका
3	श्री एस जयरमण, सदस्य, श्री दीन दयालन, सदस्य तथा श्री पी के अवस्थी, संयुक्त प्रमुख (वित्त)	यू एस ए में विद्युत क्षेत्र के सुधारों पर प्रकाश डालने के लिए नियामकों के फोरम (एफओआर) के लिए क्षमता–निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक अयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/अधिकारियों के लिए 06–06–2010 से 10–06–2010 (यात्रा अवधि को छोड़कर) तक अभिविन्यास कार्यक्रम	संयुक्त राज्य अमेरिका
4	डॉ॰ प्रमोद देव, चेयरमेन, सी.ई.आर.सी.	कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए परिगमन: 21–06–2010 से 24–06–2010 तक नीति और विनियमन को कैसे सफल बनाया जाए (यात्रा के समय को छोड़कर)	यू.के.
5	डॉ॰ प्रमोद देव, चेयरमेन, सी.ई.आर.सी.	चौथी कार्यकारी की बैठक और 17वीं संचालन समिति की बैठक तथा एसएएफआईआर की कार्यशाला को काठमाण्डू, नेपाल में 09–12–2010 से 10–12–2010 को आयोजित करने का प्रस्ताव (यात्रा के समय को छोड़कर)	काठमाण्डू (नेपाल)

IX अनुबंध

वर्ष 2010–11 मे कार्यक्रम जिनमें आयोग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। (भारत में)

क्र.सं0	अधिकारी का नाम	कार्यक्रम	दिनांक	संचालन
1	श्री ईश कुमार सुश्री अर्चना अहलावत	ढांचागत विनियमन और सुधारों पर कोर पाठ्यक्रम	26–04–2010 से 30–04–2010	आईआईएम, बेंगलौर
2	श्री एन, कलीता सुश्री प्रतिका सिंह	ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग	03–05–2010 से 05–05–2010	एल्कोमा, नई दिल्ली
3	श्री एस.एन. कलीता	3–टीपी मध्य प्रबंधन कार्यक्रम	27–06–2010 से 24–07–10	आईआईएम, अहमदाबाद
4	श्री राकेश कुमार, श्री सुमित कुमार	पावर बाजार प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	14–07–2010 से 16–07–2010	पीएक्सआईएल, फरीदाबाद
5	श्री रामानुज डे, श्रीसुकांत गुप्ता, श्री राकेश कुमार	तृतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम	23–08–2010 से 28–08–2010	आईआईटी कानपुर
6	श्री एनसी महापात्र	प्रतिस्पर्धा कानून में बेसिक मूल्यांकन पाठ्यक्रम	25–10–2010 से 27–10–2010	भारतीय कॉपोरेट कार्य संस्थान, नई दिल्ली
7	श्री एस सी श्रीवास्तव श्री सुकान्ता गुप्ता	प्रथम क्लीन कोल इंडिया, 2010	11–11–2010	हयात होटल, नई दिल्ली
8	श्री एन सी महापात्र श्री एस के चटर्जी	प्रतिस्पर्धा कानून पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2010	12–11–2010 से 13–11–2010	अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी ऑफ लॉ, दिल्ली
9	श्री एच के पाण्डे	स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड सोल्यूशन के लिए इंटेलीजेंस सिस्टम	15–11–2010 से 19–11–2010	आईआईटी कानपुर
10	सुश्री अर्चना अहलावत	ई एक्स आइ एन एक्रेडिटिड आई टीआईएल फाउन्डेशन पाठ्यक्रम	15–02–2011 से 16–02–2011	व्योम प्रयोगशाला, नई दिल्ली
11	सुश्री अर्चना अहलावत	ऑनलाइन सी ओ वी आई टी फाउन्डेशन पाठ्यक्रम	फरवरी 2011	आई टी प्रीनियोर्स टैक्नोलोजी प्रा0 लि0 नई दिल्ली
12	सुश्री अर्चना अहलावत	सूचना सुरक्षा प्रबंधन तंत्र	14–03–2011 से 18–03–2011	आईटी विभाग, नोयडा

X अनुबंध

वर्ष 2010–11 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2011 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी के विविआ के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आध ाार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभियक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के साथ पुष्टि, लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में लेखांकन सुधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन के बारे में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप् से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो । लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:–

   (I) हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

   (II) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;

   (III) हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेख विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 तथा 2007 के संशोधनों सहित) की धारा 100(1) के अधीन यथाअपेक्षित केविविआ द्वारा रख–रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (IV) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं:–

   क. तुलन पत्र

   चालू दायित्व तथा प्रावधान (अनुसूची–।।) 65329860 रूपए

   केविविआ ने अपने परिसरों के नवीकरण संबंधी कार्य के लिए मैसर्स एनटीपीसी को 5.0 करोड़ रूपए अग्रिम के रूप में दिए। जनवरी 2011 में 5.26 करोड़ रूपए की राशि का अंतिम बिल प्राप्त हुआ था। 26.06 लाख रूपए की

शेष रकम के दावे पर लेखाओं में विचार नहीं किया गया है । इसके परिणामस्वरूप, कार्य प्रगति को 5.26 करोड़ रूपए तथा दायित्व को 26.06 करोड़ रूपए कम करके बताया गया है । इसके परिणामस्वरूप, 5.0 करोड़ रूपए के अग्रिम को अधिक करके बताया गया ।

ख. सामान्य

अनुसूची 25 के टिप्पण सं. 2 घ (v) लेखाओं के टिप्पण के अनुसार, 16.91 लाख रूपए की राशि के डिमांड ड्राफ्ट खो गए थे तथा उन्हें कपटपूर्वक भुना लिया गया । तथापि, आयोग ने इस तथ्य को न तो प्रकट किया और न ही उस रकम को आय के रूप में दर्ज किया तथा न ही खोने के संबंध में (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) कोई प्रावधान किया।

घ. सहायता–अनुदान

केंद्रीय सरकार से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान केविविआ को कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

ड. प्रबंधन–पत्र

वे कमियाँ, जिन्हें पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित गया, उसे सुधारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए पृथक् रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केंविविआ की जानकारी में लाया गया।

(V) पिछले पैरा में अपने प्रेक्षण के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(VI) हमारी राय में तथा हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित मामलों के अधीन, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क. जहां तक तुलन–पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31–05–2011 तक का है, और

ख. जहां तक अधिशेष के आय तथा व्यय लेखा का संबंध है । यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

ह0/–
(आनंद मोहन बजाज)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25 अक्तूबर, 2011

अनुबंध–1

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक लेखा–परीक्षा पर्याप्त है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को संगठन के आकार तथा गतिविधियों के साथ शुरू नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान, 16.91 लाख रूपए के डिमांड ड्राफ्ट खो गए थे तथा जिन्हें कपटपूर्वक भुना लिया गया
3.	नियत परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	2010–11 की अवधि के लिए वास्तविक सत्यापन किया गया।
4.	सूचियों की वास्तविक सत्यापन प्रणाली	2010–11 की अवधि के लिए वास्तविक सत्यापन किया गया
5.	उन पर लागू सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता	उन पर लागू सांविधिक देयों के भुगतान में यूनिट नियमित है।

वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

संकल्प

आयोग ने वर्ष 2010–11 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखाओं पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प किया:

"संकल्प करते हैं कि 31–03–2011 को आयोग का तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखाओं सहित प्राप्ति और संदाय लेखाओं को अनुमोदित किया जाए और किया जाता है।

संकल्प करते हैं कि 31–03–2011 को आयोग का तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा सहित प्राप्त और संदाय लेखा पर सचिव और आंतरिक वित्तीय सलाहकार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हस्ताक्षर किए गए और किए जाएंगे।"

ह0/–
(राजीव बंसल)
सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 29 जून, 2011

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31-03-2011 को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए तुलनपत्र

(रकम रुपए '000 में)

समग्र/पूंजी निधि तथा दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
समग्र/पूंजी निधि	1	479710.96	412862.07
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00
निश्चित/विन्यास निधि	3	0.00	0.00
प्रतिभूत ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00
अप्रतिभूत ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00
आस्थगित जमा दायित्व	6	0.00	0.00
चालू दायित्व तथा प्रावधान	7	65329.86	31375.72
कुल		**545040.82**	**444237.79**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	8	17047.26	6884.23
विनिधान – निश्चित/विन्यास निधि से	9	0.00	0.00
विनिधान – अन्य	10	194576.32	335472.12
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	333417.24	101881.44
प्रकीर्ण व्यय		0.00	0.00
(अपलिखित या समायोजित न किए गए)			
कुल		**545040.82**	**444237.79**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24		
आकस्मिक दायित्व तथा लेखाओं पर टिप्पण	25		

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31-03-2011 को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(रकम रुपए '000 में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
विक्री/सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान/सहायिकियां	13	0.00	36619.97
फीस/अभिदाय	14	280594.83	202383.69
विनिधान से आय	15	0.00	0.00
स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00
अर्जित ब्याज	17	26239.90	15113.69
अन्य आय	18	1925.43	394.31
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के स्टाक में वृद्धि/कमी	19	0.00	0.00
आस्थगित आय (पूर्व आस्तियों पर ही अवक्षयण)		1601.56	2203.00
कुल (क)		**310361.72**	**258714.66**
व्यय			
स्थापना खर्चे	20	56183.66	64703.73
अन्य प्रशासनिक खर्चे, आदि	21	182440.58	126754.73
अनुदान सहायिकियों आदि पर व्यय	22	0.00	0.00
ब्याज	23	0.00	0.00
अवक्षयण (समाप्त हुए वर्ष पर कुल योग – अनुसूची 8 की तत्स्थानी)		3287.03	2203.00
नियत आस्तियों की विक्री पर हानि		0.00	0.00
कुल (ख)		**241911.27**	**193661.46**
अधिक आय पर व्यय की अधिकता के लिए अतिशेष (क–ख) समग्र/पूंजी निधि का अंतरण)		68450.45	63053.20
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिकता दायित्व तथा लेखाओं पर टिप्पण	25		

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

31-03-2011 के तुलनपत्र के भागरूप अनुसूचियां

(रकम रुपए '000 में)

अनुसूची–1 – समग्र/पूंजी निधिः	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
वर्ष के प्रारंभ पर अतिशेष	412862.07	348631.84
जोड़ः समग्र/पूंजी निधि के मद्दे अंशदान	0.00	3380.03
घटाएं– नियत आस्तियों पर अवक्षयण के मद्दे आस्थगित आय (सहायता अनुदात से अर्जित)	–1601.56	–2203.00
	411260.51	**349808.87**
जोड़ः आय और व्यय लेखा से अंतरित कुल आय/व्यय का अतिशेश	68450.45	63053.20
कुल	**479710.96**	**412862.07**

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए '000 में)

अनुसूची–2 – आरक्षितियां और अधिशेष	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
1. पूंजी आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान जोड़	शून्य	शून्य
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	शून्य
2. पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति		
पिछले लेखा के अनुसार	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान जोड़	शून्य	शून्य
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	शून्य
3. विशेष आरक्षिति		
पिछले लेखा के अनुसार	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान जोड़	शून्य	शून्य
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	शून्य
4. साधारण आरक्षिति		
पिछले लेखा के अनुसार	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान जोड़	शून्य	शून्य
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए '000 में)

अनुसूची 3 : निश्चित/सावधि निधियां	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड जेड	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
(क) निधियों का आरंभिक अतिशेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) निधियों में वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) संदान/अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) निधियों के मद्दे किए गए विनिधान से आय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) अन्य जोड़ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क+ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय						
(i) पूंजी व्यय						
– नियत आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते, आदि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– किराया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– अन्य प्रशासनिक खर्चे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में कुल अतिशेष (क+ख+ग)						

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए '000 में)

अनुसूची – 4 : प्रतिभूत ऋण उधार	चालू वर्ष 31–03–2011		पूर्व वर्ष 31–03–2010	
1. केंद्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. राज्य सरकार अविनिर्दिश्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(क) आवधिक ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. बैंक				
(क) आवधिक ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) अन्य ऋण निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. अन्य संस्थाएं तथा अभिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. डिबेंचर तथा ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7. अन्य निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकम

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए '000 में)

अनुसूची – 5 : अप्रतिभूत ऋण तथा उधार	चालू वर्ष 31.03.2011	पूर्व वर्ष 31.03.2010
1. केंद्रीय सरकार	शून्य	शून्य
2. राज्य सरकार	शून्य	शून्य
3. वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य
4. बैंक		
(क) आवधिक ऋण	शून्य	शून्य
(ख) अन्य ऋण निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
5. अन्य संस्थान तथा अभिकरण	शून्य	शून्य
6. डिबेंचर तथा बांड	शून्य	शून्य
7. सावधि जमा	शून्य	शून्य
8– अन्य निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकम

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए '000 में)

अनुसूची – 6 : आस्थगित उधार दायित्व	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
क) पूंजी उपस्कर तथा अन्य आस्तियों के आड़मान द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	शून्य	शून्य
ख) अन्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकम

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए हजार में)

अनुसूची –7 : चालू दायित्व तथा प्रावधान	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
क. चालू दायित्व		
1. स्वीकारोक्तियां	**0.00**	**0.00**
2. विविध लेनदार : उपाबंध "क" के अनुसार	**9563.88**	**10915.48**
(क) माल के लिए	0.00	0.00
(ख) प्राप्त अन्य प्रतिभूति	0.00	0.00
3. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ फीस)		
– अग्रिम में प्राप्त फाइलिंग फीस :		
3.1 एनटीपीसी (जीटीएफ) वित्तीय वर्ष– 2011–12	1500.00	0.00
3.2 एनएचडीसी (जीटीएफ) वित्तीय वर्ष– 2011–12	2000.00	0.00
3.3 एनएचडीसी (जीटीएफ) वित्तीय वर्ष– 2011–13	2000.00	0.00
3.4 एनएचडीसी (जीटीएफ) वित्तीय वर्ष– 2013–14	2000.00	0.00
3.5 एस्सार पावर (अनुज्ञप्ति फीस) वित्तीय वर्ष– 2011–12	200.00	0.00
3.6 पीटीसी इंडिया (अनुज्ञप्ति फीस) वित्तीय वर्ष– 2011–12	3000.00	0.00
3.7 पीजीसीआईएल (टीटीएफ) वित्तीय वर्ष– 2011–12	3223.90	0.00
3.8 टोरेंटो पावर लि. (अनुज्ञप्ति फीस) वित्तीय वर्ष– 2011–12	80.53	0.00
4. प्रोद्भूत ब्याज किन्तु जो निम्नलिखित पर शोध्य नहीं है:		
4.1 प्रतिभूत ऋण/उधार	0.00	0.00
4.2 अप्रतिभूत ऋण/उधार	0.00	0.00
5. कानूनी दायित्व :		
5.1 अतिशोध्य		
5.2 अन्य		
5.2.1 संदेय सीपीएफ समरूप अभिदाय वेतन	38.30	20.73

5.2.2 जीपीएफ समरूप अंशदान पर संदेय	9.00	0.00
5.2.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	269.94	205.11
5.2.4 संदेय पेंशन अंशदान	781.01	2499.63
5.2.5 संदेय छुट्टी वेतन अंशदान	877.05	1864.61
5.2.6 संदेय उपदान अंशदान	2786.76	1808.40
6. अन्य चालू दायित्व		
6.1 अनुपयुक्त अनुदान	0.00	0.00
6.2 शास्ति	36877.67	13777.67
6.3 आकस्मिक अग्रिम		
6.3.1 कम्प्यूटर अग्रिम	0.00	0.00
6.3.2 जीपीएफ अग्रिम	0.00	0.00
6.3.3 मोटर कार अग्रिम	0.00	0.00
6.3.4 स्कूटर/मोटर साइकल अग्रिम	0.00	0.00
6.4 अन्य (समायोजन प्रेषण)		
6.4.1 अन्य वसूलियां	12.14	12.14
6.4.2 सीजीआईईएस	0.06	0.00
6.4.3 सीपीएफ	0.00	17.03
6.4.4 एचबीए	0.00	0.00
6.4.5 जीपीएफ	0.00	0.00
6–4–5 अनुज्ञप्ति फीस अन्य)	0.00	0.00
सकल कुल (क)	**65220.24**	**31120.80**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	0.00	0.00
2. उपदान	0.00	0.00
3. अधिवर्शिता/पेंशन	0.00	0.00
4. संचित छुट्टी भुनाना	0.00	0.00
5. व्यापार वारंटी/दावे	0.00	0.00
6– अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
6–1 संदेय संपरीक्षा फीस (सीएंडएजी)	109.62	103.92
सकल योग (ख)	**109.62**	**103.92**
सकल योग (क+ख)	**65329.86**	**31224.72**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

अनुसूची–8 : नियत आस्तियां (रकम हजार '000 में)

विवरण	कुल ब्लॉक				अवक्षयण				नेट ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ के रूप में	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति तक कुल	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर
भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भवन (नवीकरण)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फर्नीचर तथा फिक्सचर	405.12	791.36	0.00	1196.48	73.33	112.97	0.00	186.30	1010.17	405.12
मशीनरी तथा उपकरण	4075.95	9850.59	0.00	13926.54	566.96	882.21	0.00	1449.17	12477.36	4076.51
मोटर वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कम्प्यूटर/पेरिफैरल्स	2403.17	2491.48	0.00	4894.65	961.27	656.36	0.00	1617.63	3277.01	2402.60
बहियां तथा प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दान/संदान की गई आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुस्तकालय किताबें	0.00	316.65	0.00	316.65	0.00	33.93	0.00	33.93	282.72	0.00
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**6884.24**	**13450.08**	**0.00**	**20334.32**	**1601.56**	**1685.47**	**0.00**	**3287.03**	**17047.26**	**6884.23**

ह0/–
आंतरिक वित्त सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए हजार में)

अनुसूची–9 : निश्चित/विन्यास निधि से विनिधान	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	शून्य	शून्य
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य
3. शेयर	शून्य	शून्य
4. डिबेंचर तथा बांड	शून्य	शून्य
5. समनुषंगी तथा संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य
6– अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव

(रकम रुपए '000 में)

	अनुसूची –10 : निक्षेप	चालू वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
	निक्षेपः		
	(क) प्रतिभूति निक्षेप	–	–
	(ख) पेट्रोल लेखा	–	–
	(ग) टेलीफोन लेखा	–	–
	(घ) स्वैप खाता से भिन्न एफडीआर	–	–
1	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92324	–	9000.00
2	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90275	–	9000.00
3	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100052	–	9000.00
4	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90276	–	9000.00
5	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90277	–	9000.00
6	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90280	–	746.02
7	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90278	–	9000.00
8	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100002	–	9000.00
9	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100003	–	9000.00
10	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100004	–	2000.00
11	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100050	–	9000.00
12	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100051	–	9000.00

13	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100053	–	3000.00
14	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90128	–	9000.00
15	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90129	–	6568.89
16	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 90279	–	9000.00
17	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92294	–	9000.00
18	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92295	–	9000.00
19	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92296	–	9000.00
20	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92297	–	9000.00
21	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92298	–	9000.00
22	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92299	–	2777.79
23	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92312	–	9000.00
24	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92313	–	9000.00
25	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92314	–	9000.00
26	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92315	–	9000.00
27	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92316	–	6175.13
28	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92317	–	2250.04
29	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92318	–	9543.38
30	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92319	–	6453.90
31	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92320	–	9000.00
32	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92322	–	9000.00
33	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92323	–	9000.00
34	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92325	–	9000.00
35	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92326	–	9000.00
36	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92398	–	9548.58
37	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92399	–	9434.71
38	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92813	–	9000.00
39	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92814	–	9000.00
40	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92815	–	9000.00
41	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92816	–	9000.00

42	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 92817	–	6973.68
43	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100733	10261.89	–
44	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100734	10261.89	–
45	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100735	10261.89	–
46	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100736	10261.89	–
47	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100737	10261.89	–
48	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100740	10820.43	–
49	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100741	10820.43	–
50	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100742	10820.43	–
51	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100743	10820.43	–
52	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100744	10820.43	–
53	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100745	10820.43	–
54	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100746	11591.56	–
55	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100747	11591.56	–
56	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100748	11591.56	–
57	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100749	11591.56	–
58	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 100750	11591.55	–
59	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 110011	10193.25	–
60	एफडीआर कारपोरेशन बैंक 110012	10193.25	–
	कुल	**194576.32**	**335472.12**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रू. '000 में)

अनुसूची–11 वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2011
1. वर्तमान आस्तियां		
1.1. सूचियां	**0.00**	**0.00**
1.1.1 भंडार तथा पुर्जे	0.00	0.00
1.1.2 पृथक् औजार	0.00	0.00
1.1.3 व्यापार स्टॉक		
तैयार माल		
चालू संकर्म	0.00	0.00
कच्ची सामग्री	0.00	0.00
1.2 विविध देनदार		
1.2.1 छह मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	0.00	0.00
1.2.2 छह मास से कम	0.00	0.00
1.3 हाथ में अतिशेष नकदी (जिसमें चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय भी सम्मिलित है)	**10.00**	**10.00**
1.4 बैंक अतिशेष		
1.4.1 अनुसूचित बैंक में		
चालू खातों में		
कारपोरेशन बैंक चालू खाता 1502	15.02	15.12
एसबीआई खाता 32636	307.48	308.03
निक्षेप खातों में (जिसमें मार्जिन धन भी है)	0.00	0.00
बचत खाता में		
एसबीआई 30530628563	5.03	4.85
कारपोरेशन बैंक खाता 4113	75683.46	8757.26
1.4.2 गैर–अनुसूचित बैंकों में		
चालू खाते में	0.00	0.00
निक्षेप खाते में	0.00	0.00
बचत खाते में	0.00	0.00
1.4.3 भारत के लोक लेखा के अधीन केविवआ के निधि के खाते में अंतरित और स्थायी निधि	166200.00	0.00

1.5 पोस्ट आफिस– बचत खाता	**0.00**	**0.00**
2 ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	**0.00**	**0.00**
2.1 ऋण		
2.1.1 कर्मचारिवृंद	729.73	0.00
2.1.2 उद्धेश्यात्मक गतिविधियों में लगी वैसी ही प्रकार की अन्य इकाइयां	0.00	0.00
2.1.3 अन्य	425.00	0.00
2.2 अग्रिम तथा अन्य रकम नकद या वस्तु रूप में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाला मूल्य		
2.2.1 पूंजी खाते में	0.00	0.00
2.2.2 पूर्व संदाय	0.00	0.00
2.2.3 फीस प्राप्तियां		
2.2.3.1 फीस प्रप्ति (टीटीएफ)	22.40	0.00
2.2.3.2 फीस प्राप्ति योग्य (प्रकीर्ण याचिका)	160.00	0.00
2.2.3.3 फीस प्रप्ति (अनुज्ञप्ति फीस)	306.30	0.00
2.2.3.4 फीस प्रप्ति (टीटीएफ)	62.38	0.00
2.2.4 अन्य		
2.2.4.1 समायोज्य छुट्टी वेतन	207.96	207.96
2.2.4.2 पूर्व संदत्त खर्चे	531.57	44.12
2.2.4.3 प्रतिभूति निक्षेप–अन्य	33548.24	33548.24
2.2.4.4 प्रतिभूति निक्षेप –एमटीएनएल	86.79	86.79
2.2.4.5 प्रतिभूति निक्षेप –एनडीएमसी	60.00	0.00
2.2.4.6 प्रतिभूति निक्षेप– पैट्रोल तथा स्नेहक	30.00	0.00
2.2.4.7 प्रतिभूति निक्षेप केविवआ अतिथि निवास	300.00	0.00
2.2.4.8 एनटीपीसी से अग्रिम (निक्षेप कार्य)	50000.00	50000.00
2.2.4.9 एनडीएमसी से अग्रिम (निक्षेप कार्य)	1500.00	1500.00
3 प्रोद्गत आय		
3.1 निश्चित/विन्यास निधि से विनिवेश पर	**0.00**	**0.00**
3.2 निवेशकों पर दृष्टि	**0.00**	**0.00**
एफडीआर		
प्रोदभूत ब्याज	3225.88	7399.07
3.3 ऋण एवं अग्रिम	**0.00**	**0.00**
कुल	**333417.24**	**101881.44**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

	अनुसूची–12: बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	**बिक्री से आय**		
1.1	तैयार माल की बिक्री	शून्य	शून्य
1.2	कच्ची सामग्री की बिक्री	शून्य	शून्य
1.3	स्क्रैप की बिक्री	शून्य	शून्य
2	**सेवाओं से आय**		
2.1	श्रम तथा प्रसंस्करण प्रभार	शून्य	शून्य
2.2	वृत्तिक/परामर्शी सेवाएं	शून्य	शून्य
2.3	अभिकरण कमीशन तथा दलाली	शून्य	शून्य
2.4	रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	शून्य	शून्य
2.5	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रू. '000 में)

	अनुसूची–13: अनुदान/सहायिकियां	वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
	(अप्रतिसहरणीय अनुदान तथा प्राप्त सहायिकियां)		
1	केंद्रीय सरकार (ऊर्जा मंत्रालय)	शून्य	40000.00
2	राज्य सरकार	शून्य	शून्य
3	सरकारी अभिकरण	शून्य	शून्य
4	संस्थाएं/कल्याण निकाय	शून्य	शून्य
5	अंतरराष्ट्रीय संगठन	शून्य	शून्य
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
	घटाएं: समग्र/पूंजी निधि के मद्दे अभिदाय (नियत आस्तियों की प्राप्ति हेतु उपयोग)	शून्य	–3380.03
	कुल	**0.00**	**36619.97**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–14 : फीस/अभिदान		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	प्रवेश फीस	शून्य	शून्य
2	वार्षिक फीस/अभिदान	शून्य	शून्य
3	सेमिनार/कार्यक्रम फीस	शून्य	शून्य
4	परामर्शी फीस	शून्य	शून्य
5	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	5.1 फाइल करने की फीस/टैरिफ फीस	181345.84	118372.37
	5.2 अनुज्ञप्ति फीस	95914.28	83966.93
	5.3 वार्षिक पंजीकरण फीस (पावर एक्सचेंज)	2500.00	0.00
	5.4 प्रकीर्ण फीस	834.71	44.39
	कुल	**280594.83**	**202383.69**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–15: विनिधान से आय		निश्चित निधि से विनिधान		विनिधान – अन्य	
		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010	वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
(निधियों में अंतरित निश्चित/विन्यास निधि से विनिधान/आय)					
1.	ब्याज				
1.1	सरकारी प्रतिभूतियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1.2	अन्य बांड/डिबेंचर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	लाभांश				
2.1	शेयरों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.2	पारस्परिक निधि प्रतिभूतियों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	किराया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निश्चित/विन्यास निधियों में अंतरित					

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–16: स्वामित्व, प्रकाशन आदि से आय		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	स्वामित्व से आय	शून्य	शून्य
2	प्रकाशन से आय	शून्य	शून्य
3	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	**आवधिक जमा पर :**		
	1.1 अनुसूचित बैंकों में	25018.88	14201.78
	1.2 गैर–अनुसूचित बैंक में	0.00	0.00
	1.3 संस्थाओं में	0.00	0.00
	1.4 अन्य (स्वैप खाता)	0.00	24.27
2	**बचत खाते पर :**		
	2.1 अनुसूचित बैंकों में	1221.02	887.64
	2.2 गैर–अनुसूचित बैंक में	0.00	0.00
	2.3 पोस्ट आफिस बचत खाता	0.00	0.00
	2.4 अन्य	0.00	0.00
3	**ऋणों पर**		
	3.1 कर्मचारी/कर्मचारिवृंद	0.00	0.00
	3.2 अन्य	0.00	0.00
4	**देनदार तथा अन्य प्राप्य पर ब्याज**	**0.00**	**0.00**
	कुल	**26239.90**	**15113.69**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–18 : अन्य आय		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	**आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ**		
	1.1 स्वयं की आस्तियां	0.00	0.00
	1.2 अनुदानों से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त आस्तियां	0.00	0.00
2	**वसूला गया निर्यात प्रोत्साहन**	**0.00**	**0.00**
3	**प्रकीर्ण आय**		
	3.1 अन्य प्राप्तियां	1542.67	161.38

	3.2 समाचार पत्र बिक्री	41.26	4.14
	3.3 गेस्ट हाउस किराया	76.80	81.50
	3.4 पूर्व अवधि की आय	0.00	147.29
	3.5 कंपेडियम की बिक्री	264.70	0.00
	कुल	**1925.43**	**394.31**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

	अनुसूची–19 : तैयार माल तथा चालू संकर्म के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	**वर्तमान वर्ष 31–03–2011**	**पूर्व वर्ष 31–03–2010**
क)	अंतिम स्टॉक		
	तैयार माल	लागू नहीं	लागू नहीं
	चालू संकर्म	लागू नहीं	लागू नहीं
ख)	घटाएं : आरंभिक स्टॉक		
	तैयार माल	लागू नहीं	लागू नहीं
	चालू संकर्म	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल वृद्धि/कमी (क–ख)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

	अनुसूची–20 : स्थापना खर्चे	**वर्तमान वर्ष 31–03–2011**	**पूर्व वर्ष 31–03–2010**
1	वेतन तथा मजदूरी		
1.1	कर्मचारिवृंद/अधिकारी के वेतन	19314.90	34561.80
2	अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन	12600.00	12164.52
2	भत्ते तथा बोनस	15452.81	6707.39
3	भविष्य निधि में अभिदाय	3154.03	2368.60
4	अन्य निधियों में अभिदाय		
4.1	संदत्त उपदान	130.28	1333.11
4.2	पेंशन अभिदाय	339.70	2396.91
4.3	छुट्टी वेतन अभिदाय	356.66	2031.41
5	कर्मचारिवृंद कल्याण खर्चे	48.23	112.24
6	कर्मचारी सेवा निवृत्ति तथा सीमांत फायदे संबंधी खर्चे	0.00	0.00

7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
7.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधाएं	2165.09	1486.31
7.2	ट्यूशन फीस/सीईए	585.04	207.61
7.3	एलटीसी	1239.40	625.00
7.4	मानदेय	5.00	0.00
7.5	छुट्टी नकदी	792.52	708.83
	कुल	**56183.66**	**64703.73**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–21 : अन्य प्रशासनिक खर्चे		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	क्रय	0.00	0.00
2	श्रम तथा कार्यवाही संबंधी खर्चे	8310.13	3605.90
3	कारटेज तथा केरिएज इंबर्ड	0.00	0.00
4	विद्युत तथा ऊर्जा	2287.92	2018.48
5	जल प्रभार	261.11	216.91
6	बीमा	0.00	0.00
7	मरम्मत तथा रखरखाव		
	कम्प्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	80.23	47.16
	भवन मरम्मत तथा रखररखाव	1510.25	291.33
8	उत्पाद शुल्क	0.00	0.00
9	किराया दर तथा कर	78116.44	53163.84
10	वाहन चलाने तथा रखरखाव	707.10	560.46
11	पोस्टेज, टेलीफोन तथा संचार प्रभार	2328.67	2091.92
12	मुद्रण तथा स्टेशनरी	2384.00	1159.33
13	यात्रा तथा सवारी		
	डीटीई	5508.00	4540.97
	एफटीई	2516.66	3124.18
	सवारी	665.23	89.89

14	बैठक, सेमिनार/कार्यशाला संबंधी खर्चे	1305.99	819.69
15	अभिदाय खर्चे	1992.19	2400.32
16	फीस संबंधी खर्चे	0.00	0.00
17	संपरीक्षक पारिश्रमिक	105.35	15.00
18	सत्कार खर्चे	0.00	0.00
19	वृत्तिक प्रभार	57737.58	43721.95
20	एचबीए/कार/स्कूटर/कम्प्यूटर/उत्सव अग्रिम	0.00	0.00
21	अप्रतिसंहरणीय अतिशेश अपलिखित	0.00	0.00
22	पैकिंग खर्चे	0.00	0.00
23	भाड़ा तथा प्रेशण खर्चे	0.00	0.00
24	वितरण खर्चे	0.00	0.00
25	विज्ञापन तथा प्रचार	9881.32	5268.26
26	अन्य (विनिर्दिष्टि करें)		
	पुस्तक तथा आवधिक पत्रिकाएं	566.55	653.81
	प्रकीर्ण खर्चे	24.66	46.46
	टैक्सी/पट्टा पर लेने संबंधी प्रभार	3100.77	2065.96
	लेखांकन प्रभार	0.00	39.41
	एयरकंडीशनर एएमसी	1207.53	248.94
	एएमसी ईपीबीएक्स	47.79	26.47
	एएमसी कम्प्यूटर	0.00	25.30
	बैंक प्रभार	5.75	4.81
	रिम्स आईटी	1124.84	398.40
	वर्दी	0.00	0.00
	प्रशिक्षण खर्चे	510.64	0.00
	मरम्मत तथा रखरखाव एलसीडी टीवी	0.00	9.30
	एएमसी फोटोकापियर मशीन	153.88	100.28
	कुल	**182440.58**	**126754.73**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–22 : अनुदान, सहायिकियां, आदि संबंधी व्यय		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	संस्थाओं/संगठन को दिया गया अनुदान	शून्य	शून्य
2	संस्थानों/संगठन को दिया गया अनुदान	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

(रकम रूपए '000 में)

अनुसूची–23 : ब्याज		वर्तमान वर्ष 31–03–2011	पूर्व वर्ष 31–03–2010
1	नियत ऋण पर	शून्य	शून्य
2	अन्य ऋणों पर (जिसमें बैंक प्रभार भी हैं)	शून्य	शून्य
3	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

अनुसूची 25 : लेखाओं पर टिप्पण

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) की पृष्ठभूमि

के.वि.वि.आ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन स्थापित किया गया था। आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा व्यापक जनाधार मिला। आयोग के मुख्य कृत्य केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन के सिवाय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना, अनुज्ञप्ति जारी करना, उत्पादन कंपनियों में अंतर्वलित विवादों का न्यायनिर्णयन करना, इस कार्य के प्रयोजन के लिए फीस उद्गृहीत करना, ग्रिड संहिता विनिर्दिष्ट करना, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति की विरचना पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना तथा विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना, आदि हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने लेखांकन पद्धति के वाणिज्यिक (प्रोद्भ) आधार पर वार्षिक लेखाओं को अनुरक्षित किया है। इन लेखाओं को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी सभी तात्विक पहलुओं और लेखांकन सिद्धांतों तथा लेखांकन मानकों का अनुपालन करके तैयार किया गया है।

क. एएस–12 के अनुसार प्रकटन:

प्राप्त अनुदान की प्रकृति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी एएस–12 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009–10 तक सहायता अनुदान से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रमारित अवक्षयण को आस्थगित आय के रूप में आय तथा व्यय लेखा के आय की तरफ दर्शित किया गया है ।

ख. प्राप्त अनुदान को मान्यता

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग को केंद्रीय सरकार से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।

ग. प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य प्राप्त प्रभारों को मान्यता

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग ने 31,71,48,170/–रुपए की राशि फाइलिंग फीस, टैरिफ फीस, अनुज्ञप्ति फीस, शास्ति आदि के रूप में प्राप्त की थी । इसमें से 2,31,00,000/–रुपए शास्ति के रूप में 3,20,92,460 रूपए की रकम वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए पूर्व अवधि आय 1,39,23,900 रूपए वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए अग्रिम आय से संबंधित थी । अतिशेष 24,80,31,810 रूपए की राशि चालू वर्ष के लिए फाइलिंग फीस, टैरिफ फीस से संबंधित थी ।

घ. नियत आस्तियां, अवक्षपण तथा चालू आस्तियां

(i) नियत आस्तियों को लागत कम अवक्षयण के रूप में आंका गया। नियत आस्तियों पर अवक्षयण को कंपनी अधि नियम, 1956 के अनुसार दी गई दरों पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है। तथापि, वर्ष 2006–07 के वार्षिक लेखा संबंधी संपरीक्षा के निदेशों को ध्यान में रखते हुए, 30 सितम्बर, 2010 को अर्जित आस्तियों पर पूर्ण अवक्षयण प्रमारित किया गया है तथा 30 सितम्बर, 2010 के पश्चात अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण की आधी दर को प्रमारित किया गया है। 68,84,229–रुपए के नियत आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य पूंजी निधि के प्रबंधन तथा उसके भाग रूप द्वारा यथा प्रमाणित था।

(ii) इस वर्ष 3,16,650/– रूपए की राशि की पुस्तकालय किताबें को पूंजीकृत किया गया तथा उस पर अवक्षयण को उपरोक्त पैरा (i) के अधीन यथाविहित प्रमारित किया गया।

(iii) एनटीपीसी से 5 करोड़ रूपए के संदाय के मद्दे समर्थित ब्यौरों सहित समायोजन बिल प्राप्त हुए । एनटीपीसी द्वारा दिए गए समायोजन बिलों पर तुलनपत्र की तारीख को विचार किया जाना है ।

(iv) वर्ष 2008–09 के दौरान 68.84 लाख रुपए(अनुसूची–8) की नियत आस्तियों में से 0.79 लाख रुपए की रकम का एक लैपटाप खो गया है तथा मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, वार्षिक लेखा तथा आस्ति रजिस्टर में आवश्यक संशोधन/समायोजन किया जाएगा।

(v) रजिस्ट्री से 16,91,875/– रूपए की रकम के डिमांड ड्राफ्ट खो गए थे तथा उनको कपटपूर्व भुना लिया गया था । पुलिस प्राधिकरण के पास एफआईआर दर्ज करा दी गई है और मामले की विभागीय स्तर पर जांच चल रही है । इसकी सूचना पत्र सं. पीएओ/04/2009–10/केविविआ, तारीख 15–11–2010 द्वारा आडिट को पहले ही दे दी गई है।

ङ. शोध्यों के लिए प्रावधान

वार्षिक लेखा लेखांकन के प्रोद्भ के आधार पर आधारित हैं। तदनुसार, बकाया शोध्यों, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अभिदाय, सीपीएफ/ईपीएफ, समरूप अभिदाय, संपरीक्षा फीस, आदि के लिए प्रावधान किया गया है तथा इन्हें लेखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

3. तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् अनिश्चित दायित्व तथा होने वाली घटनाएं

31–03–2011 को कोई अनिश्चित दायित्व नहीं था ।

4. चालू वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहित तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

31-03-2011 को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और संदाय

(रकम रुपए '000 में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2010–11	पूर्व वर्ष 2009–10	संदाय	चालू वर्ष 2010–11	पूर्व वर्ष 2009–10
1. आरंभिक अतिशेष के लिए			**1. खर्चों द्वारा**		
(क) हाथ में नकदी	10.0	10.00	**(क) स्थापना खर्चे**		
(ख) बैंक अतिशेष	–	–	(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष और सदस्य)	8036.63	7612.91
(I) चालू खाते में			(ii) वेतन (अधिकारी और स्थापना)	14726.87	19342.37
कारपोरेशन बैंक चालू खाता 1502	15.12	15.32	(iii) भत्ते और बोनस	14201.89	11015.45
बीओआई चालू खाता 10198	0.00	222.55	(iv) वृत्तिक और अन्य सेवाओं के लिए संदाय		
एसबीआई चालू खाता 32636	308.03	286.52	(अ) छुट्टी भुगतान	743.60	706.33
(II) बचत खाता			**(ख) यात्रा खर्चे**		
एसबीआई बचत खाता 30530628563	4.85	4.69	(i) विदेश यात्रा	3131.73	3169.60
बीओआई बचत खाता 3695	0.00	27.65	(ii) घरेलू यात्रा	5444.29	4906.35
			(ग) अतिकाल भत्ता		
कारपोरेशन बैंक बचत खाता 4113	8757.26	11877.10	**(घ) चिकित्सा और स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं**	2376.46	1533.74
			(ङ) अन्य स्थापना प्रभार		
			(i) ट्यूशन फीस/सीईए	580.43	207.61
			(ii) एलटीसी	1342.40	631.70

			(iii) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–
			(च) भविष्य निधि के लिए अंशदान	–	–
			(i) ईपीएफ/सीपीएफ के लिए अंशदान	–	–
			– साधारण भविष्य निधि अंशदान	0.00	1735.08
			– सीपीएफ मैचिंग अंशदान	314.46	2618.85
			– ईपीएफ मैचिंग	2774.21	3645.85
			(छ) अन्य निधियों के लिए अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
			(ज) कर्मचारी कल्याण खर्चे	20.66	112.24
			(झ) कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और सेवांत प्रसुविधाएं संबंधी खर्चे	–	–
			(ञ) भविष्य निधि पर ब्याज	–	–
			– संदेय सा.भ. नि. अंशदान पर ब्याज	–	–
			– अन्य	–	–
			(ट) प्रशिक्षण खर्चे	510.64	0.00
2. प्राप्त अनुदान के लिए			**2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा**		
(क) ऊर्जा मंत्रालय से	0.00	40001.00	(क) क्रय	–	–
(ख) राज्य सरकार से	–	–	(ख) श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	6437.00	3226.19
अन्य स्रोतों से (ब्यौरे)	–	–	(ग) ढुलाई और आवक वहन व्यय	–	–
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को पृथक्त रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना है)	–	–	(घ) विद्युत और ऊर्जा	2207.97	2150.02
			(ङ) बीमा	–	–

			(च) मरम्मत और रखरखाव	113.30	9.30
			(ज) उत्पाद शुल्क	–	–
			(झ) किराया, दरें और कर	78112.85	53097.94
			(ञ) वाहन चलाने और उनका रखरखाव	–	–
			– टैक्सी भाड़े पर लेने के खर्चे	3122.81	1830.85
			– चलाने तथा रखरखाव	693.27	552.64
			(ट) पोस्टेज, टेलीफोन और संचार प्रभार	2605.27	1957.53
			(ठ) मुद्रण और स्टेशनरी	2559.54	1430.34
			(ड) यात्रा और सवारी खर्चे	661.92	9.63
			(ढ़) सेमिनार/बैठक खर्चे	1418.32	765.99
			(ण) अभिदान खर्चे	2528.66	2244.77
			(त) अतिगृह खर्चे	533.11	0.00
			(थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक/ विधिक फीस	0.00	61.09
			(द) सत्कार खर्चे	–	–
			(ध) वृत्तिक प्रभार	55231.52	36299.19
			(न) अशोध्य और शंकास्पद ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	–	–
			(प) अप्रतिसंहणीय अतिशेष रिटर्न ऑफ	–	–
			(फ) पैकिंग प्रभार	–	–
			(ब) भाड़ा और अग्रेषण खर्चे	–	–
			(भ) वितरण खर्चे	–	–

			(म) विज्ञापन और प्रचार	10143.60	4084.83
			(य) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–
			– लेखांकन प्रभार	0.00	29.39
			– एएमसी कम्प्यूटर	0.00	25.30
			– एएमसी ईपीबीएएक्स	47.79	12.18
			– एएमसी फोटो कापी मशीन	138.97	26.47
			– एएमसी एयर कंडीशनर	1201.70	244.89
			– बैंक प्रभार	3.37	22.66
			– पुस्तक और पत्रिकाएं	649.37	580.20
			– अग्रदाय	0.00	0.00
			– प्रकीर्ण खर्चे	22.28	87.15
			– अन्य चालू दायित्व	–	–
			– जल प्रभार	298.29	211.39
			– रिम्स तथा आईटी	9857.34	393.81
			– भवन मरम्मत तथा रखरखाव	995.56	312.70
			– कम्प्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	56.63	44.14
3. निम्नलिखित से विनिधान संबंधी आय के लिए			**3. किए गए विनिधान और निक्षेप द्वारा**		
(क) निश्चित/विन्यास, निधि	–	–	(I) विनिधान	130000.00	346534.93
			(क) किए गए नियत		

			सांविधिक जमा (ख) एसबी बैंक खातासं. 1502 से एसबी खाता सं. 4113 को नियत सांविधिक जमा पर अंतरण	46150.22	0.00
(ख) स्वयं की निधि (अन्य विनिधान)	–	–	(पप) निक्षेप		
			(क) प्रतिभूति निक्षेप	390.00	7590.00
			(ख) अग्रिम धन जमा	–	–
4. आयोग की प्राप्तियों के लिए			**4. (i) कर्मचारिवृंद को अग्रिम के रूप में**	–	–
(क) प्राप्त ब्याज	–	–	(क) गृह निर्माण अग्रिम	–	–
(i) बैंक निक्षेप(बचत खाते) पर	–	–	(ख) मोटर कार/ निजी कम्प्यूटर अग्रिम	74.60	0.00
(ii) कर्मचारियों को ऋण, अग्रिम, आदि पर	–	–	(ग) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	–	–
(iii) प्रकाशनों की बिक्री	–	–	(घ) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–
(iv) समाचार पत्रों की बिक्री	41.26	4.14	(ii) आकस्मिकता अग्रिम के रूप में	–	–
(v) आयोग द्वारा प्रभारित फीस	–	–	(क) सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	–	–
– फाइलिंग फीस	23531.03	14920.00	(ख) प्रदायकर्ता/ठेकेदार को अग्रिम	–	–
– लाइसेंस फीस (इसमें 3348.55 रूपए की पूर्व आय भी सम्मिलित है)	98944.81	77966.93	(ग) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–
– टैरिफ फीस (इसमें 28743.91 रूपए की पूर्व आय भी सम्मिलित है)	171612.34	103452.37	(iii) अन्य द्वारा	–	–
– शास्ति	23100.00	13777.67	(क) उत्सव अग्रिम	15.00	2.25
(vi) चिकित्सा, स्वास्थ्य देखरेख फायदाग्रहियों के अभिदाय	–	–	(ख) अन्य वसूली	0.00	72.56
(vii) नियत आस्तियों की बिक्री					

(viii) प्रकीर्ण प्राप्तियां	3.00	45.89	(ग) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	50.00	0.00
(ix) अन्य प्राप्तियां आरटीआई से)	0.31	0.00			
(ख) विनिधान			**समायोजन/विप्रेषण**		
(i) नकद विनिधान के अंकित मूल्य के लिए	295337.14	286697.56	(क) प्रतिनियुक्तिधारियों से वसूला गया जीपीएफ/सीपीएफ/ईपीएफ अग्रिम		
(ii) विनिधान पर ब्याज के लिए	4750.75	882.26	– विप्रेषित जीपीएफ वसूली	1486.05	0.00
			– विप्रेषित ईपीएफ वसूली	3080.87	0.00
(iii) बचत लेखा पर ब्याज	1221.02	887.64	– विप्रेषित सीपीएफ वसूली	398.24	0.00
(iv) एसबी बैंक खाता सं. 1502 से एसबी बैंक खात सं. 4113 को निधि जमा की नकदी का अंतरण	46150.22	–	(ख) अनुज्ञप्ति फीस	25.25	10.98
			(ग) आय–कर (वेतन/गैरवेतन)	13146.75	13353.46
			(घ) बिक्री कर	–	–
			(ङ) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	–	–
			(च) पोस्टल जीवन बीमा	–	–
			(छ) सीजीईजीआईएस/ सीईईआईएस /जीएसएलआई	64.37	18.45
			(ज) गृह निर्माण अग्रिम	130.64	200.54
			(झ) मोटर कार/कम्प्यूटर अग्रिम	92.29	20.30
			(ट) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	7.87	11.46
			(ठ) अन्य वसूलियां (कम्प्यूटर प्रसुविधाएं आदि)	162.59	28.39
			(ड) स्टाफ कार सुविधा	–	–
			(ढ़) अग्रिम पर ब्याज	0.00	52.93

5. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए			**5. अंशदान के रूप में**		
(क) कर्मचारिवृंद से अग्रिमों की वसूली	–	–	(क) पेंशन	1235.75	2740.59
(i) गृह निर्माण अग्रिम	–	–	(ख) छुट्टी वेतन	1371.28	2429.68
(ii) मोटर कार, निजी/ कम्प्यूटर अग्रिम	4.48	0.00	(ग) ग्रेच्युटी (उपदान)	310.36	1103.21
(iii) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	–	–	(घ) अन्य अंशदान (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–
(iv) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाए)			(ङ) प्र.म. सहायता निधि	–	–
– उत्सव	10.80	0.00			
(अ) प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति से संदत्त जीपीएफ अग्रिम की पूर्ति	–	–			
(ख) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली	–	–			
(i) सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	–	–			
(ii) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम	–	–			
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट किया जाए)	7.12	0.00			
(ग) अन्य निक्षेप	–	–			
(i) प्रतिभूति निक्षेप	75.00	78.22			
(ii) अग्रिम धन निक्षेप	–	–			
(iii) अन्य कोई निक्षेप (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–			

6. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए	–	–	**6. नियत आस्तियों तथा चालू पूंजी संकर्म व्यय के रूप में**		
(क) प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्तियों से वसूली	–	–	(क) भूमि	–	–
(ख) अनुज्ञप्ति फीस	11.70	0.00	(ख) भवन	–	–
(ग) आयकर	–	–	(ग) फर्नीचर तथा फिक्सचर	791.36	218.25
(घ) अधिभार	–	–	(घ) मशीनरी तथा उपकरण	3196.51	3084.63
(ङ) बिक्री कर	–	–	(ङ) मोटर वाहन	–	–
(च) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	–	–	(च) पुस्तकालय	347.25	0.00
(छ) पोस्टल जीवन बीमा	–	–	(छ) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–
(ज) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम	–	–	कार्यालय परिसर के नवीकरण के लिए अग्रिम संदाय	–	–
	–	–	**7. अन्य द्वारा**		
(झ) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	–	–	क. वापस की गई अनुज्ञप्ति फीस	40.00	0.00
	–	–	ख. एनएलडीसी से प्राप्त संदाय के प्रति एनएलडीसी के लिए साफ्टवेयर हेतु आईआईटी मुम्बई को किया गया संदाय	2382.48	0.00
– अन्य वसूलियां (प्रकीर्ण खर्चे)	6.50	59.65			
– सीपीएफ अंशदान/ ईपीएफ मैचिंग अंशदान					
– जीपीएफ अंशदान सीजीईआईएस/ लौटाया गया कंप्यूटर अग्रिम					
(6 मास से अधिक की अवधि के लिए अतिशोध्य चैक)	9.26	–			
– स्टाफ कार प्रसुविधा	–	–			

			8. अंत अतिशेष द्वारा		
–सीपीएफ मैचिंग अंशदान ईपीएफ/ जीएसएलआई	71.45		(क) हाथ में नकदी	10.00	10.00
– डीटीई वसूली	25.82	46.53	(ख) बैंक अतिशेष		
– एफटीई वसूली	88.12	31.66	(i) चालू खाते में		
– एलटीसी वसूली	119.15	7.31	(i) कारपोरेशन चालू खाता –1502	15.02	15.12
– कर्मचारिवृंद वेतन तथा महंगाई भत्ता	225.71	581.32			
– प्राप्त ग्रेच्युटी	1158.44	1120.84	एसबीआई चालू खाता 32636	307.48	308.03
– चिकित्सा तथा स्वास्थ देखरेख वसूली	129.20	47.49	(ii) बचत खाते में		
– प्राप्त पोस्टेज तथा टेलीग्राम	6.76	19.05	एसबीआई बचत खाता 30530628563	5.03	4.85
– कंपेडियम की बिक्री	264.70	1.29			
– विश्राम गृह किराया	87.95	81.50	कारपोरेशन बैंक बचत खाता 4113	75683.46	8757.26
– सेमिनार खर्चों की वसूली	–	–	भारतीय लोक लेखा के अधीन केविविआ की निधि लेखा में आंतरिक निधि तथा विद्यमान निधि	166200.00	0.00
– इंटरनेट तथा अंतरराष्ट्रीय रोमिंग वसूली	–	–			
– वाहन के निजी उपयोग की वसूली	–	–			
– कम्प्यूटर प्रसुविधा वसूली	46.20	0.00			
– प्रशिक्षण अग्रिम प्रतिदाय	0.00				
– मरम्मत तथा रखरखाव से वसूली	1.08	–			
बैंक प्रभारों से वसूली	0.25	16.79			
– फओआईआर / एफओआर/साफिर	733.24	–			

– टैक्सी भाड़ा प्रभार					
– किराया दरें तथा कर	–				
वापस किया गया अभिदाय तथा सदस्यता फीस	66.54	–			
मुद्रण तथा स्टेशनरी		337.50			
वापस की गई एलएसपीसी अभिदाय					
(6 मास से अधिक की अवधिक के लिए अतिशोध्य चैक)	58.05	–			
विद्युत प्रभार	6.36	0.00			
–वापस की गई वृत्तिक फीस	1456.85	0.00			
साफ्टवेयर (एनएलडीसी से प्राप्त)	2382.48	0.00			
–टीडीएस वसूली	6.17	0.00			
–राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार की वसूली अधिकारी सहकारी सोसाइटी	2.50	0.00			
– बैठक तथा सेमिनार खर्चे प्रतिदाय	166.38	9.10			
कुल	681015.37	553516.54		681015.37	553516.54

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

बैंक मिलान विवरण

कारपोरेशन बैंक - खाता संख्या 4113, 31-03-2011 के लिए

			रकम (रूपये में)
बैंक बही के अनुसार अतिशेष (डीआर)			75683456.92
जोड़ें: चैक जारी किए गए किन्तु जो भुनाए नहीं गए			
तारीख	चैक संख्या	रकम (रूपये में)	भुनाने की तारीख
22–11–2010	एनईएफटी	10754.00	09–06–2011
11–01–2011	795276	188613.00	एनवाईआर*
10–02–2011	761419	40399.00	एनवाईआर*
08–03–2011	761524	469.00	06–05–2011
08–03–2011	761525	3275.00	09–05–2011
15–03–2011	761551	18668.00	18–06–2011
17–03–2011	761559	1785.00	06–04–2011
18–03–2011	761566	7860.00	09–04–2011
23–03–2011	761579	10625.00	02–04–2011
29–03–2011	761591	81740.00	02–04–2011
29–03–2011	761592	1103.00	05–04–2011
29–03–2011	761593	532.00	05–04–2011
29–03–2011	761594	325.00	05–04–2011
29–03–2011	761595	1588.00	04–04–2011
29–03–2011	761597	2450.00	05–04–2011
29–03–2011	761598	20847.00	08–04–2011
29–03–2011	761599	4148.00	11–04–2011
29–03–2011	761600	2840.00	04–04–2011
29–03–2011	761601	91019.00	08–04–2011
29–03–2011	761602	17022.00	08–04–2011
29–03–2011	761603	21705.00	04–04–2011
30–03–2011	761606	4080.00	04–04–2011
30–03–2011	761605	5285.00	13–04–2011
30–03–2011	761607	6328.00	05–04–2011
30–03–2011	761609	190296.00	04–04–2011
30–03–2011	761610	1102.00	04–04–2011
30–03–2011	761611	1840.00	04–04–2011
30–03–2011	761612	57015.00	08–04–2011
30–03–2011	761613	96233.00	08–04–2011
30–03–2011	761614	5658.00	06–04–2011
31–03–2011	761616	470132.00	04–04–2011

31–03–2011	761617	37833.00	21–04–2011
31–03–2011	761618	8856.00	06–04–2011
31–03–2011	761619	3617.00	05–04–2011
31–03–2011	761620	8357.00	04–04–2011
31–03–2011	761621	430987.00	04–04–2011
31–03–2011	761622	7232.00	11–04–2011
31–03–2011	761623	10381.00	08–04–2011
31–03–2011	761624	14652.00	13–04–2011
31–03–2011	761625	3308.00	07–04–2011
31–03–2011	761626	84084.00	08–04–2011
31–03–2011	761627	4123.00	06–04–2011
31–03–2011	761628	1080.00	07–04–2011
31–03–2011	761629	9030.00	11–04–2011
31–03–2011	761630	82733.00	06–04–2011
31–03–2011	761631	17955886.00	08–04–2011
31–03–2011	761632	2695500.00	08–04–2011
31–03–2011	761633	58350.00	09–04–2011
31–03–2011	761634	132000.00	09–04–2011
31–03–2011	761635	72900.00	11–04–2011
31–03–2011	761636	100000.00	09–04–2011
31–03–2011	761637	210000.00	18–04–2011
31–03–2011	761638	2325.00	09–04–2011
31–03–2011	761639	16965.00	09–04–2011
31–03–2011	761640	72563.00	02–05–2011
31–03–2011	761641	1184696.00	23–04–2011
31–03–2011	761642	671736.00	10–05–2011
31–03–2011	761643	35043.00	13–04–2011
31–03–2011	761644	10901.00	08–04–2011
31–03–2011	761645	45834.00	08–04–2011
31–03–2011	761646	6424.00	08–04–2011
31–03–2011	761647	19219.00	08–04–2011
31–03–2011	761648	497439.00	08–04–2011
31–03–2011	761649	29781.00	08–04–2011
		25889571.00	
		101573027.92	

घटाएं : जमा किए चैक किन्तु जिनकी निकासी नहीं हुई

तारीख	चैक संख्या	रकम (रूपये में)	भुनाने की तारीख	
31–03–2011	060118	82489.00	02–04–2011	
31–03–2011	075899	92073.00	02–04–2011	174562.00
बैंक विवरण के अनुसार अतिशेष (सीआर)				101398465.92

एनवाईआर– जो अभी तक भुनाए नहीं गए हैं

बैंक मिलान विवरण 31-03-2011 को चालू खाता सं. 001502 कॉर्पोरेशन बैंक

	रकम (रूपये में)
बैंक बही के अनुसार अतिशेष (डीआर)	15024.35
बैंक विवरण के अनुसार अतिशेष (सीआर)	15024.35

भारतीय स्टेट बैंक. 31-03-2011 को बचत खाता संख्या 30530632636

	रकम (रूपये में)
बैंक बही के अनुसार अतिशेष (डीआर)	307480.00
बैंक विवरण के अनुसार अतिशेष (सीआर)	307480.00

भारतीय स्टेट बैंक. 31-03-2011 को बचत खाता संख्या 30530628563

	रकम (रूपये में)
बैंक बही के अनुसार अतिशेष (डीआर)	5025.00
बैंक विवरण के अनुसार अतिशेष (सीआर)	5025.00

31-03-2011 को तुलनपत्र के भागरूप अनुसूचियां

विविध लेनदार – उपबंध–"क"		(रकम रूपए '000 में)
क्रम सं0	विषिश्टियां	रकम
1	ए ट्रेवल क्लब	34.30
2	ए.के. फ्लोरिस्ट	9.62
3	एयरटेल खाता सं. 14218776	0.82
4	एयरटेल खाता सं. 16369917	1.05
5	एयरटेल खाता सं. 9910066062	0.92
6	एयरटेल खाता सं. 9971793324	0.85

7	अशोक कुमार	9.71
8	भगवान दत्त शर्मा	240.00
9	संदेय पुस्तकें तथा वृत्तिक विशेषता अवाधिक पत्रिकाएं	39.33
10	सिटी समाधान सोसाइटी (रजी.)	182.21
11	संदेय सवारी भत्ता प्रभार	44.74
12	संदेय महंगाई भत्ता	185.65
13	डी कलर प्रोडयूसर प्रा. लि.	1.10
14	डिग्री 360 सोल्यूशन प्रा. लि.	734.98
15	निदेशक, नई दिल्ली एचपीओ	41.85
16	डा. एन.सी. महापात्रा, पूर्व मुख्य सलाहकार, विधि	120.00
17	संदेय डीटीई	165.94
18	डयूपन सेल्स कार्पोरेशन	296.81
19	ईस्टर्न बुक क. प्रा. लि.	19.14
20	ईजी सोर्स	306.28
21	संदेय ईपीएफ कर्मचारी अभिदाय	29.37
22	विदेश यात्रा टैक्सी सेवा	22.00
23	जी4एस फैसिलिटी	10.97
24	संदेय जीएसएलआई	0.30
25	हिंद डिजिटल प्रा. लि.	12.06
26	जिम्मी ट्रेडर्स	132.76
27	संदेय श्रम तथा प्रसंसकरण खर्चे	6.08
28	संदेय प्रकीर्ण व्यय	7.15
29	मार्डन सर्विस स्टेशन	47.50
30	एमटीएनएल– 22723583	0.94
31	एमटीएनएल– 24353920	0.72
32	एमटीएनएल– 24604288	2.15
33	एमटीएनएल– केविविआ	61.13
34	नीलम सुंद्रियाल (सीईआरसी कैंटीन)	31.63
35	नोवल इंटरप्राइजेज	27.69
36	ओवाईएनएक्स मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि.	283.59
37	पीए विधिक	355.00
38	संदेय पोस्टल टेलीफोन तथा संचार	53.55
39	संदेय प्रकाशन तथा विज्ञापन खर्चे	36.54

40	राहुल बनर्जी, वरि, सलाहकार, विद्युत बाजार	285.60
41	राजीव बंसल, सचिव, केविविआ	5.69
42	राकेश शाह, सलाहकार, आरई	220.60
43	राकेश कुमार, लंगूरवाला	5.98
44	रवि इलैक्ट्रिकल्स	19.54
45	आरसीआईएल खाता सं. आरआईएस 500000830359	0.94
46	आरसीआईएल खाता सं. आरआईएस 500001394694	0.68
47	आरसीआईएल खाता सं. आरआईएस 500001675178	0.55
48	आरसीआईएल खाता सं. आरआईएस 500001842574	0.51
49	आरसीआईएल खाता सं. आरआईएस 500001867072	0.36
50	कप्यूटर अग्रिम लैब से वसूली तथा विप्रेषण	0.20
51	वसूली अधिकारी को आप सोसाइटी, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार	2.50
52	एस.के. जेना एंड एसोसिएट	63.87
53	संदेय वेतन (अध्यक्ष तथा सदस्य)	1050.00
54	संदेय वेतन (अध्यक्ष तथा सदस्य)	3039.07
55	संजय गुप्ता एंड एसोसिएट	478.15
56	सचिव, एनडीएमसी, नई दिल्ली	110.98
57	प्रतिभूमि निक्षेप	249.99
58	टीडीएस (से वेतन की अपेक्षा)	0.62
59	टीआरआईजी डिटेक्टिव प्रा. लि.	222.41
60	विजय एम. देशपाण्डे, मुख्य सलाहकार, ऊर्जा अर्थशास्त्र	247.50
61	वोडाफोन नं. 9999002434	1.00
62	वोडाफोन नं. 9999799451	0.71
	कुल	9,563.88

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव केंद्रीय विद्युत विनियामक

XI अनुबंध

(31-03-2011 के अनुसार) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के ई-मेल और दूरभाष नम्बर

	नाम	पदनाम	फोन नं.	ई–मेल
	डॉ. प्रमोद देव	अध्यक्ष	23753911	chairman@cercind.gov.in
	एस. जयरमन	सदस्य	23753914	sjayaraman@cercind.gov.in
	वी. एस. वर्मा	सदस्य	23753912	vsverma@cercind.gov.in
	एम दीन दयालन	सदस्य	23753913	mdayalan@nic.in
	राजीव बंसल	सचिव	23753915	rajiv.bansal@nic.in
	पी. बत्रा	प्रमुख (इंजी.)	23753917	pbatra@cercind.gov.in
	डॉ वी एम देशपाण्डे	मुख्य सलाहकार (अर्थशास्त्र)	23353503	vmdeshpande@cercind.gov.in
	एस. सी. श्रीवास्तव	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	scshrivastava@cercind.gov.in

	त्रिलोचन राउत	संयुक्त प्रमुख (विधि)	23353503	trout@cercind.gov.in
	पी.के. अवस्थी	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	23353503	pkawasthi@cercind.gov.in
	वी. मेधानी	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	vmenghani@cercind.gov.in
	राहुल बेनर्जी	वरिष्ठ सलाहकार (विद्युत बाजार)	23353503	rbanerjee@cercind.gov.in
	एस. के. चटर्जी	उप प्रमुख (आरए)	23753920	dcra@cercind.gov.in
	एच. टी. गांधी	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	htgandhi@cercind.gov.in
	एच. के. पाण्डे	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	hkpandey@cercind.gov.in
	सी प्रकाश	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	cprakash@cercind.gov.in
	यू. आर. प्रसाद	उप प्रमुख (अर्थशास्त्र)	23353503	urprasad@cercind.gov.in
	अर्चना अहलावत	उप प्रमुख (एमआईएस)	23353503	dcmis@cercind.gov.in
	राजीव पुष्करणा	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	rpushkarna@cercind.gov.in

	पार्था सेन	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	parthasen@cercind.gov.in
	रामानुज डे	सहायक सचिव	23753921	asstsecy@cercind.gov.in
	नीरजा वर्मा	सहायक सचिव (एफओआर)	23353503	asfor@cercind.gov.in
	देवेन्द्र सलुजा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	dsaluja@cercind.gov.in
	श्रीमती नवनीता वर्मा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	nverma@cercind.gov.in
	सुकान्ता गुप्ता	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sgupta@cercind.gov.in
	ए.वी. शुक्ला	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	avshukla@cercind.gov.in
	बी. श्रीकुमार	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	bsreekumar@cercind.gov.in
	सुमीत कुमार	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sumeetk@cercind.gov.in
	एस. माथुर	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	smathur@cercind.gov.in
	ईश कुमार	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	ishkumar@cercind.gov.in

	एस. एस. रत्ना	सहायक प्रमुख (एमआईएस)	23353503	acmis@cercind.gov.in
	पी.के. सिन्हा	सहायक सचिव (विधि)	23353503	prafullsinha@gmail.com
	एम.एम. चौधरी	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	mmchaudhari@cercind.gov.in
	टी.डी. पंत	न्यायपीठ अधिकारी	23353503	tdpant@cercind.gov.in

XII

अनुबंध

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ)

संगठन चार्ट

(31-03-2011 को)

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001
(टेलीफोन संख्याः 23353503, फैक्स संख्याः 23753923)
वेबसाइटः www.cercind.gov.in

Design & Print by: GENESIS 98100 33682
genesisadvt@hotmail.com